ईएसएमएस और ईएसजी नीति

प्रकाशन की तिथि: 25-नवंबर-24

संशोधन की तिथि: 5-फरवरी-25

संस्करण 1.8

प्रॉस्पेरेट ग्रोथ फंड (मॉरीशस) के बोर्ड द्वारा अनुमोदित और लागू

पर्यावरण, सामाजिक प्रबंधन प्रणाली

विषयसूची

खंड ए – ईएसजी नीतियां और सिद्धांत 4
1. पृष्ठभूमि 4
2. दायरा और प्रयोज्यता 4
3. ईएसजी क्या है? 4
4. प्रोस्पेरेट में ईएसजी के लिए अपनाए गए सिद्धांत 5
5. ईएसजी उद्योग विकास और दिशानिर्देश 9
6. प्रॉस्पेरेट में जिम्मेदार निवेश के लिए दिशानिर्देश 10

खंड बी – पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली 12
7. प्रोस्पेरेट की ईएसजी नीति 12
8. ईएसजी परिश्रम के प्रमुख तत्व 24
9. प्रोस्पेरेट इम्पैक्ट फ्रेमवर्क 30
10. जानकारी के प्रकटीकरण 30
11. ईएसएमएस ऑडिट 31
12. उल्लंघन की रिपोर्टिंग 31
13. ईएसजी नीति में संशोधन 31

अनुलग्नक ए : लागू ईएसजी दिशानिर्देश 33
अनुलग्नक बी : बहिष्करण सूची 36
अनुलग्नक बी -1: प्रोस्पेरेट में हितधारक सहभागिता 37
अनुलग्नक सी : ईएस अंतर्निहित जोखिम 39
अनुलग्नक सी-1 : क्षेत्रवार मार्गदर्शिका 42
अनुलग्नक सी-2: फोकस के प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएस-वार मार्गदर्शिका 60
अनुलग्नक डी: सांकेतिक समीक्षा चेकलिस्ट 71
अनुलग्नक डी -1: विशेषज्ञ ईएसजी डीडी का सांकेतिक दायरा 80
अनुलग्नक डी-2 - स्वदेशी लोगों के प्रबंधन के लिए व्यापक दिशानिर्देश 82
अनुलग्नक डी-3: भूमि और पुनर्वास के लिए मार्गदर्शन 83
अनुलग्नक डी -4: पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए हितधारक सहभागिता योजनाओं हेतु मार्गदर्शन 87
अनुलग्नक डी -5: पोर्टफोलियो कंपनी के लिए शिकायत निवारण योजना हेतु मार्गदर्शन 88
अनुलग्नक डी-6: आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना की तैयारी पर मार्गदर्शन 90
अनुलग्नक डी-7: पोर्टफोलियो कंपनी के लिए मौका खोज प्रक्रिया 91
अनुलग्नक डी- 8: संघर्ष संवेदनशीलता मूल्यांकन की तैयारी पर मार्गदर्शन 96
अनुलग्नक ई : ईएसजी डीडी सारांश रिपोर्ट रूपरेखा 99
अनुलग्नक एफ : लक्ष्य कंपनी की ईएसजी प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन 102
अनुलग्नक एफ-1: ईएसएमएस मार्गदर्शन दस्तावेज़ 104
अनुलग्नक एफ-2: ईएसजी ऑडिट रिपोर्ट मार्गदर्शन ढांचा 107
अनुलग्नक जी: निवेशक के साथ कार्य योजना और रिपोर्टिंग ढांचा 108
अनुलग्नक एच - पोर्टफोलियो कंपनी निवेश उपक्रम 109
अनुलग्नक एच-1 : ईएसजी मानक 110
अनुलग्नक एच-2: प्रोस्पेरेट 'जिम्मेदार निवेश' दिशानिर्देश 114
अनुलग्नक I: ईएसजी मामलों पर वार्षिक रिपोर्टिंग 115
अनुलग्नक जे : पोर्टफोलियो कंपनी में ईएसजी मुद्दे/घटना पर रिपोर्ट 119

क्या है? **Error! Bookmark not defined.**

खंड ए – ईएसजी नीतियां और सिद्धांत

1. पृष्ठभूमि

1.1. प्रॉस्पेरेट का (आगे परिभाषित) प्रयास है कि जिम्मेदारी से निवेश करके और उन समुदायों के साथ जुड़कर कॉर्पोरेट प्रबंधन के उच्चतम मानकों को पूरा किया जाए जहां प्रॉस्पेरेट काम करता है और निवेश करता है। 'जिम्मेदार निवेश' [1]प्रॉस्पेरेट के लिए एक प्रमुख मार्गदर्शक दर्शन है। प्रॉस्पेरेट मानता है कि पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन (" **ईएसजी** ") पहलू किसी भी कंपनी के मूल्य और दीर्घकालिक प्रदर्शन के प्रमुख प्रभावकों में से हैं। इस प्रकार प्रॉस्पेरेट अपने संगठन के भीतर और साथ ही उन संगठनों के भीतर ईएसजी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है जिनके साथ यह साझेदारी करता है और जिनमें निवेश करता है।

1.2. पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी पहलुओं के प्रबंधन पर यह नीति (" **ईएसजी नीति** ") अपने संगठन के भीतर ईएसजी से संबंधित मुद्दों के लिए प्रोस्पेरेट के दृष्टिकोण को परिभाषित करती है, साथ ही ईएसजी जोखिमों और मूल्य सृजन के अवसरों को अपने निवेश में एकीकृत करती है। यह प्रभावी ईएसजी प्रबंधन प्रणाली बनाने और सर्वोत्तम अभ्यास के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों को अपनाने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।

2. दायरा और प्रयोज्यता

2.1. यह ESG नीति प्रॉस्पेरेट ग्रोथ फंड 1 (फंड), इसके पूलिंग वाहनों और इसकी प्रत्येक संबद्ध इकाई (सामूहिक रूप से इकाइयों को " **प्रॉस्पेरेट** " कहा जाता है) पर लागू होती है। यह नीति फंड के निवेश और पोर्टफोलियो कंपनियों के संबंध में प्रॉस्पेरेट-अनुबंधित सभी निवेश सलाहकार/प्रबंधन इकाइयों पर भी लागू होती है। ESG नीति प्रॉस्पेरेट कर्मियों के लिए निवेश करते समय ESG पहलुओं का मूल्यांकन करने और निवेश अवधि के दौरान पोर्टफोलियो कंपनियों के ESG पहलुओं की प्रभावी निगरानी और सुधार करने के लिए प्रक्रियाएँ और दिशानिर्देश निर्धारित करती है। यह प्रत्येक पोर्टफोलियो कंपनी को प्रॉस्पेरेट की ESG आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी देती है। प्रॉस्पेरेट के कर्मचारियों को इस ESG नीति में निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है।

3. ईएसजी क्या है?

3.1. 'ईएसजी' शब्द का इस्तेमाल किसी कंपनी की रणनीति और संचालन से संबंधित पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। ईएसजी के तीनों तत्वों को नीचे थोड़ा और विस्तार से समझाया गया है।

3.2. **पर्यावरण :** पर्यावरण संबंधी मामले इस बात पर ध्यान देते हैं कि कोई कंपनी पर्यावरण के संरक्षक के रूप में किस तरह काम करती है। किसी भी कंपनी के लिए पर्यावरणीय

[1] उत्तरदायी निवेश, निवेश का एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य निवेश निर्णयों में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी कारकों को शामिल करना, जोखिम का बेहतर प्रबंधन करना और टिकाऊ, दीर्घकालिक रिटर्न उत्पन्न करना है।

कारक/मानदंड उस तरीके को संदर्भित करते हैं जिससे कोई भी कंपनी पर्यावरण पर अपने प्रभावों का आकलन और प्रबंधन करती है, जिसमें अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट, उत्सर्जन, प्रदूषण, ऊर्जा और पानी का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, खतरनाक सामग्री, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता आदि शामिल हैं। इसमें पर्यावरणीय जोखिम भी शामिल हैं जो किसी कंपनी को प्रभावित कर सकते हैं और कंपनी उन जोखिमों का प्रबंधन कैसे कर रही है।

3.3. **सामाजिक :** सामाजिक मामले इस बात की जांच करते हैं कि कोई कंपनी अपने व्यावसायिक संबंधों को किस तरह प्रबंधित करती है - कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और उन समुदायों के साथ जहां वह काम करती है। सामाजिक कारक/मानदंड श्रम कानूनों के अनुपालन, श्रम और कार्य स्थितियों के मुद्दे जैसे बाल श्रम, गुलामी, न्यूनतम मजदूरी, भेदभाव, विविधता, आदि; और स्वास्थ्य और सुरक्षा कारक जैसे मानवाधिकार, यौन शोषण/उत्पीड़न (SEAH), कार्य स्थितियां, सुरक्षा रिकॉर्ड, कर्मचारी संबंध, सुरक्षात्मक उपाय, प्रशिक्षण, उत्पाद सुरक्षा और दायित्व, आदि को संदर्भित करते हैं।

3.4. **कॉर्पोरेट प्रशासन :** कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी कारकों में व्यावसायिक अखंडता के मामले, जैसे पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, धन शोधन, राजनीतिक पैरवी और दान आदि शामिल हैं; तथा कॉर्पोरेट प्रकॉर्पोरेट प्रशासन के मामले, जैसे बोर्ड का गठन, राजनीतिक संबंध, शेयरधारक अधिकार, आंतरिक नियंत्रण, कर चोरी आदि शामिल हैं।

4. प्रोस्पेरेट में ईएसजी के लिए अपनाए गए सिद्धांत

4.1.1. प्रॉस्पेरेट अपने व्यावसायिक संचालन के नैतिक और कानूनी आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रॉस्पेरेट यह सुनिश्चित करेगा कि उसके संचालन (इसके निवेश प्रबंधक और निवेश सलाहकारों सहित) सभी लागू स्थानीय कानूनों के पूर्ण अनुपालन में हों, और इसके कामकाज में 'जिम्मेदार निवेश' के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हों।

4.1.2. ईएसजी नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी वरिष्ठ प्रबंधन और केएमपी की है। यह सुनिश्चित करके किया जाता है कि सभी निवेश पेशेवर, डील टीम और पोर्टफोलियो कंपनियाँ अपने संचालन और आकलन में ईएसजी नीति का पालन करें। प्रॉस्पेरेट में निवेश टीम को एक नामित अधिकारी ("ईएसजी अधिकारी") द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। ईएसजी अधिकारी को:

4.1.2.1. यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न प्रॉस्पेरेट संस्थाएं इस ईएसजी नीति का अनुपालन कर रही हैं;

4.1.2.2. प्रोस्पेरेट की व्यापक निवेश प्रक्रिया में ईएसजी कारकों के एकीकरण में योगदान देना ;

4.1.2.3. यह सुनिश्चित करना कि प्रोस्पेरेट के कर्मचारी निवेश प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अपनाई जाने वाली विभिन्न ईएसजी संबंधी जांचों के बारे में स्पष्ट हैं;

4.1.2.4. यह सुनिश्चित करना कि सभी निवेश निर्णय कंपनी और उद्योग के लिए उपयुक्त ईएसजी संबंधित कारकों के समुचित परिश्रम द्वारा समर्थित हैं और इसे 'निवेश ज्ञापन ' में प्रलेखित किया गया है;

4.1.2.5. में ईएसजी उचित परिश्रम टीम का हिस्सा बनें जहां संभावित पोर्टफोलियो कंपनी को 'मध्यम' (श्रेणी बी) जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;

4.1.2.6. आवधिक आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें और/या समय- समय पर निवेशकों/सीमित भागीदारों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें;

4.1.2.7. नियमित आधार पर निवेश कर्मचारियों के लिए ईएसजी प्रशिक्षण प्रदान करना;

4.1.2.8. प्रोस्पेरेट की विभिन्न पोर्टफोलियो कंपनियों में ईएसजी से संबंधित मामलों के कार्यान्वयन पर नज़र रखना; तथा

4.1.2.9. इस नीति में सूचीबद्ध अनुसार आवधिक आधार पर प्रदर्शन को मापें ।

4.1.3. ईएसजी अधिकारी प्रॉस्पेरेट की गतिविधियों पर इस नीति के अनुप्रयोग के लिए प्रमुख और केंद्र बिंदु में से एक होगा। इस ईएसजी नीति की समीक्षा और संशोधन ईएसजी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आईसी की मंजूरी के साथ किया जा सकता है। इस ईएसजी नीति की व्याख्या की आवश्यकता वाली सभी परिस्थितियाँ, 'जिम्मेदार निवेश' पर प्रॉस्पेरेट के किसी भी दिशा-निर्देश पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले उदाहरण, और निवेश प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में ईएसजी से संबंधित जाँच और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को ईएसजी अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा।

4.1.4. पर्यावरण नीति पर विचार

4.1.4.1. प्रोस्पेरेट का लक्ष्य होगा:

- मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव से बचना/न्यूनतम करना;
- पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग को प्रेरित करना ; तथा
- जहाँ भी संभव हो, पर्यावरण सुधार को बढ़ावा दें।

4.1.4.2. प्रोस्पेरेटे अपने कार्यालय और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण और अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज में इन उपर्युक्त कारकों पर विचार करेगा।

4.1.5. सामाजिक नीति पर विचार

4.1.5.1. प्रोस्पेरेट अपने परिचालनों से अपने हितधारकों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझता है तथा निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है:

- उचित श्रम एवं कार्य स्थितियां प्रदान करना;

- सभी लागू राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करें कानून;
- मानव अधिकारों का सम्मान करें;
- उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना ;
- श्रम का प्रयोग न करें , तथा बाल श्रम का प्रयोग न करें ।
- यह सुनिश्चित करें कि ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए यौन शोषण/दुर्व्यवहार नीतियां और दिशानिर्देश मौजूद हों, साथ ही एक शिकायत तंत्र भी हो, ताकि SEAH व्यवहार से प्रभावित कोई भी व्यक्ति इसे प्रबंधन के ध्यान में सुरक्षित रूप से ला सके;
- न्यूनतम के बराबर या उससे अधिक वेतन का भुगतान करें ;
- यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभों के बारे में उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाए;
- लिंग, नस्ल, रंग , जाति, विकलांगता, राजनीतिक राय, यौन अभिविन्यास, आयु, धर्म, सामाजिक या जातीय मूल, वैवाहिक स्थिति, श्रमिक संगठनों की सदस्यता, कानूनी प्रवासियों या एचआईवी स्थिति के आधार पर भर्ती, प्रगति, कार्य और प्रतिनिधित्व की शर्तों के संदर्भ में भेदभाव नहीं करना; तथा
- उपरोक्त के संबंध में कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए निवारण तंत्र उपलब्ध कराएं।

4.1.5.2. जहां प्रॉस्पेरेट अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करता है, वहां प्रॉस्पेरेट यह सुनिश्चित करेगा कि वह अपने ठेकेदारों से इस आशय का उचित प्रमाणन प्राप्त कर ले कि ठेकेदार सभी लागू राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय श्रम कानूनों का अनुपालन करता है, बलपूर्वक श्रम नहीं कराता है और बाल श्रम नहीं कराता है ; उद्योग या कानूनी राष्ट्रीय न्यूनतम के बराबर या उससे अधिक मजदूरी का भुगतान करता है; और यह कि ऐसा ठेकेदार अपने कर्मचारियों को उचित श्रम और कार्य स्थितियां प्रदान करेगा ।

4.1.5.3. उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए , प्रॉस्पेरेट ने नीतियों का एक सेट लागू किया है जिसमें 'यौन उत्पीड़न नीति', 'आचार संहिता' और 'व्हिसलब्लोअर नीति' शामिल है। हितधारक प्रॉस्पेरेट की शिकायत निवारण (इसकी वेबसाइट: https://www.prosperete.com/contactus पर उपलब्ध) तक भी पहुँच सकते हैं। इसके अलावा, कुछ मामलों में, हितधारक प्रॉस्पेरेट फंड में निवेशकों की शिकायत निवारण प्रक्रियाओं जैसे कि GCF शिकायत निवारण (https://irm.greenclimate.fund/case-register/file-complaint) तक भी पहुँच सकते हैं ।

4.1.6. कॉर्पोरेट प्रशासन नीति पर विचार

4.1.6.1. प्रोस्पेरेट में, ईमानदारी, पारदर्शिता और विश्वास सभी गतिविधियों की मूल मान्यताओं का हिस्सा हैं। प्रोस्पेरेट का यह भी मानना है कि इसकी प्रतिष्ठा और ब्रांड नाम एक मूल्यवान संपत्ति है और इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोस्पेरेट अपने कर्मचारियों से अपेक्षा करता है कि वे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संचालन में

व्यवसाय और व्यक्तिगत नैतिकता के उच्च मानकों का पालन करें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में ईमानदारी का अभ्यास करें और सभी लागू कानूनों और विनियमों का पालन करें।

4.1.6.2. प्रोस्पेरेट निम्नलिखित कॉर्पोरेट प्रशासन नीति विचारों द्वारा निर्देशित है:

- व्यावसायिक आचरण, व्यावसायिक अखंडता और उत्कृष्टता के उच्च मानकों को अपनाना;
- सभी व्यापारिक लेन-देन में ईमानदारी, निष्पक्षता और सम्मान प्रदर्शित करें ;
- परिचालन का मार्गदर्शन करने के लिए विविध एवं उच्च गुणवत्ता वाले नेतृत्व और बोर्ड को अपनाना;
- जबरन वसूली, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराध को रोकने के लिए नीतियों को अपनाना और लागू करना;
- अपने व्यावसायिक साझेदारों से प्राप्त जानकारी का उपयोग केवल व्यावसायिक संबंधों के सर्वोत्तम हित में करना तथा व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिए नहीं करना;
- वित्तीय और कर संबंधी जानकारी का उचित रूप से अभिलेखन, रिपोर्ट और समीक्षा करना;
- फर्म/कंपनी की अच्छी प्रतिष्ठा को बढ़ाना; और
- व्यावसायिक मामलों को विवेकपूर्ण ढंग से तथा उचित कौशल, सावधानी और परिश्रम के साथ प्रबंधित करें

4.1.6.3. कई नीतियां और प्रक्रियाएं लागू की हैं जिनमें शामिल हैं:

- 'भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी कानूनों के अनुपालन पर नीति';
- 'आचार संहिता ';
- 'व्हिसिलब्लोअर नीति ';
- 'यौन उत्पीड़न नीति ';
- 'धन शोधन विरोधी नीति ';
- देश के कानून और लागू प्रॉस्पेरेट नीति के अनुसार इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम

4.1.6.4. इन नीतियों को विस्तार से निर्धारित करने का उद्देश्य अस्पष्टता को कम करना, स्पष्ट प्रक्रियाएँ निर्धारित करना और वैश्विक कॉर्पोरेट प्रशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करना है। प्रॉस्पेरेट कर्मचारियों को हर समय इन नीतियों से परिचित होना होगा।

उपर्युक्त नीतियों के संबंध में संदेह या प्रश्नों के मामले में , कर्मचारी प्रत्येक नीति के तहत संबंधित प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

5. ईएसजी उद्योग विकास और दिशानिर्देश

5.1. सामाजिक मांगों, प्रत्ययी जिम्मेदारियों, विनियमों और मुद्दों की संभावित भौतिकता की बेहतर समझ से प्रेरित होकर, ESG विचार अब मुख्यधारा में आ रहा है। ESG विचारों पर ध्यान निवेशकों की बढ़ती हुई सराहना के साथ विकसित हुआ है कि गैर-वित्तीय कारक मूल्य सृजन, दीर्घकालिक कंपनी प्रदर्शन और बड़े पैमाने पर समाज के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं।

5.2. पिछले दशक में, जागरूकता के इस बढ़ते स्तर को कई संगठनों और उद्योग निकायों द्वारा बढ़ावा दिया गया है, जिन्होंने सर्वोत्तम अभ्यास पर दिशानिर्देश विकसित किए हैं। संयुक्त राष्ट्र समर्थित जिम्मेदार निवेश के सिद्धांत (" **यूएनपीआरआई** "), निवेशकों के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा तैयार किए गए, परिसंपत्ति वर्गों में निवेश निर्णयों और स्वामित्व प्रथाओं में स्थिरता और ईएसजी प्रबंधन सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। यूएनपीआरआई के समन्वय में, प्राइवेट इक्विटी ग्रोथ कैपिटल काउंसिल (" **पीईजीसीसी** ") ने विशेष रूप से निजी इक्विटी निवेश के संदर्भ में पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, श्रम, कॉर्पोरेट प्रशासन और सामाजिक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'जिम्मेदार निवेश' के लिए दिशानिर्देश विकसित किए।

5.3. इस ईएसजी नीति में शामिल सिद्धांतों को निर्धारित करते समय, निम्नलिखित दिशानिर्देशों और उद्योग सिद्धांतों पर विशेष ध्यान दिया गया है:

5.3.1. IFC प्रदर्शन मानक - IFC के पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता पर प्रदर्शन मानक ("**प्रदर्शन मानक**") विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए वैश्विक मानक माने जाते हैं। IFC में अपने पिछले वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर , प्रॉस्पेरेट के संस्थापकों ने निवेशित कंपनियों द्वारा प्रदर्शन मानकों का पालन करने के महत्व को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, जो जोखिमों और प्रभावों की पहचान करते हैं, और बताते हैं कि ऐसे जोखिमों और प्रभावों से कैसे बचा जाए, उन्हें कम किया जाए और उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। इनमें निवेशक की परियोजना -स्तरीय गतिविधियों के संबंध में प्रभावी हितधारक जुड़ाव और प्रकटीकरण के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं।

5.3.2. IFC SEAH टूलकिट (2022): यह टूलकिट निवेशकों और निवेशित व्यक्तियों को उनके संचालन में SEAH घटनाओं और व्यवहारों की संभावना की पहचान करने और कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को SEAH की घटनाओं की सुरक्षित रूप से रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए शिकायत और प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने और लागू करने के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका प्रदान करता है। एक मजबूत रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि घटनाओं की पहचान की जाए, जांच की जाए और समय पर और पारदर्शी तरीके से जवाब दिया जाए।

5.3.3. जीसीएफ पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपाय : जीसीएफ के ईएसजी सुरक्षा उपाय, व्यावसायिक परिचालनों से जुड़े जलवायु और ईएसजी जोखिमों की व्यापक समीक्षा प्रदान करते हैं। जीसीएफ सुरक्षा उपाय आईएफसी पीएस से प्राप्त होते हैं।

5.3.4. एडीबी पर्यावरण सुरक्षा - एडीबी के पर्यावरण सुरक्षा उपायों का उद्देश्य परियोजनाओं की पर्यावरणीय सुदृढ़ता और स्थिरता सुनिश्चित करना है, तथा परियोजना निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरणीय विचारों के एकीकरण का समर्थन करना है। सुरक्षा नीति वक्तव्य (एसपीएस) के अनुसार उधारकर्ताओं को परियोजना के प्रभावों की पहचान करनी होगी और उनके महत्व का आकलन करना होगा; विकल्पों की जांच करनी होगी; तथा पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना, लागू करना और उनकी निगरानी करनी होगी। एसपीएस के अनुसार उधारकर्ताओं को परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों से परामर्श करना होगा तथा समयबद्ध तरीके से तथा परामर्श प्राप्त करने वाले लोगों के लिए समझने योग्य भाषा में प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करना होगा।

5.3.5. यूएनपीआरआई - छह सिद्धांतों का एक समूह जिसका उद्देश्य निवेशकों को निवेश निर्णय लेने और स्वामित्व प्रथाओं में ईएसजी मुद्दों पर विचार करने में मदद करना है। यूएनपीआरआई सिद्धांतों पर 1,400 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता हैं - परिसंपत्ति मालिक, परिसंपत्ति प्रबंधक और सेवा संगठन।

5.3.6. संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौता - संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौता कंपनियों को मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी 'दस सिद्धांतों' के साथ अपनी रणनीतियों और संचालन को संरेखित करके जिम्मेदारी से व्यवसाय करने में सहायता करता है; और व्यापक सामाजिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक कार्रवाई करता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, जिसमें सहयोग और नवाचार पर जोर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौते पर 170 देशों में 12,000 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता (कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट) हैं और यह सर्वोत्तम प्रथाओं और संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

5.3.7. पी.ई.जी.सी.सी. - पी.ई.जी.सी.सी. ने कम्पनियों में निवेश करने तथा उनके स्वामित्व अवधि के दौरान लागू किए जाने वाले जिम्मेदार निवेश दिशा-निर्देशों को अपनाया है।

5.3.8. अन्य उद्योग दिशानिर्देश - इनमें आईएफसी ईएसजी प्रक्रिया मैनुअल, सीडीसी ईएसजी टूलकिट, आईएलपीए कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांत, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश (जैसे बीवीसीए वॉकर दिशानिर्देश) और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पीई/वीसी संघों में विभिन्न अन्य पहल शामिल हैं।

उपर्युक्त ईएसजी दिशानिर्देशों में से कुछ का अवलोकन **अनुलग्नक 'ए'** में दिया गया है ।

6. प्रॉस्पेरेट में जिम्मेदार निवेश के लिए दिशानिर्देश

प्रोस्पेरेट ने 'जिम्मेदार निवेश' के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट तैयार किया है, जिसे PEGCC से अपनाया गया है । ये कई मौजूदा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानदंडों पर आधारित हैं और प्रोस्पेरेट में संगठन के भीतर और निवेश से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं। प्रोस्पेरेट में 'जिम्मेदार निवेश' दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

6.1. जिन देशों में प्रोस्पेरेट संचालित होता है और/या निवेश करता है, वहां आईएफसी प्रदर्शन मानकों, लागू राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय श्रम कानूनों के अनुपालन के प्रति प्रतिबद्धता।

6.2. जीसीएफ ईएसजी सुरक्षा उपायों, जीसीएफ लिंग नीति और जीसीएफ स्वदेशी लोगों की नीति के प्रति प्रतिबद्ध रहें। इसमें निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन अभ्यास शामिल हैं:

- लोगों और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से बचें, और जहां बचना असंभव हो, वहां उन्हें कम करें;
- विकास लाभों तक न्यायसंगत पहुंच बढ़ाना; तथा
- कमजोर आबादी, समूहों और व्यक्तियों (महिलाओं, बच्चों और विकलांग लोगों, तथा अपने यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के आधार पर हाशिए पर पड़े लोगों सहित), स्थानीय समुदायों, स्वदेशी लोगों और लोगों और व्यक्तियों के अन्य हाशिए पर पड़े समूहों पर उचित ध्यान दें जो हमारी गतिविधियों से प्रभावित हैं या संभावित रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

6.3. ईएसजी मामलों के प्रबंधन के संबंध में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध होना ।

6.4. निवेश करने के बारे में निर्णय लेते समय तथा स्वामित्व की अवधि के दौरान लक्ष्य कंपनियों से जुड़े पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर विचार करें।

6.5. प्रासंगिक हितधारकों तक सीधे या पोर्टफोलियो कंपनियों के प्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचने और उनसे जुड़ने का प्रयास करें, जैसा कि उचित हो। प्रॉस्पेरेट विभिन्न हितधारकों के साथ नियमित रूप से बातचीत करेगा। इस तरह के जुड़ावों की एक विस्तृत रूपरेखा अनुलग्नक बी-1 में दी गई है।

6.6. उन कंपनियों को विकसित करने और बेहतर बनाने का प्रयास करें जिनमें प्रोस्पेरेट दीर्घकालिक स्थिरता के लिए निवेश करता है और ईएसजी मुद्दों सहित कई हितधारकों को लाभान्वित करता है।

6.7. ऐसे कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचों का उपयोग करने का प्रयास करें जो लेखापरीक्षा, जोखिम प्रबंधन और संभावित हितों के टकराव के क्षेत्रों में उचित स्तर की निगरानी प्रदान करें तथा मुआवजा और अन्य नीतियों को लागू करें जो मालिकों और प्रबंधन के हितों को संरेखित करें।

6.8. कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी वेतन और लाभ के भुगतान का समर्थन करना; राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों के अनुरूप सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करना; तथा प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास मानकों को लागू करना।

6.9. ऐसी नीतियों को बनाए रखना जो सार्वजनिक अधिकारियों को रिश्वतखोरी और अन्य अनुचित भुगतानों पर रोक लगाती हों, जो अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1977; यूके रिश्वतखोरी अधिनियम, 2010; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; अन्य देशों के समान कानूनों और ओईसीडी -रिश्वत विरोधी कन्वेंशन के अनुरूप हों।

6.10. अपनी निवेश गतिविधियों से प्रभावित लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि उसके निवेश उन कंपनियों तक न पहुंचें जो बाल या बलात् श्रम का उपयोग करती हैं या भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाती हैं।

6.11. सभी लिंगों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखें तथा SEAH के संबंध में नीतियां और प्रथाएं लागू करें।

6.12. यहां संबोधित मामलों पर प्रोस्पेरेट के सीमित साझेदारों को समय पर जानकारी प्रदान करना, और प्रोस्पेरेट की गतिविधियों के बारे में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए काम करना।

6.13. प्रोस्पेरेट की पोर्टफोलियो कंपनियों को इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, जो प्रोस्पेरेट के प्रत्ययी कर्तव्यों के अनुरूप हो।

प्रोस्पेरेट में 'जिम्मेदार निवेश' के लिए सभी कर्मचारियों को इन दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

खंड बी – पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली

7. प्रोस्पेरेट की ईएसजी नीति

7.1. प्रॉस्पेरेट की ईएसजी नीति यह सुनिश्चित करेगी कि इसके सभी संचालन ईएसजी से संबंधित मामलों पर विश्व स्तर पर स्वीकृत सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ सख्त अनुपालन में हों। प्रॉस्पेरेट का मानना है कि ईएसजी प्रदर्शन किसी भी कंपनी के मूल्य का एक प्रमुख निर्धारक है, और इसलिए इसने अपनी निवेश प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में ईएसजी पहलुओं को एकीकृत किया है। निम्नलिखित पैराग्राफ प्रॉस्पेरेट के भीतर ईएसजी से संबंधित मामलों के अनुपालन का वर्णन करते हैं और यह भी बताते हैं कि किस तरह से प्रॉस्पेरेट में ईएसजी से संबंधित पहलुओं को निवेश प्रक्रिया में एकीकृत किया जाता है।

7.2. <u>निवेश प्रक्रिया में ईएसजी विचारों को एकीकृत करना</u>

7.2.1. 'जिम्मेदार निवेश' के लिए प्रोस्पेरेट का दृष्टिकोण अपने निवेशों से जुड़े ESG जोखिमों का आकलन करने से शुरू होता है। जोखिमों को समझकर और उन्हें कम करके, कंपनियाँ अधिक लचीली बन सकती हैं, जिससे वे बेहतर निवेश बन सकती हैं। निवेश प्रक्रिया में और पोर्टफोलियो कंपनियों में ESG कारकों को शामिल करने से कई प्रत्यक्ष लाभ होते हैं - वित्तीय लाभ (जैसे कि कम ऊर्जा लागत, कर्मचारी टर्नओवर से संबंधित लागत और कम कर्मचारी मुआवज़ा लागत) से लेकर सामाजिक लाभ (जैसे कि कम सुरक्षा घटनाएँ, नौकरी से संतुष्टि में वृद्धि और अधिक उत्पादक कार्यबल) से लेकर बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन अवसंरचना के माध्यम से हितों के समग्र संरेखण तक।

7.2.2. यह महत्वपूर्ण है कि प्रॉस्पेरेट निवेश टीम संभावित निवेशित कंपनी के साथ ईएसजी कारकों के संबंध में सावधानीपूर्वक बातचीत करे ताकि इन कारकों की भूमिका के बारे में अधिक जागरूकता स्थापित हो सके और इसकी दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता में इन कारकों की भूमिका के बारे में अधिक जागरूकता हो। यह निवेश प्रक्रिया की शुरुआत में ईएसजी के बारे में बातचीत शुरू करके किया जा सकता है, यह स्पष्ट करते हुए कि ईएसजी मामले व्यवसाय प्रक्रिया के लिए केंद्रीय हैं और यह वर्णन करते हुए कि ईएसजी सुधार कैसे बेहतर दक्षता, बेहतर कार्यकर्ता संबंध और उत्पादकता, बेहतर प्रबंधन और बेहतर निगरानी का परिणाम दे सकते हैं।

7.2.3. इस प्रकार, प्रॉस्पेरेट ने अपनी निवेश प्रक्रिया में ESG कारकों को एकीकृत किया है, जिसमें निवेश प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के माध्यम से ESG के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन और पहचान की जाती है। नीचे हमारी ESG कार्रवाई का सारांश दिया गया है

- सहभागिता के प्रारंभिक चरणों के दौरान संभावित पोर्टफोलियो कंपनियों को हमारी ईएसजी अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करना।
- प्रारंभिक जांच प्रक्रियाओं के दौरान पहचाने गए ईएसजी जोखिमों के स्तर और प्रकृति के अनुरूप औपचारिक ईएसजी उचित परिश्रम प्रक्रिया का पालन करें।
- निवेश से पहले पहचाने गए किसी भी अंतराल के आधार पर और कंपनी के मूल्य को बढ़ाने के अवसरों के अनुरूप, निवेश के जीवनकाल के दौरान प्रदर्शन में सुधार के लिए उपयुक्त कार्य योजना निर्धारित करने हेतु पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ काम करें।
- निवेश समझौते में स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेदारियों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के साथ ईएसजी प्रतिबद्धताओं और कार्य योजनाओं को शामिल करें।
- बेहतर ईएसजी प्रदर्शन के माध्यम से व्यावसायिक मूल्य बढ़ाने के लिए निवेश की पूरी अवधि के दौरान पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ काम करना।
- बोर्ड स्तर पर नामित निदेशकों के रूप में हमारी भागीदारी में प्रत्ययी कर्तव्य के भाग के रूप में ईएसजी रणनीतिक विचारों और योजना को चैंपियन बनाना।
- निवेश के पूरे जीवनकाल में बेहतर ईएसजी प्रदर्शन के माध्यम से सृजित मूल्य की निगरानी करें तथा निकासी के समय तक सृजित कुल मूल्य को मापें।
- हमारे निवेश पोर्टफोलियो के समग्र ईएसजी प्रदर्शन पर हमारे सीमित भागीदारों और व्यापक हितधारकों को रिपोर्ट करना।

7.2.4. ईएसएमएस सत्यापन, ऑडिट और निगरानी की लागत प्रॉस्पेरेट फंड के परिचालन व्यय का हिस्सा है और इसे फंड के परिचालन व्यय के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा, बशर्ते कि अन्य स्रोतों से प्रतिपूर्ति न की जाए। आंतरिक ईएसजी टीम की लागत आम तौर पर परिचालन लागत का हिस्सा होती है । पोर्टफोलियो कंपनियों में ईएसएमएस के कार्यान्वयन से संबंधित लागत संबंधित कंपनियों द्वारा वहन की जाएगी।

7.2.5. पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा ईएसएमएस का अनुपालन न करने की स्थिति में, प्रॉस्पेरेटे स्थिति को सुधारने के लिए सभी प्रयास करेगा और कंपनी के साथ मिलकर जल्द से जल्द अनुपालन प्राप्त करने के लिए काम करेगा। यदि यह जुड़ाव सफल नहीं होता है, तो प्रॉस्पेरेटे हमारे सीमित भागीदारों की प्रतिष्ठा और अखंडता की रक्षा के लिए गंभीर और अपरिवर्तनीय उल्लंघनों के मामलों में निवेश से बाहर निकलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7.2.6. पोर्टफोलियो कंपनियों की क्षमता निर्माण, प्रॉस्पेरेट ईएसएमएस सहभागिता का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रॉस्पेरेट कंपनियों को उनकी क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए प्रतिभा, आंतरिक प्रशिक्षण और ज्ञान उपकरणों की पहचान करने में मदद करेगा। प्रॉस्पेरेट कंपनियों को बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त करने में मदद करने के लिए उद्योग निकायों के साथ भी संपर्क करेगा। जहाँ ज़रूरत होगी, प्रॉस्पेरेट कंपनियों को उनकी क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक आवधिक प्रशिक्षण और अन्य समीक्षाएँ आयोजित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों की पहचान

करने में भी मदद करेगा। इस तरह के क्षमता निर्माण की आवश्यकता हितधारकों और अन्य संस्थानों को भी हो सकती है जो कंपनी के संचालन से प्रभावित हो सकते हैं जिसके लिए प्रॉस्पेरेट पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ भी काम करेगा।

7.2.7. औपचारिक रूप से, ESG मूल्यांकन सभी निवेश प्रक्रियाओं का हिस्सा है - (i) प्रारंभिक जांच; (ii) उचित परिश्रम; (iii) निवेश निर्णय; (iv) कानूनी दस्तावेज और निश्चित समझौते; और (v) निवेश के बाद निगरानी और रिपोर्टिंग। निवेश जीवन-चक्र के हर चरण में प्रॉस्पेरेट डील टीम प्रासंगिक ESG आवश्यकताओं की जांच करेगी, जिन पर अगले चरण पर जाने से पहले विचार करने और पूरा करने की आवश्यकता है।

7.2.8. ईएसजी की जिम्मेदारी पूरी प्रॉस्पेरेट टीम का साझा प्रयास है। इसमें वरिष्ठ प्रबंधन, निवेश टीम और ईएसजी अधिकारी शामिल हैं। नीचे दी गई तालिका प्रॉस्पेरेट में ईएसजी का अवलोकन प्रदान करती है:

टीम	जिम्मेदारियों
निवेश टीमें	• समीक्षा ई एंड एस देय परिश्रम प्रतिवेदन और उपलब्ध करवाना प्रतिक्रिया • एक निवेश प्रस्ताव (आईपी) का मसौदा तैयार करना और उसे लागू करना शामिल करना ए सारांश का निष्कर्ष से ई एंड एस खुद- आकलन और संबंधित दस्तावेज़ीकरण. • सुनिश्चित करें कि E&S अनुबंध और ESAP को इसमें शामिल किया गया हैकानूनी करार साथ पोर्टफोलियो कम्पनियां. • पोर्टफोलियो कंपनियों को निवेश के बाद सहायता प्रदान करनापर्यावरण को कम करना और सामाजिक जोखिम और पूरा ईएसएपी
ईएसजी अधिकारी / जोखिम टीम	• सहायता कार्यान्वयन का ईएसएमएस और अभिनय करना चेकों पर अनुपालन साथ यह ईएसएमएस, कौन इच्छा शामिल करना ए समीक्षा का हामीदारी प्रक्रिया और सत्यापन प्राप्त किया द्वारा का रिश्ता प्रबंधक, की समीक्षा प्रलेखन और ईएसएमएस से संबंधित सभी पूर्व शर्तों को पूरा करना, साथ हीप्रलेखन संबंधित को निगरानी और रिपोर्टिंग. • पोर्टफोलियो कंपनियों के वार्षिक ईएसजी मूल्यांकन की देखरेख करना संचालित द्वारा बाहरी ई एंड एस सलाहकार.
वरिष्ठ प्रबंधन	• के समग्र कार्यान्वयन की देखरेख के लिए जिम्मेदार ईएसएमएस. • सुनिश्चित करें कि प्रबंधन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंका ई एंड एस जोखिम और प्रशिक्षण कार्यक्रमों हैं कार्यान्वित • सुनिश्चित करें कि पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता, चाहे आंतरिक हो याउचित परिश्रम करने के लिए बाहरी विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध है और प्रबंधित करना पर्यावरण और सामाजिक जोखिम, प्रदान करना शामिल है कार्यान्वयन सहायता जैसा आवश्यक को समृद्ध हो और इसके पोर्टफोलियो कम्पनियां.

बाहरी ई एंड एस सलाहकार	• ई एंड एस उचित परिश्रम मूल्यांकन में दिए गए बयानों के बारे में संभावित ग्राहकों की समझ को निर्धारित करने और सत्यापित करने के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल पर संभावित ग्राहकों के साथ सीधे संपर्क स्थापित करना। • संभावित निवेशकों से सभी संबंधित दस्तावेज प्राप्त करें। • कंपनी के साथ मिलकर ESAP को क्रियान्वित करने के लिए सिफारिशों सहित प्रोस्पेरेट को एक रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। • इस ईएसएमएस के कार्यान्वयन के अनुरूप ई एंड एस प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना। • सभी पोर्टफोलियो कंपनियों पर वार्षिक ईएसजी मूल्यांकन आयोजित करें।
बाहरी जलवायु सलाहकार	• प्रत्येक निवेशक का जलवायु जोखिम मूल्यांकन प्रदान करता है • संचालन के देशों के लिए भौगोलिक दृष्टि से जलवायु जोखिमों का मानचित्रण करता है • मूल्यांकित भौगोलिक क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन के अवसरों के बारे में जानकारी देना।
निवेश समिति	• निवेश समिति, समिति ई एंड एस सारांश और ईएसएपी सहित निवेश प्रस्ताव की समीक्षा करेगी। • निवेश समिति ईएसएपी के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी तथा टीम द्वारा उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों का निर्देश देगी।

7.2.9. निवेश अवसरों की प्रारंभिक जांच

7.2.9.1. प्रॉस्पेरेट प्रारंभिक जांच के चरण में ही प्रमुख ईएसजी जोखिमों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस चरण में प्राथमिक गतिविधि उच्च स्तर के डील-ब्रेकर्स की पहचान करना होगा, यह जांच कर कि निवेश का अवसर बहिष्करण सूची में सूचीबद्ध व्यवसायों / क्षेत्रों के अंतर्गत आता है या नहीं। **अनुलग्नक बी: बहिष्करण सूची** में गतिविधियों, व्यवसायों और क्षेत्रों की एक सूची है, जिसमें प्रॉस्पेरेट या उसका सहयोगी फंड निवेश नहीं करेगा या विचार नहीं करेगा। प्रॉस्पेरेट के निवेश पेशेवरों से अनुरोध है कि वे बहिष्करण सूची का सख्ती से पालन करें और 'बहिष्करण सूची' में सूचीबद्ध व्यवसायों / गतिविधियों / क्षेत्रों में कोई निवेश न करें या विचार न करें। इसके अलावा, निवेश पेशेवरों को यह पता चलने पर कि संभावित पोर्टफोलियो कंपनी का कोई भी हिस्सा बहिष्करण सूची में सूचीबद्ध व्यवसायों / गतिविधियों में संलग्न है , (ए)

7.2.9.2. प्रारंभिक डील स्क्रीनिंग प्रक्रिया के दौरान, प्रॉस्पेरेटे के कर्मचारी नीचे सूचीबद्ध अन्य कारकों के लिए प्रारंभिक संदर्भ जांच और स्क्रीनिंग (मीडिया खोज सहित) करेंगे। **किसी लेनदेन में शामिल प्रॉस्पेरेटे के प्रत्येक निवेश पेशेवर की यह जिम्मेदारी है कि वह इन प्रारंभिक कारकों की जांच सुनिश्चित करे और डील चर्चा के दौरान किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष को उजागर करे या जहां कोई नोट रखा गया हो, उसे संबंधित डील नोट्स में उजागर करे।** इन कारकों में शामिल हैं:

- उद्योग की प्रकृति और संबंधित जोखिम;
- श्रम संरचना और तीव्रता;
- कारखाने / साइट के दौरे के दौरान कार्य स्थितियों की समीक्षा;

- सरकारी संस्थाओं के साथ संपर्क की प्रकृति;
- सरकारी अनुबंधों से राजस्व की मात्रा;
- के संस्थापकों/विक्रेताओं के राजनीतिक संबंध ;
- व्यवसाय संचालन में नकदी का स्तर, बाजार में संस्थापकों/विक्रेताओं की प्रतिष्ठा, आदि।

7.2.9.3. राजनीतिक संबंधों का उच्च स्तर, संस्थापकों/विक्रेताओं की संदिग्ध प्रतिष्ठा, सरकारी अनुबंधों/सरकारी हस्तक्षेप का उच्च स्तर, श्रम तीव्रता का उच्च स्तर जैसे कारक महत्वपूर्ण नकारात्मक कारक हैं। बोर्ड की गुणवत्ता और स्वतंत्रता विचार करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कारक है। मुद्दे की प्रकृति, प्रारंभिक स्क्रीनिंग और संदर्भ जांच के दौरान प्राप्त फीडबैक और आंतरिक सौदे की चर्चा के आधार पर, लेनदेन को या तो छोड़ दिया जाता है या आगे की जांच के लिए अगले चरण में ले जाया जाता है।

7.2.9.4. डील चर्चा नोट में प्रस्तावित निवेश में ESG से संबंधित जोखिम का वर्गीकरण शामिल होगा। ESG से संबंधित जोखिम के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर निवेश अवसर को 'निम्न', 'मध्यम' या 'उच्च' के रूप में रेट किया जाएगा । चर्चा से पहले ESG अधिकारी द्वारा ESG वर्गीकरण की समीक्षा की जाएगी।

7.2.9.4.1. 'कम जोखिम' - प्रस्तावित निवेश को 'कम जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जहाँ संभावित पोर्टफोलियो कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में न्यूनतम (श्रेणी सी) प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक जोखिम ("ई एंड एस जोखिम") या प्रभाव होते हैं। ऐसे मामलों में, ई एंड एस जोखिम और प्रभाव आम तौर पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, श्रम मानकों और, कुछ मामलों में, कार्यालय के वातावरण में ऊर्जा दक्षता जैसे सामान्य मुद्दों तक सीमित होते हैं। यदि प्रस्तावित निवेश को 'कम जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो बाहरी ईएसजी सलाहकार का उपयोग अनिवार्य नहीं है जब तक कि निवेश टीम अन्यथा न सोचे।

7.2.9.4.2. 'मध्यम जोखिम' - प्रस्तावित निवेश को 'मध्यम जोखिम' (श्रेणी बी) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जहां व्यावसायिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप सीमित प्रतिकूल ई एंड एस जोखिम या प्रभाव होते हैं जो संख्या में कम होते हैं , आम तौर पर साइट विशिष्ट, बड़े पैमाने पर प्रतिवर्ती होते हैं, और जाने-माने शमन उपायों के माध्यम से आसानी से संबोधित किए जाते हैं। निवेश टीम प्रभाव की गंभीरता के आधार पर जोखिम को 'मध्यम-निम्न' या 'मध्यम-उच्च' के रूप में भी वर्गीकृत कर सकती है। यदि प्रस्तावित निवेश को 'मध्यम -निम्न जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो बाहरी ESG सलाहकार का उपयोग अनिवार्य नहीं है जब तक कि निवेश टीम अन्यथा न सोचे। हालाँकि, ऐसे मामलों में, जहाँ प्रस्तावित निवेश को 'मध्यम-उच्च' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, बाहरी ESG सलाहकार का उपयोग अनिवार्य है और बाहरी ESG सलाहकार द्वारा उचित

परिश्रम का दायरा निवेश टीम द्वारा तय किया जाएगा। यदि निवेश संभावित रूप से संघर्ष प्रवण स्थान में प्रस्तावित है, तो एक स्वतंत्र संघर्ष मूल्यांकन किया जाएगा।

7.2.9.4.3. 'उच्च जोखिम' - **यदि निवेश को आईएफसी प्रदर्शन मानकों के तहत उच्च जोखिम (श्रेणी ए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो प्रोस्पेरेटे निवेश के साथ आगे नहीं बढ़ेगा।**

7.2.9.5. **अनुलग्नक सी, सी-1 और सी-2 में जोखिम** वर्गीकरण में विचार किए जाने वाले प्रमुख कारकों का स्पष्ट विवरण है, साथ ही उदाहरणों और संकेतों/सुझावों के साथ। प्रॉस्पेरेट के निवेश पेशेवरों से अनुरोध है कि वे प्रत्येक जोखिम को 'कम', 'मध्यम' या 'उच्च' के रूप में वर्गीकृत करने का कारण भी स्पष्ट रूप से बताएं।

7.2.9.6. स्वदेशी लोगों पर प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। आकलन पर मार्गदर्शन अनुलग्नक डी-2 में दिया गया है

7.2.10. उचित परिश्रम के दौरान ईएसजी कारकों की गहन समीक्षा

7.2.10.1. एक बार जब कोई लेन-देन प्रारंभिक जांच से गुजर जाता है और प्रॉस्पेरेट एक गैर-बाध्यकारी टर्म शीट निष्पादित करता है, तो अवसर पर विस्तृत परिश्रम करने के लिए सौदे को और अधिक संसाधन आवंटित किए जाएंगे। इस चरण के दौरान, निवेश टीम और निवेश सलाहकार टीम संभावित पोर्टफोलियो कंपनी पर विस्तृत परिश्रम करेगी। परिश्रम की प्रक्रिया लेन-देन की प्रकृति, आकार और जटिलता पर निर्भर करेगी, लेकिन इसमें आमतौर पर परिश्रम गतिविधियों के निम्नलिखित सेट शामिल होंगे। चूंकि प्रॉस्पेरेट ने अपनी परिश्रम प्रक्रिया में ESG से संबंधित कारकों को एकीकृत किया है, इसलिए निम्नलिखित परिश्रम अभ्यासों में से प्रत्येक परिश्रम अभ्यास के दायरे के हिस्से के रूप में ESG से संबंधित कई मुद्दों को कवर करेगा:

- संस्थापकों/विक्रेताओं और प्रमुख प्रबंधन टीम और बोर्ड सदस्यों की प्रतिष्ठा और पृष्ठभूमि की जाँच;
- लेखांकन एवं वित्तीय समुचित परिश्रम;
- विधिक उचित तत्परता; और
- **विशेषज्ञ ईएसजी डीडी** ") का उपयोग करते हुए ईएसजी अधिकारी द्वारा ईएसजी से संबंधित मामलों की समुचित तत्परता ।

7.2.10.2. ऊपर उल्लिखित प्रत्येक उचित परिश्रम अभ्यास में शामिल किया जाएगा। निम्नलिखित पैराग्राफ में ESG से संबंधित मामलों की सूची दी गई है जिन्हें उचित परिश्रम अभ्यास के दौरान प्रॉस्पेरेट कर्मचारियों द्वारा कवर किया जाना चाहिए।

7.2.10.3. <u>प्रतिष्ठा और पृष्ठभूमि की जाँच</u>

7.2.10.3.1. प्रॉस्पेरेटे संभावित पोर्टफोलियो कंपनी के संस्थापक/विक्रेता और प्रबंधन पर उचित परिश्रम को अत्यधिक महत्व देता है। प्रतिष्ठा, ट्रैक रिकॉर्ड और

ईमानदारी अन्य बातों के अलावा कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनका निवेश टीम द्वारा विश्लेषण किया जाता है। किसी भी निवेश अवसर के लिए, संस्थापकों/विक्रेताओं और कंपनी के प्रबंधन पर संतोषजनक परिश्रम ही सबसे महत्वपूर्ण निवेश मानदंड है। संस्थापक/विक्रेता और प्रमुख प्रबंधन टीम की औपचारिक पृष्ठभूमि की जाँच प्रतिष्ठित फर्मों के माध्यम से की जाएगी ताकि अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके और संभावित मुद्दों का पता लगाया जा सके। यह स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक रिकॉर्ड, देश के प्रमुख स्रोतों , वैश्विक अनुपालन डेटाबेस पर आधारित प्रतिष्ठित बाहरी संसाधनों का उपयोग करके किया जाएगा, और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- संभावित पोर्टफोलियो कंपनी और संबंधित व्यक्तियों की पृष्ठभूमि और वर्तमान गतिविधियाँ;
- संभावित पोर्टफोलियो कंपनी और संबंधित व्यक्तियों की प्रतिष्ठा;
- प्रमुख संस्थापकों का चरित्र, ईमानदारी और प्रतिष्ठा;
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जाँच (काली सूची, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों की सूची, प्रतिबंध, आतंकवादी सूची, आदि);
- सार्वजनिक पंजीकरण रिकॉर्ड की समीक्षा;
- राजनीतिक संबंध/ मुद्दे;
- मुकदमेबाजी और दिवालियापन का इतिहास; आदि।

7.2.10.3.2. वे निवेश प्रक्रिया के दौरान प्रोस्पेरेट निवेश टीम द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया के लिए 'भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी कानूनों के अनुपालन पर नीति' का संदर्भ लें, जिसमें निष्कर्षों की रिपोर्टिंग और संबंधित दस्तावेजीकरण भी शामिल है।

7.2.10.4. <u>लेखांकन और वित्तीय उचित परिश्रम</u>

7.2.10.4.1. जबकि लेखांकन और वित्तीय उचित परिश्रम आमतौर पर किसी भी पोर्टफोलियो कंपनी के वित्तीय पहलुओं को कवर करता है, परिश्रम अभ्यास का दायरा निम्नलिखित ईएसजी से संबंधित मामलों को कवर करेगा।

- बहीखाता प्रक्रियाओं और लागत संग्रहण पर समीक्षा और टिप्पणी करना ;
- आंतरिक नियंत्रणों की समीक्षा और टिप्पणी करना , तथा विशेष रूप से बड़े नकद लेनदेन का परीक्षण करना;
- श्रम कानूनों के अनुपालन और अनुपालन तथा सेवानिवृत्ति संबंधी अनुपालन पर टिप्पणी - कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, न्यूनतम मजदूरी, सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, आदि; तथा

- रोके गए कर तथा अन्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर अनुपालन और उसके कारण जोखिम।

7.2.10.4.2. उक्त उचित परिश्रम अभ्यास एक बाहरी ऑडिट फर्म और आम तौर पर एक बड़ी चार लेखा फर्म द्वारा किया जाएगा। उचित परिश्रम अभ्यास के निष्कर्ष निवेश निर्णय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण इनपुट बनाते हैं और उन्हें विशेष रूप से 'निवेश ज्ञापन' में दर्ज किया जाएगा।

7.2.10.5. <u>कानूनी उचित परिश्रम</u>

7.2.10.5.1. कानूनी उचित परिश्रम एक प्रतिष्ठित कानूनी फर्म (भारत में और जहां लागू हो, भारत के बाहर भी) द्वारा किया जाएगा। कानूनी उचित परिश्रम के दायरे में कानूनी मामलों की समीक्षा के अलावा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित ESG से संबंधित मामले शामिल होंगे :

- विभिन्न लाइसेंसों की समीक्षा करना तथा उन पर टिप्पणी करना तथा संभावित पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा ऐसे लाइसेंसों के अनुपालन पर टिप्पणी करना ;
- न्यूनतम मजदूरी के अनुपालन सहित लागू श्रम कानूनों के विशिष्ट अनुपालन की समीक्षा करना ;
- अनुपालन की समीक्षा करने तथा सचिवीय एवं कॉर्पोरेट कानून के परिप्रेक्ष्य से सुधारात्मक उपायों की पहचान करने के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा; तथा
- संचालन और भ्रष्टाचार विरोधी आंतरिक नियंत्रण का आकलन करने के लिए एक उचित परिश्रम प्रश्नावली तैयार करें, प्रबंधन टीम से बात करें या उनसे मिलें और प्रश्नावली पर चर्चा करें। प्रॉस्पेरेट कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे उक्त मूल्यांकन प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया और उक्त मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्षों की रिपोर्टिंग के लिए 'भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी कानूनों के अनुपालन पर नीति' देखें।

7.2.10.5.2. पुनः, वित्तीय समुचित परिश्रम के मामले की तरह , विधिक समुचित परिश्रम के निष्कर्ष निवेश निर्णय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण इनपुट होते हैं तथा इन्हें विशेष रूप से 'निवेश ज्ञापन' में शामिल किया जाएगा।

7.2.10.6. <u>विशेषज्ञ ईएसजी डीडी</u>

7.2.10.6.1. ऐसे मामलों में जहां निवेश टीम द्वारा जोखिम का वर्गीकरण 'मध्यम' है, ईएसजी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ईएसजी डीडी अनिवार्य रूप से एक बाहरी ईएसजी सलाहकार (जिसे पहले विशेषज्ञ ईएसजी डीडी के रूप में परिभाषित किया गया था) की मदद से किया जाता है। हालांकि, ईएसजी अधिकारी के इनपुट /विचारों के आधार पर, विशेषज्ञ ईएसजी डीडी को संभावित निवेशों तक भी बढ़ाया जा सकता है जहां जोखिम वर्गीकरण 'कम' या

'मध्यम-कम' है। अनुलग्नक डी-1 में एक विशेषज्ञ ईएसजी डीडी का एक सांकेतिक दायरा/फोकस के क्षेत्र और विशेषज्ञ ईएसजी डीडी के लिए बाहरी ईएसजी सलाहकार के लिए संदर्भ की शर्तें (" टीओआर ") शामिल हैं। कवर किए जाने वाले प्रमुख तत्व नीचे अनुभाग 7 में भी शामिल हैं। प्रॉस्पेरेट निवेश टीम और ईएसजी अधिकारी उचित परिश्रम अभ्यास के दायरे को निर्धारित करने के लिए बाहरी ईएसजी सलाहकार के साथ मिलकर काम करेंगे यह केवल प्रतिनिधि है और इसे प्रत्येक निवेश अवसर, उद्योग/क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र और लक्ष्य कंपनी के व्यवसाय मॉडल की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।

7.2.10.7. <u>रिपोर्टिंग निष्कर्ष</u>

7.2.10.7.1. उपर्युक्त प्रक्रियाओं के पूरा होने पर , डील टीम किए गए कार्य का सारांश, निष्कर्षों का विवरण, ईएसजी से संबंधित मुद्दे और उनसे उत्पन्न होने वाले जोखिमों का आकलन करने वाली एक रिपोर्ट तैयार करेगी। उक्त रिपोर्ट का प्रारूप अनुलग्नक ई के रूप में संलग्न है। इस रिपोर्ट के साथ संभावित पोर्टफोलियो कंपनी में ईएसजी प्रणालियों के मूल्यांकन पर डील टीम द्वारा तैयार प्रश्नावली भी होगी। डील टीम द्वारा भरी जाने वाली चेकलिस्ट का एक टेम्प्लेट अनुलग्नक डी के रूप में संलग्न है और ईएसएमएस का मूल्यांकन अनुलग्नक एफ में है।

7.2.10.7.2. ऊपर बताए गए किसी भी उचित परिश्रम अभ्यास में किसी संभावित पोर्टफोलियो कंपनी के अपर्याप्त मानकों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और/या प्रदर्शन का पता चलता है, वहाँ प्रॉस्पेरेट और संभावित पोर्टफोलियो कंपनी का प्रबंधन (उद्योग विशेषज्ञों द्वारा उचित सहायता के साथ) उचित शमन उपायों की पहचान करेगा। डील टीम IFC प्रदर्शन के संबंध में कंपनी के ESG प्रबंधन में पहचाने गए अंतरालों का विवरण देते हुए एक योजना तैयार करेगी। मानक **("कार्य योजना")** जिसमें विशिष्ट कार्य आइटम, प्राथमिकता का क्रम, पूरा करने की समय-सीमा, प्रस्तावित जिम्मेदारियाँ और लागत शामिल हैं। कार्य योजना को ईएसजी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। कार्य योजना रिपोर्ट का प्रारूप अनुलग्नक जी में दिया गया है। पाइपलाइन कंपनियों को अपने ढांचे और कार्य योजना के विकास के लिए अनुलग्नक डी-2 से अनुलग्नक डी-5 में उपलब्ध मार्गदर्शन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

7.2.10.7.3. इस चरण के दौरान, प्रॉस्पेरेट निवेश टीम के लिए संभावित पोर्टफोलियो कंपनी पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि लक्ष्य मौजूदा व्यावसायिक प्रथाओं में ईएसजी प्रबंधन को एकीकृत करना है। प्रॉस्पेरेट निवेश टीम को वित्तीय नियंत्रकों के साथ मिलकर यह निर्धारित करने की भी आवश्यकता हो सकती है कि ईएसजी जोखिमों और प्रभावों को संबोधित करने से वित्तीय प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ सकता है।

7.2.10.7.4. प्रोस्पेरेट इस कार्य योजना के लिए संभावित पोर्टफोलियो कंपनी की प्रबंधन टीम की विशिष्ट सहमति प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

7.2.10.7.5. उपर्युक्त सभी रिपोर्टें लेनदेन के 'निवेश ज्ञापन' के साथ संलग्न होंगी।

7.2.11. निवेश निर्णय

7.2.11.1. उचित परिश्रम के पूरा होने पर, प्रॉस्पेरेट डील टीम प्रस्तावित निवेश के संबंध में प्रॉस्पेरेट निवेश समिति (या ऐसे अन्य प्राधिकरण जो समय-समय पर निवेश को मंजूरी देने के लिए नामित किए जा सकते हैं) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ईएसजी अधिकारी निवेश समिति का स्थायी सदस्य होगा। रिपोर्ट में कंपनी के व्यवसाय, बाजार विश्लेषण, विकास की संभावनाओं, वित्तीय अनुमानों, प्रमुख निवेश हाइलाइट्स, प्रमुख जोखिमों, उचित परिश्रम के दौरान पहचाने गए मुद्दों की समीक्षा, निकास परिदृश्य और पूरी की जाने वाली कोई भी अतिरिक्त शर्तें (यदि केएमपी लेनदेन को मंजूरी देने का फैसला करते हैं) का अवलोकन शामिल होगा।

7.2.11.2. उक्त रिपोर्ट के साथ ऊपर चर्चा किए गए अनुलग्नक ई, एफजी और एच तथा ऐसे अन्य दस्तावेज और सूचनाएँ होंगी, जो प्रोस्पेरेट द्वारा अपनी विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं में निर्धारित की जा सकती हैं। प्रोस्पेरेट के कर्मचारियों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे 'निवेश ज्ञापन' के साथ दी जाने वाली सूचना और दस्तावेज़ीकरण के टेम्पलेट के लिए 'भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी कानूनों के अनुपालन पर नीति' देखें। अवसर के पारंपरिक वित्तीय और व्यावसायिक प्रदर्शन पहलुओं के साथ-साथ, बोर्ड निवेश अवसर पर अंतिम निर्णय लेने से पहले ईएसजी पहलुओं, कार्य योजना और कार्य योजना की व्यवहार्यता/लागत निहितार्थों पर विचार करेगा।

7.2.12. कानूनी दस्तावेज और निश्चित समझौते

7.2.12.1. प्रॉस्पेरेट डील टीम इस बात का ध्यान रखेगी कि कानूनी दस्तावेज़ों और निश्चित समझौतों (शेयरधारकों का समझौता, शेयर सदस्यता समझौता, आदि) में उचित खंड शामिल किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक पोर्टफोलियो कंपनी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में अच्छे ईएसजी अभ्यासों को शामिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक्शन प्लान के प्रमुख तत्वों को भी निश्चित समझौतों में शामिल किया जाएगा। विशेष रूप से, इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

7.2.12.1.1. लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन पर प्रतिनिधित्व और वारंटी;

7.2.12.1.2. पोर्टफोलियो कंपनियों से औपचारिक लिखित वचनबद्धता कि वे ईएसजी मानकों के एक सेट को लागू करेंगे और उसका पालन करेंगे जो प्रोस्पेरेट के 'जिम्मेदार निवेश' दिशानिर्देशों (आईएससी प्रदर्शन मानकों, विश्व बैंक ईएचएस दिशानिर्देश, आईएफसी एसईएएच टूलकिट जैसे ईएसजी अंतर्राष्ट्रीय मानकों और दिशानिर्देशों सहित) के अनुरूप हैं। उक्त वचनबद्धता का प्रारूप अनुलग्नक एच में दिया गया है;

7.2.12.1.3. यह प्रतिनिधित्व कि कंपनी कार्य योजना का पालन करेगी और समयबद्ध तरीके से उसे क्रियान्वित करेगी; तथा

7.2.12.1.4. भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी प्रतिनिधित्व और वारंटी, तथा अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने पर दायित्व। प्रॉस्पेरेट कर्मचारियों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे उन खंडों के टेम्पलेट के लिए 'भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी कानूनों के अनुपालन पर नीति' देखें जिन्हें निश्चित समझौतों का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है।

7.2.13. निवेश पश्चात निगरानी और ईएसजी संबंधित रिपोर्टिंग

7.2.13.1. एक बार कोई निवेश किए जाने के बाद, प्रॉस्पेरेट होल्डिंग अवधि के दौरान ईएसजी पहलुओं पर पोर्टफोलियो कंपनी की बारीकी से निगरानी करने पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि 'जिम्मेदार निवेश' के सिद्धांतों को बरकरार रखा जा सके और प्रॉस्पेरेट के बाहर निकलने के समय पोर्टफोलियो कंपनी का मूल्य अधिकतम हो। सक्रिय निगरानी जोखिमों को कम करने और निरंतर सुधार के माध्यम से निवेश में मूल्य जोड़ने के अवसरों को साकार करने की कुंजी है ।

7.2.13.2. <u>निवेश के बाद निगरानी:</u> निवेश अवधि के दौरान, प्रॉस्पेरेट डील टीम निम्नलिखित कार्य करेगी:

- ईएसजी कार्यक्रम स्थापित करने के लिए पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ काम करना , जिसमें ईएसजी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए नीति का मसौदा तैयार करना और प्रक्रियाएं स्थापित करना शामिल हो सकता है ;
- पोर्टफोलियो कंपनी के आकार के आधार पर, परिचालन ईएसजी सुधार प्राप्त करने के लिए प्रबंधन को बाहरी तकनीकी सलाहकारों को शामिल करने की सलाह दें;
- पोर्टफोलियो कंपनी की व्यावसायिक योजना में ईएसजी से संबंधित मुद्दों और कार्य योजना को एकीकृत करना और तीन से पांच साल के क्षितिज के साथ एक रोडमैप तैयार करना जो ईएसजी से संबंधित मामलों पर संभावित प्रमाणन योजनाओं सहित स्पष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतक, मील के पत्थर और लक्ष्यों की पहचान करता है;
- प्राथमिकता दें और अल्पावधि या मध्यम अवधि में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें ;
- यह सुनिश्चित करना कि पोर्टफोलियो कंपनी एक मजबूत भ्रष्टाचार-विरोधी और रिश्वत-विरोधी नीति लागू करती है;
- पोर्टफोलियो कंपनी के निदेशक मंडल को ईएसजी पहलों के लिए जवाबदेह बनाना;
- आवधिक अनुपालन ऑडिट करके लागू कानूनों और विनियमों के साथ पोर्टफोलियो कंपनी के चल रहे अनुपालन की जांच करें ;

- समय-समय पर साइट का दौरा करें। कम से कम हर 6 महीने में साइट का दौरा करने से प्रॉस्पेरेट टीम को पोर्टफोलियो कंपनी की रिपोर्ट की गई जानकारी को सत्यापित करने और पोर्टफोलियो कंपनी की ESG गतिविधियों की पूरी सीमा का पता लगाने में मदद मिल सकती है;

- पोर्टफोलियो कंपनियों से संबंधित गंभीर घटनाओं की निगरानी और रिकॉर्ड करना, जिनके परिणामस्वरूप जीवन की हानि, गंभीर चोट, पर्यावरण पर भौतिक प्रभाव या कानून का भौतिक उल्लंघन होता है, तथा उचित सुधारात्मक कार्रवाई को बढ़ावा देना; और

- पोर्टफोलियो कंपनियों से ईएसजी विकास पर जानकारी एकत्र करें और पोर्टफोलियो कंपनी से ईएसजी मामलों की आवधिक रिपोर्टिंग मांगें।

7.2.13.3. निकास: पर्यावरण और सामाजिक मानकों की निरंतरता प्रदान करने के लिए, जहाँ तक संभव हो, प्रॉस्पेरेट नए निवेशक को पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा उच्च ईएसजी मानकों और अच्छे व्यवहारों की निरंतरता की आवश्यकता का प्रस्ताव देगा । प्रॉस्पेरेट टीम आने वाले निवेशकों के साथ जुड़ने, ईएसजी अंतर्दृष्टि प्रदान करने और आने वाले निवेशकों को टिकाऊ ईएसजी व्यवहारों के बारे में प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी।

7.2.13.4. ईएसजी संबंधित रिपोर्टिंग

- प्रॉस्पेरेट अपने शेयरधारकों को ESG से संबंधित मामलों पर सालाना रिपोर्ट करेगा। यह रिपोर्ट ESG पहलुओं के बारे में जानकारी को समझने योग्य और सार्थक तरीके से प्रस्तुत करेगी, और प्रॉस्पेरेट की पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए प्रतिनिधि और व्यापक होगी। वार्षिक रिपोर्ट का एक नमूना प्रारूप **अनुलग्नक । में दिया गया है** । प्रॉस्पेरेट स्तर के E&S प्रभावों का मूल्यांकन वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। प्रॉस्पेरेट समय-समय पर अपनी E&S प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा और पूरी टीम के लिए प्रशिक्षण आयोजित करेगा। प्रॉस्पेरेट शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से प्राप्त उचित और वैध शिकायतों की निगरानी, लॉग, जांच और रिपोर्ट भी करेगा।

- प्रोस्पेरेट अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों से वार्षिक ईएसजी रिपोर्ट भी एकत्रित करेगा, जिसका नमूना अनुलग्नक । में दिया गया है, प्रत्येक रिपोर्ट को कंपनी के व्यवसाय, पहचाने गए प्रमुख ईएसजी जोखिमों और सहमत ईएसएपी के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा।

- प्रॉस्पेरेटे 100-दिन, मध्य बिंदु, समापन तिथि और वार्षिक आधार पर पोर्टफोलियो कंपनी ईएसएपी की निगरानी भी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनियाँ ईएसएपी को पूरा कर रही हैं। कंपनियों से ईएसएपी के अनुपालन पर रिपोर्ट करने में सक्षम होने की अपेक्षा की जाती है

- उपर्युक्त नियमित रिपोर्टिंग के अलावा , प्रॉस्पेरेट अपने निवेशकों/शेयरधारकों को पोर्टफोलियो कंपनियों से जुड़ी किसी भी गंभीर घटना की तुरंत रिपोर्ट भी देगा,

जिसके परिणामस्वरूप जानमाल का नुकसान, पर्यावरण पर भौतिक प्रभाव या कानून का भौतिक उल्लंघन होता है। ऐसी तदर्थ रिपोर्ट अनुलग्नक जे में दिए गए मार्गदर्शन और उसमें दिए गए प्रारूप का उपयोग करके तैयार की जाएंगी। इसके अलावा, प्रॉस्पेरेट पोर्टफोलियो कंपनियों में किसी भी ईएसजी घटना के बाद उचित समय अवधि में एलपीएसी को ईएसजी घटना की रिपोर्टिंग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नीचे दी गई तालिका पोर्टफोलियो कंपनी और प्रोस्पेरेट की गतिविधियों का सारांश देती है:

	ई एंड एस डेटा सभा	**ई एंड एस वर्गीकरण**	**प्रतिष्ठा समस्याएँ**	**उपयुक्त ई एंड एस कानून**	**निवेश प्रस्ताव**
निवेशक	उपलब्ध करवाना प्रश्नावलीऔर अन्य संबंधित दस्तावेज़.				
समृद्ध हो	समीक्षा	समीक्षा	समीक्षा	समीक्षा	मसौदा
ई एंड एस सलाहकार	समीक्षा और आकलन	समीक्षा और आकलन			
पृष्ठभूमि खोज फर्म			समीक्षा करें और आकलन करें		
बाहरी कानूनी फर्म				इनपुट प्रदान करें	
निवेश समिति					फ़ैसला

8. ईएसजी परिश्रम के प्रमुख तत्व

टीम यह आकलन करेगी कि पोर्टफोलियो कंपनी के ईएसएमएस में अनुलग्नक एफ में दिए गए प्रमुख तत्व मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए:

8.1. <u>हितधारक सहभागिता</u>

8.1.1. प्रॉस्पेरेटे स्वीकार करता है कि पोर्टफोलियो कंपनियों और हितधारकों के बीच ठोस और रचनात्मक संबंध पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने और सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए आवश्यक हैं। पोर्टफोलियो कंपनियों को एक समावेशी और निरंतर प्रक्रिया के रूप में व्यावसायिक संचालन में हितधारक जुड़ाव को एकीकृत करने की आवश्यकता होगी। अपनाई गई रणनीतियों को संचालन की विशिष्ट विशेषताओं के अनुकूल बनाया जाएगा, और संसाधन और प्रयास का स्तर परियोजना के जोखिमों और प्रभावों के अनुरूप होगा। पोर्टफोलियो कंपनियों को IFC प्रदर्शन मानकों, IFC हितधारक परामर्श अच्छे अभ्यास पुस्तिका, GCF वित्तपोषित परियोजनाओं पर सार्थक हितधारक जुड़ाव को डिजाइन करने और सुनिश्चित करने पर GCF स्थिरता मार्गदर्शन नोट के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

8.1.2. प्रोस्पेरेटे जीसीएफ पर्यावरण और सामाजिक मानकों का उपयोग हितधारक जुड़ाव के लिए मार्गदर्शक उपकरण के रूप में भी करता है। हितधारक जुड़ाव में अलग-अलग डिग्री में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

- हितधारक विश्लेषण और सहभागिता योजना; पोर्टफोलियो कंपनी के परिचालन के बारे में प्रासंगिक जानकारी का प्रकटीकरण और प्रसार; सार्वजनिक परामर्श और हितधारक भागीदारी; प्रभावी शिकायत तंत्र; और प्रभावित समुदायों को निरंतर रिपोर्टिंग।

- फंड स्तर और पोर्टफोलियो कंपनी स्तर पर हितधारक सहभागिता में लैंगिक दृष्टिकोण, स्वदेशी समुदायों और हाशिए पर पड़े समुदायों के साथ परामर्श को शामिल किया जाना चाहिए।

8.1.3. अनुलग्नक डी-4 में उन विषयों की रूपरेखा दी गई है, जिन्हें आईएफसी प्रदर्शन मानक 1 के आधार पर एक व्यापक हितधारक सहभागिता योजना में शामिल किया जाना चाहिए। अनुलग्नक डी-5 में शिकायत तंत्र से संबंधित अतिरिक्त मार्गदर्शन दिया गया है, जिसे पोर्टफोलियो कंपनी स्तर पर संचालित किया जाएगा। इसके अलावा, फंड ने एक शिकायत नीति विकसित की है और वह हितधारकों को सीधे फंड प्रबंधन टीम को शिकायतें संबोधित करने की संभावना प्रदान करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा। इस तरह का तंत्र फंड की वेबसाइट के माध्यम से हितधारकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

8.2. <u>श्रम और कार्य स्थितियां</u>

8.2.1. पोर्टफोलियो कंपनियों को आईएफसी प्रदर्शन मानक 2 के अनुपालन में श्रम और कार्य स्थितियों की प्रक्रियाओं को विकसित करने और उनका पालन करने की आवश्यकता होगी। ऐसी प्रक्रियाओं में एसईएएच नीति, मानव संसाधन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस), कार्य स्थितियों और रोजगार की शर्तों, श्रमिक संगठनों के अधिकार, गैर-भेदभाव और समान अवसर, छंटनी, शिकायत तंत्र और श्रमिकों की शिकायतों के साथ-साथ बाल और जबरन श्रम से संबंधित नीतियां शामिल होंगी ।

8.2.2. अतिरिक्त परिश्रम में साइट विज़िट शामिल हो सकती है, जहाँ प्रॉस्पेरेट ॥ यह जाँच करेगा कि कंपनियाँ प्रासंगिक OHS मानकों का अनुपालन करती हैं और कर्मचारियों को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) प्रदान करती हैं। प्रॉस्पेरेट ॥ यह सुनिश्चित करने के लिए साइट विज़िट का भी उपयोग करेगा कि कंपनियों के पास उचित आपातकालीन प्रक्रियाएँ और साइनेज हैं।

8.2.3. श्रम नीतियों के विस्तार को , जहां तक प्रासंगिक और संभव हो, तीसरे पक्ष, श्रम ठेकेदारों, भर्ती एजेंसियों और अन्य तीसरे पक्षों द्वारा नियोजित श्रमिकों तक, तथा सामान्य रूप से, जहां तक लागू हो, पोर्टफोलियो कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला में संबोधित किया जाना चाहिए।

8.2.4. कंपनियों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि उनकी आपूर्ति श्रृंखला में कोई जबरन श्रम या बाल श्रम न हो । कंपनियों से उनके आपूर्तिकर्ताओं की सूची, आपूर्तिकर्ताओं के स्थान और उनकी आपूर्ति श्रृंखला में जबरन गर्भपात या बाल श्रम का आकलन मांगा जाएगा।

8.2.5. कम्पनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे SEAH, HR, और OHS प्रशिक्षण और घटनाओं का रिकॉर्ड बनाए रखें।

8.2.6. यदि इसे अपर्याप्त माना जाए तो ईएसएपी के तहत कम्पनियों को श्रम और कार्य स्थितियों के अंतर को दूर करना होगा।

8.3. <u>संसाधन दक्षता और प्रदूषण निवारण</u>

8.3.1. पोर्टफोलियो कंपनियों को आईएफसी प्रदर्शन मानक 3 के अनुपालन में संसाधन दक्षता और प्रदूषण निवारण प्रक्रियाओं को विकसित करना और उनका पालन करना आवश्यक होगा।

8.3.2. कंपनियाँ ऊर्जा, पानी, साथ ही अन्य संसाधनों और सामग्री इनपुट की खपत में दक्षता में सुधार के लिए तकनीकी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य और लागत प्रभावी उपायों को लागू करेंगी, जिसमें उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिन्हें मुख्य व्यावसायिक गतिविधियाँ माना जाता है। कंपनियाँ खतरनाक और गैर-खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादन से बचेंगी। कंपनियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे किसी भी खतरनाक अपशिष्ट का उचित तरीके से निपटान करें जिसका पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव हो।

8.3.3. कंपनियों से परिश्रम प्रक्रिया में ई-कचरा नीतियां और अनुबंध प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें किसी भी ई-कचरे के निपटान, पुन: उपयोग या पुनर्चक्रण पर उनकी रणनीति को संबोधित किया जाएगा, और यदि अपर्याप्त माना जाता है, तो ईएसएपी कंपनियों से ई-कचरे और/या अन्य संसाधन दक्षता और प्रदूषण रोकथाम अंतराल को संबोधित करने की अपेक्षा करेगा।

8.3.4. कंपनियों को स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली पर्यावरणीय घटनाओं को ट्रैक करना, लॉग करना, जांचना, निगरानी करना और रिपोर्ट करना होगा। विशेष रूप से, कंपनियों को रिपोर्ट करना होगा कि क्या कोई प्रदूषण या खतरनाक अपशिष्ट घटना पारिस्थितिकी तंत्र या स्थानीय समुदाय को अपूरणीय क्षति पहुंचाती है।

8.4. <u>सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा</u>

8.4.1. पोर्टफोलियो कंपनियों को आईएफसी प्रदर्शन मानक 5 के अनुपालन में सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा प्रक्रियाओं को विकसित करना और उनका पालन करना आवश्यक होगा।

8.4.2. कंपनियों को परियोजना के दौरान प्रभावित समुदायों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर नियमित और गैर-नियमित दोनों परिस्थितियों से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें टालने के लिए सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि प्रासंगिक हो, तो कर्मियों और संपत्तियों की सुरक्षा प्रासंगिक मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुसार और इस तरह से की जाए कि प्रभावित समुदायों के लिए जोखिम से बचा जा सके या उसे कम किया जा सके। कंपनी की नीतियों में संचालन के क्षेत्र, बुनियादी ढांचे और उपकरण डिजाइन और सुरक्षा, खतरनाक सामग्री प्रबंधन और सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया के आधार पर भी संबोधित किया जाएगा। ई-उपकरण के संबंध में, फंड ई-कचरे के निपटान, विनिर्माण के लिए सामग्री की जिम्मेदारीपूर्ण सोर्सिंग और विद्युत चुम्बकीय विकिरण के स्वास्थ्य प्रभावों का आकलन और प्रबंधन करने के लिए उभरती प्रथाओं की निगरानी करेगा।

8.4.3. वित्तपोषण कंपनियों के संबंध में, डेटा गोपनीयता और क्रेडिट जोखिम के संबंध में मजबूत उपभोक्ता संरक्षण परिश्रम स्थापित किया जाएगा और निधि द्वारा निगरानी की जाएगी। निधि वैश्विक उपभोक्ता संरक्षण सिद्धांतों का पालन करेगी। अपर्याप्त समझी जाने वाली किसी भी नीति या कार्यान्वयन के लिए जोखिमों को कम करने के लिए ESAP की आवश्यकता होगी।

8.5. <u>भूमि अधिग्रहण/अनैच्छिक पुनर्वास</u>

8.5.1. परियोजना कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण और भूमि उपयोग पर प्रतिबंध भूमि का उपयोग करने वाले समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। भौतिक या आर्थिक विस्थापन से प्रभावित समुदायों की गरीबी बढ़ सकती है और जिन क्षेत्रों में उन्हें विस्थापित किया जाता है, वहां प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ सकते हैं। इन कारणों से, फंड जब भी संभव हो अनैच्छिक पुनर्वास से बचने और अनैच्छिक पुनर्वास अपरिहार्य होने पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

8.5.2. पोर्टफ़ोलियो कंपनियों को IFC प्रदर्शन मानक 5 - भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास के अनुपालन में भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को संबोधित करना आवश्यक होगा। पोर्टफ़ोलियो कंपनियों को व्यवसाय संचालन की शुरुआत या विस्तार से पहले आयोजित ESIA के भाग के रूप में किसी भी संभावित भौतिक या आर्थिक विस्थापन की पहचान करनी होगी। मूल्यांकन में सभी स्वामित्व स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए।

8.5.3. अपरिहार्य अनैच्छिक पुनर्वास के मामलों में, पोर्टफोलियो कंपनी एक भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास या आजीविका बहाली कार्य योजना (LARP) विकसित करेगी जो समग्र उद्देश्यों द्वारा निर्देशित होगी: जबरन बेदखली से बचना, विस्थापित व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव से बचना या कम करना, नुकसान की भरपाई करना और विस्थापित व्यक्तियों की आजीविका में सुधार करना। यह प्रक्रिया प्रभावित समुदायों के उचित

सूचना प्रकटीकरण, परामर्श और भागीदारी पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें कमज़ोर लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पोर्टफोलियो कंपनी को सार्वजनिक संस्थानों के साथ सहयोग करने के तरीके भी तलाशने चाहिए। उन मामलों में जहां विस्थापन की सटीक प्रकृति अभी भी अज्ञात है, पोर्टफोलियो कंपनियां एक भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास या आजीविका बहाली ढांचा (LARF) विकसित करेंगी जो परियोजना को परिभाषित करने और आवश्यक जानकारी उपलब्ध होने के बाद विशिष्ट योजनाओं को विकसित करने के लिए सिद्धांत निर्धारित करेगी। ऐसे ढांचे IFC प्रदर्शन मानकों, GCF पर्यावरण और सामाजिक नीति, अन्य निवेशकों के मानकों और आवश्यकताओं और लागू राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किए जाएंगे। अनुलग्नक D-3 उन उद्देश्यों और घटकों पर अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करता है जिन पर LARF और LARP के लिए विचार किया जाना चाहिए।

8.6. <u>जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन</u>

8.6.1. पोर्टफोलियो कंपनियों को आईएफसी प्रदर्शन मानक 6 के अनुपालन में जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन प्रक्रियाओं और सुरक्षा को विकसित करने और उनका पालन करने की आवश्यकता होगी।

8.6.2. परिचालन की शुरुआत या विस्तार से पहले किए गए ईएसआईए के आधार पर, कंपनियाँ जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण तथा विविध पारिस्थितिकी प्रणालियों के लाभों को बनाए रखने के लिए प्रणालियाँ स्थापित करेंगी। परिचालन की प्रकृति के अनुरूप, कंपनियाँ संरक्षण आवश्यकताओं और विकास प्राथमिकताओं को एकीकृत करने वाली प्रथाओं को अपनाकर जीवित प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देंगी। कंपनियों को महत्वपूर्ण और संकटग्रस्त आवासों को खतरे में डालने या उनमें गतिविधि करने से बचना चाहिए। कंपनियों को वनों की कटाई और पाम ऑयल निर्माण सहित बहिष्कृत गतिविधियों में शामिल न होने का भी अनुपालन करना चाहिए।

8.6.3. यदि कोई कंपनी जैव विविधता या प्राकृतिक, संरक्षित या संकटग्रस्त आवासों को संभावित रूप से नुकसान पहुँचाती पाई जाती है, तो कंपनी को ESAP का अनुपालन करना चाहिए जो इन नुकसानों की पहचान करेगा और उन्हें कम करेगा। इसके अतिरिक्त, किसी कंपनी को प्राकृतिक, महत्वपूर्ण या संकटग्रस्त आवासों पर स्थायी प्रतिकूल प्रभाव वाली पर्यावरणीय घटनाओं की घटना के 5 दिन के भीतर रिपोर्ट करनी चाहिए।

8.7. <u>स्वदेशी लोग, सांस्कृतिक विरासत</u>

8.7.1. पोर्टफोलियो कंपनियों को आईएफसी प्रदर्शन मानक 7 और 8 के अनुपालन में स्वदेशी लोगों और सांस्कृतिक विरासत प्रक्रियाओं और संरक्षणों को विकसित करने और उनका पालन करने की आवश्यकता होगी।

8.7.2. परियोजनाओं को उन क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता है जहाँ स्वदेशी लोगों के समुदाय मौजूद हैं। यह देखते हुए कि स्वदेशी लोग प्रतिकूल प्रभावों के लिए विशेष रूप

से असुरक्षित हैं, पोर्टफोलियो कंपनियों को अपने पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम और प्रभाव मूल्यांकन के हिस्से के रूप में परियोजना के प्रभाव के क्षेत्र में स्वदेशी लोगों के सभी समुदायों की पहचान करने की आवश्यकता होगी।

8.7.3. कंपनियाँ प्रतिकूल प्रभावों के निर्माण, और पारंपरिक स्वामित्व के अधीन या प्रथागत उपयोग और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत के अधीन भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभावों से बचेंगी। कंपनियाँ सुनिश्चित करेंगी कि विकास प्रक्रिया स्वदेशी लोगों के मानवाधिकारों, सम्मान, आकांक्षाओं, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधन-आधारित आजीविका के लिए पूर्ण सम्मान को बढ़ावा दे। स्वदेशी लोगों के समुदायों पर परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों का अनुमान लगाना और उन्हें टालना, या जब टालना संभव न हो, तो ऐसे प्रभावों को कम करना और/या उनकी भरपाई करना। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीके से स्वदेशी लोगों के लिए सतत विकास लाभ और अवसरों को बढ़ावा देना। परियोजना के जीवन चक्र के दौरान एक परियोजना से प्रभावित स्वदेशी लोगों के साथ सूचित परामर्श और भागीदारी (ICP) के आधार पर चल रहे संबंध स्थापित करना और बनाए रखना। कंपनियां परियोजना गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभावों से सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करेंगी और इसके संरक्षण का समर्थन करेंगी तथा सांस्कृतिक विरासत के उपयोग से होने वाले लाभों के न्यायसंगत बंटवारे को बढ़ावा देंगी।

8.7.4. ऐसे मामलों में जहां प्रतिकूल प्रभावों से बचा नहीं जा सकता, पोर्टफोलियो कंपनियां आईएफसी प्रदर्शन मानक 7 के अनुसार प्रभावों को संबोधित करने और सकारात्मक प्रभाव बनाने के अवसरों का पता लगाने के लिए एक स्वदेशी लोगों की योजना विकसित करेंगी। अनुलग्नक डी-2 स्वदेशी लोगों पर अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करता है।

8.8. <u>जलवायु परिवर्तन लचीलापन और अनुकूलन</u>

8.8.1. फंड ने निवेश रणनीतियों, क्षेत्र, बाजारों और भौगोलिक क्षेत्रों में जलवायु जोखिमों का आकलन किया। ऐसा करने में, फंड ने निवेश गतिविधि के लिए जलवायु जोखिमों की एक व्यापक सूची विकसित की।

8.8.2. पोर्टफोलियो कंपनियों का मूल्यांकन जलवायु जोखिम, कुसमायोजन अनुकूलन और लचीलेपन के दृष्टिकोण से किया जाता है। फंड ने एक परियोजना जलवायु मूल्यांकन उपकरण विकसित किया है जिसका उपयोग जलवायु जोखिम और जलवायु संवेदनशील आबादी पर कंपनी के प्रभाव को मापने के लिए परिश्रम के दौरान किया जाएगा। कंपनियों को भौतिक और संक्रमण जलवायु जोखिम, प्राकृतिक खतरे और आपदा जोखिम, और जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम को एक जटिल कारक के रूप में मापने के लिए परिश्रम किया जाएगा।

8.8.3. प्रोस्पेरेट उन कंपनियों में निवेश करके सकारात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव डालेगा जो कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगी और जलवायु के प्रति संवेदनशील आबादी को जलवायु अनुकूली और लचीले उपकरण प्रदान करेंगी। कुछ कंपनियों में

कुअनुकूलन का जोखिम हो सकता है जैसा कि जलवायु जोखिम तालिका में दर्शाया गया है।

8.8.4. फंड निवेश ज्ञापन में मूल्यांकन पर रिपोर्ट करेगा। अगर फंड को लगता है कि कोई कंपनी कुरूपता में योगदान दे सकती है तो फंड कंपनी से ESAP में कुरूपता जोखिमों को संबोधित करने के लिए कहेगा।

9. प्रोस्पेरेट इम्पैक्ट फ्रेमवर्क

9.1. प्रॉस्पेरेट , अपने परिश्रम और ईएसजी रिपोर्टिंग के दौरान, इम्पैक्ट फ्रेमवर्क द्वारा परिभाषित विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंडों पर पोर्टफोलियो कंपनियों के प्रभाव को मापने के लिए अपनी माप और मूल्यांकन नीति (" **इम्पैक्ट फ्रेमवर्क ") का** उपयोग करेगा ।

9.2. प्रभाव रूपरेखा का उद्देश्य फर्म के संचालन और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों को उस सीमा तक पकड़ना है, जिस सीमा तक उन्हें प्रभावी ढंग से मापा और बेंचमार्क किया जा सकता है , ताकि स्थिरता प्रभाव का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके। प्रॉस्पेरेट को फंड स्तर पर ऐसे मेट्रिक्स को एकत्रित करने और प्रस्तुत करने और समय के साथ अपने पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

9.3. न्यूनतम प्रभाव ढांचे में जलवायु शमन और अनुकूलन परिणाम तथा जीवन पर प्रभाव का परिमाणीकरण शामिल होगा। प्रभाव ढांचे में कंपनी को लिंग कार्य योजना के अनुरूप प्रभावित महिलाओं की मात्रा का भी आकलन करना होगा।

10. जानकारी के प्रकटीकरण

10.1. प्रॉस्पेरेट निवेशकों, पोर्टफोलियो कंपनियों और राष्ट्रीय स्तर पर नामित प्राधिकरणों और स्वदेशी आबादी सहित प्रासंगिक हितधारकों के साथ अपने संचालन में पारदर्शिता और सुलभता के लिए प्रतिबद्ध है। फंड पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली का सार्वजनिक रूप से खुलासा करेगा।

10.2. प्रोस्पेरेट पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन, स्वदेशी लोगों की योजना, हितधारक जुड़ाव योजना, लिंग कार्य योजना और अन्य प्रासंगिक नीतियों को सार्वजनिक रूप से या उचित होने पर संबंधित हितधारकों को बता सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है, फंड में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध शिकायत तंत्र होगा। प्रोस्पेरेट अपने वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा में ग्रीन क्लाइमेट फंड के माध्यम से वित्त पोषित गतिविधियों की रिपोर्टिंग सार्वजनिक रूप से साझा करेगा।

10.3. प्रोस्पेरेट निवेशकों को वार्षिक रिपोर्टिंग और प्रभाव रिपोर्टिंग प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, फंड ग्रीन क्लाइमेट फंड, राष्ट्रीय स्तर पर नामित प्राधिकरणों, स्वदेशी आबादी और अन्य प्रासंगिक हितधारकों के साथ वित्त पोषित गतिविधि से प्राप्त ज्ञान और अंतर्दृष्टि साझा करना चाहता है। फंड जीसीएफ और अन्य निवेशकों को वार्षिक आधार पर पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव पर सूचना प्रकटीकरण प्रदान करेगा। जैसा कि हितधारक जुड़ाव योजना में साझा किया गया है, फंड विकास के दौरान, फंड फंड के लक्ष्यों, गतिविधियों और प्रभाव पर प्रासंगिक हितधारकों के साथ जुड़ेगा। जब उचित और आवश्यक हो, तो फंड फंड गतिविधियों से प्रभावित स्वदेशी समुदायों से स्वतंत्र, सूचित और पूर्व सहमति मांगेगा, यदि कोई हो।

10.4. जो कंपनियाँ स्पष्ट रूप से बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं या नई श्रेणी बी गतिविधियों के लिए नए निर्माण के लिए निवेश पूंजी निर्धारित करती हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि उनके पास उद्देश्य के अनुकूल ESIA हो, जिसका खुलासा गतिविधि शुरू होने से कम से कम 30 दिन पहले उनकी वेबसाइट पर किया जाएगा । ESIA के लिए LARP या IPP की आवश्यकता हो सकती है। ये रिपोर्ट अंग्रेजी में होंगी और स्थानीय भाषा में अनुवादित होंगी। कंपनी के पास सामुदायिक प्रकटीकरण के लिए परियोजना स्थल पर जानकारी उपलब्ध होगी।

10.5. जब उचित और आवश्यक हो, तो फंड पोर्टफोलियो कंपनियों के पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन और पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजनाओं का खुलासा करेगा। कंपनियों को भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कार्य योजना, आजीविका बहाली कार्य योजना, स्वदेशी लोगों की योजना और अन्य जानकारी रखने और उसका खुलासा करने की भी आवश्यकता हो सकती है जो जीसीएफ या अन्य निवेशकों द्वारा आवश्यक है। पोर्टफोलियो कंपनियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे सार्थक हितधारक जुड़ाव में शामिल हों। पोर्टफोलियो कंपनियों से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध शिकायत तंत्र रखने की अपेक्षा की जाती है।

11. ईएसएमएस ऑडिट

11.1. सामान्य तौर पर, प्रॉस्पेरेटे पोर्टफोलियो कंपनियों की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। हालांकि, विशिष्ट अवधियों में, पोर्टफोलियो कंपनियों से एक अलग ईएंडएस ऑडिट की आवश्यकता हो सकती है। इससे सहमत कार्य योजना के अनुसार कंपनियों के प्रदर्शन, समग्र अनुपालन और सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।

11.2. लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, प्रोस्पेरेटे पोर्टफोलियो कंपनियों से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त उपाय, लेखापरीक्षा आदि का अनुरोध करेगा।

11.3. ऐसे लेखापरीक्षा के लिए सांकेतिक दिशानिर्देश अनुलग्नक एफ-2 में दिए गए हैं।

12. उल्लंघन की रिपोर्टिंग

12.1. प्रोस्पेरेट अपने सभी कर्मचारियों को, जिनमें उसके निवेश प्रबंधक भी शामिल हैं, प्रोत्साहित करता है कि वे प्रोस्पेरेट, उसके निवेश प्रबंधक या उसकी किसी भी पोर्टफोलियो कंपनी में ईएसजी नीति के उल्लंघन के बारे में व्हिसलब्लोअर समिति को लिखकर बताएं।

13. ईएसजी नीति में संशोधन

13.1. प्रॉस्पेरेट ईएसजी कारकों को कंपनी के मूल्य के महत्वपूर्ण निर्धारकों के रूप में मानता है, और प्रॉस्पेरेट के 'जिम्मेदार निवेश' दिशानिर्देशों के अनुरूप इस ईएसजी नीति को लागू करेगा। प्रॉस्पेरेट समय-समय पर अपनी ईएसजी नीति की समीक्षा भी करेगा, और आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन भी करेगा।

13.2. ईएसजी नीति में निर्धारित नीतियां और प्रक्रियाएं, प्रोस्पेरेट द्वारा निर्धारित अन्य नीतियों और प्रक्रियाओं की पूरक हैं, जिनमें व्हिसलब्लोअर नीति, यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए नीति, भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी कानूनों के अनुपालन पर नीति, -धन शोधन विरोधी नीति,

इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता, पुस्तकें और रिकॉर्ड नीति, और ऐसी अन्य नीतियां शामिल हैं जिन्हें प्रोस्पेरेट समय-समय पर लागू कर सकता है।

अनुलग्नक ए : लागू ईएसजी दिशानिर्देश

ईएसजी उद्योग दिशानिर्देश और विकास – एक अवलोकन

आईएफसी प्रदर्शन मानक

निष्पादन मानक जोखिमों और प्रभावों की पहचान करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, तथा इन्हें स्थायी तरीके से व्यवसाय करने के तरीके के रूप में जोखिमों और प्रभावों से बचने, उन्हें कम करने और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें परियोजना-स्तरीय गतिविधियों के संबंध में हितधारक सहभागिता और ग्राहक के प्रकटीकरण दायित्व शामिल हैं।

आईएफसी द्वारा आठ निष्पादन मानक स्थापित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:

- प्रदर्शन मानक 1: पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन और प्रबंधन;
- प्रदर्शन मानक 2: श्रम और कार्य स्थितियां;
- प्रदर्शन मानक 3: संसाधन दक्षता और प्रदूषण रोकथाम;
- प्रदर्शन मानक 4: सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा;
- प्रदर्शन मानक 5: भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास;
- प्रदर्शन मानक 6: जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन;
- प्रदर्शन मानक 7: स्वदेशी लोग; और
- प्रदर्शन मानक 8: सांस्कृतिक विरासत।

विश्व बैंक समूह पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशानिर्देश (" **ईएचएस दिशानिर्देश** ") तकनीकी संदर्भ दस्तावेज हैं, जिनमें अच्छे अंतरराष्ट्रीय उद्योग अभ्यास के सामान्य और उद्योग-विशिष्ट उदाहरण हैं। ईएचएस दिशानिर्देशों में प्रदर्शन स्तर और उपाय शामिल हैं जो आम तौर पर आईएफसी को स्वीकार्य हैं, और जिन्हें आम तौर पर मौजूदा तकनीक द्वारा उचित लागत पर नई सुविधाओं में प्राप्त करने योग्य माना जाता है। सामान्य ईएचएस दिशानिर्देश में क्रॉस-कटिंग पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दों पर जानकारी शामिल है जो संभावित रूप से सभी उद्योग क्षेत्रों पर लागू होती है। इसका उपयोग प्रासंगिक उद्योग क्षेत्र दिशानिर्देशों के साथ किया जाना चाहिए।

एडीबी पर्यावरण सुरक्षा

जुलाई 2009 में ADB के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत, सुरक्षा नीति वक्तव्य (SPS) पर्यावरण, अनैच्छिक पुनर्वास और स्वदेशी लोगों पर तीन पिछली सुरक्षा नीतियों पर आधारित है, और उन्हें एक समेकित नीति ढांचे में लाता है जो प्रभावशीलता और प्रासंगिकता को बढ़ाता है। SPS 20 जनवरी 2010 के बाद ADB के प्रबंधन द्वारा समीक्षा की गई सभी ADB समर्थित परियोजनाओं पर लागू होता है। ADB परियोजना समीक्षा और पर्यवेक्षण, और क्षमता विकास सहायता के माध्यम से नीति सिद्धांतों और आवश्यकताओं को व्यवहार में लाने के लिए उधारकर्ताओं के साथ काम करता है। SPS परियोजना डिजाइन और कार्यान्वयन में प्रभावित लोगों और अन्य हितधारकों द्वारा भागीदारी के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। इनमें शामिल हैं:

A) पर्यावरण सुरक्षा
B) अनैच्छिक पुनर्वास
C) स्वदेशी लोगों पर नीति

यूएनपीआरआई

संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित जिम्मेदार निवेश पहल के सिद्धांत (" **यूएनपीआरआई** ") निवेशकों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जो 'जिम्मेदार निवेश' के छह सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए मिलकर काम कर रहा है। इसका लक्ष्य निवेशकों के लिए स्थिरता के निहितार्थों को समझना और हस्ताक्षरकर्ताओं को इन मुद्दों को उनके निवेश निर्णय लेने और स्वामित्व प्रथाओं में शामिल करने में सहायता करना है। सिद्धांत स्वैच्छिक और आकांक्षात्मक हैं। वे परिसंपत्ति वर्गों में निवेश प्रथाओं में ईएसजी मुद्दों को शामिल करने के लिए संभावित कार्यों की एक सूची प्रदान करते हैं। 'जिम्मेदार निवेश' एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे प्रत्येक संगठन की निवेश रणनीति, दृष्टिकोण और संसाधनों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। सिद्धांतों को बड़े, विविधतापूर्ण, संस्थागत निवेशकों की निवेश शैलियों के अनुकूल बनाया गया है जो पारंपरिक फिड्युसरी ढांचे के भीतर काम करते हैं।

यूएनपीआरआई द्वारा 'जिम्मेदार निवेश' के छह सिद्धांत हैं:

1. निवेश विश्लेषण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में ईएसजी मुद्दों को शामिल करना;
2. सक्रिय स्वामी बनें और स्वामित्व नीतियों और प्रथाओं में ईएसजी मुद्दों को शामिल करें;
3. जिन संस्थाओं में निवेश किया गया है, उनसे ईएसजी मुद्दों पर उचित प्रकटीकरण की मांग करना;
4. निवेश उद्योग के भीतर सिद्धांतों की स्वीकृति और कार्यान्वयन को बढ़ावा देना ;
5. सिद्धांतों के कार्यान्वयन में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना; और
6. सिद्धांतों के कार्यान्वयन की दिशा में गतिविधियों और प्रगति पर रिपोर्ट।

जीसीएफ पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा और स्वदेशी लोगों की नीति

ग्रीन क्लाइमेट फंड सतत विकास के संदर्भ में कम उत्सर्जन और जलवायु-लचीले विकास मार्गों की ओर प्रतिमान बदलाव को बढ़ावा देने के अपने अधिदेश को पूरा करने में, जीसीएफ प्रभावी रूप से और समान रूप से पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का प्रबंधन करेगा, और सभी जीसीएफ-वित्तपोषित गतिविधियों के परिणामों में सुधार करेगा। सुरक्षा उपाय जीसीएफ वित्तपोषण प्राप्त करने वाली परियोजनाओं में ऐसे जोखिमों के प्रबंधन के तरीके प्रदान करते हैं।

ग्रीन क्लाइमेट फंड स्वदेशी लोगों की नीति, जिसे निर्णय बी.19/11 द्वारा अपनाया गया और 1-मार्च-2018 को जारी किया गया। जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन की दिशा में काम करते हुए स्वदेशी लोगों की परिस्थितियों को निर्णय लेने में शामिल करने का दृष्टिकोण निर्धारित करता है।

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौता

संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट कम्पनियों को मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण और -भ्रष्टाचार विरोधी 'दस सिद्धांतों' के साथ अपनी रणनीतियों और संचालन को संरेखित करके जिम्मेदारी से व्यापार करने में सहायता करता है; तथा सहयोग और नवाचार पर जोर देते हुए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों जैसे व्यापक सामाजिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक कार्रवाई करता है।

संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के दस सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

- मानव अधिकार
    1. व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित मानव अधिकारों के संरक्षण का समर्थन और सम्मान करना चाहिए; तथा
    2. यह सुनिश्चित करें कि वे मानवाधिकार हनन में संलिप्त न हों।

- श्रम मानक
    3. सौदेबाजी के अधिकार की प्रभावी मान्यता को बनाए रखना चाहिए ;
    4. सभी प्रकार के बलात् एवं अनिवार्य श्रम का उन्मूलन;
    5. बाल श्रम का प्रभावी उन्मूलन; और
    6. रोजगार एवं व्यवसाय के संबंध में भेदभाव का उन्मूलन।

- पर्यावरण
    7. चुनौतियों के प्रति एहतियाती दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ;
    8. अधिक पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए पहल करना; और
    9. पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रसार को प्रोत्साहित करना।

- भ्रष्टाचार निरोधक
    10. व्यवसायों को जबरन वसूली और रिश्वतखोरी सहित सभी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना चाहिए।

पीईजीसीसी

PEGCC के सदस्यों ने व्यापक जिम्मेदार निवेश दिशा-निर्देशों का एक सेट अपनाया है जिसे वे कंपनियों में निवेश करने से पहले और उनके स्वामित्व की अवधि के दौरान लागू करेंगे। दिशा-निर्देश पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, श्रम, कॉर्पोरेट प्रशासन और सामाजिक मुद्दों को कवर करते हैं। ये दिशा-निर्देश PEGCC के सदस्यों और दुनिया के प्रमुख संस्थागत निवेशकों के एक समूह के बीच एक संवाद से विकसित हुए हैं, जो UNPRI की छत्रछाया में हुआ था।

अन्य उद्योग दिशानिर्देश

ईएसजी के क्रियान्वयन और निगरानी पर मार्गदर्शन कई संगठनों के साथ उभर रहा है, जिसमें फंड, परामर्शदाता, बहुपक्षीय एजेंसियां और सार्वजनिक संस्थान शामिल हैं जो मेट्रिक्स और दिशानिर्देश विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, यूनाइटेड किंगडम में सीडीसी, एशिया में एडीबी ने ईएसजी प्रबंधन के लिए उपकरण और दिशानिर्देश तैयार किए हैं जो अक्सर एक मजबूत ईएसजी नीति को लागू करने के इच्छुक निवेशकों और फंड प्रबंधकों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण और संदर्भ बिंदु के रूप में काम करते हैं।

अनुलग्नक बी : बहिष्करण सूची

बहिष्करण सूची में ऐसे क्षेत्रों, व्यवसायों या गतिविधियों की पहचान की गई है, जिनमें प्रोस्पेरेट को निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें स्वाभाविक रूप से अस्थिर माना जाता है और/या वे प्रोस्पेरेट और प्रोस्पेरेट के निवेशकों की नैतिक दृष्टि के अनुरूप नहीं हैं।

निम्नलिखित व्यवसाय, क्षेत्र या गतिविधियाँ प्रोस्पेरेट के लिए बहिष्करण सूची का हिस्सा हैं:

- किसी भी उत्पाद या गतिविधि का उत्पादन या व्यापार जो लागू स्थानीय या राष्ट्रीय कानूनों या नियमों के तहत अवैध माना जाता है या वैश्विक सम्मेलनों और समझौतों में परिभाषित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत चरणबद्ध समाप्ति या प्रतिबंध के अधीन है, जैसे कि:
  - रसायन, कीटनाशक और अपशिष्ट जो जीवन/पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं,
  - ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ;
  - संकटग्रस्त या संरक्षित वन्यजीव या वन्यजीव उत्पाद; तथा
  - 2.5 किलोमीटर से अधिक लंबाई के जाल का उपयोग करके ब्लास्ट फिशिंग और ड्रिफ्ट नेट फिशिंग जैसी गैर-टिकाऊ मछली पकड़ने की विधियां ।
- हथियारों का उत्पादन या व्यापार, (अर्थात् हथियार, युद्ध सामग्री, जो मुख्य रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए डिजाइन या नामित हों);
- फाइबर का उत्पादन, उपयोग या व्यापार ;
- रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्पादन या व्यापार; तथा
- वेश्यावृत्ति.

कोई भी व्यवसाय, यदि निम्नलिखित में से कोई भी गतिविधि ऐसे व्यवसाय का पर्याप्त भाग दर्शाती है (कंपनियों के लिए "पर्याप्त भाग" का अर्थ है उनकी समेकित बैलेंस शीट या आय का 10% से अधिक, और वित्तीय संस्थानों के लिए इसका अर्थ है उनके अंतर्निहित पोर्टफोलियो वॉल्यूम का 10% से अधिक):

- अश्लील साहित्य; और
- तम्बाकू या तम्बाकू से संबंधित उत्पाद।

अनुलग्नक बी -1: प्रोस्पेरेट में हितधारक सहभागिता

तालिका में प्रोस्पेरेट के विभिन्न हितधारकों के साथ सहभागिता हेतु एक सांकेतिक योजना की रूपरेखा दी गई है।

वर्ग	प्रमुख हितधारकों	रुचि और प्रभाव का स्तर	रणनीति
1. पाइपलाइन कम्पनियाँ	1.1 प्रारंभिक और मध्य चरण की कंपनियाँ	ये कंपनियाँ प्रोस्पेरेट के बड़े पैमाने पर जलवायु समाधान बनाने के लक्ष्यों से जुड़ी हुई हैं। फंड के प्राथमिक प्राप्तकर्ता के रूप में, उनकी उच्च रुचि और प्रभाव है।	प्रबंधन टीमों के साथ सक्रिय सहभागिता, ताकि उनकी रणनीतियों, व्यवसाय मॉडल और प्रॉस्पेरेट के वाणिज्यिक और प्रभाव अधिदेश के साथ संरेखण को समझा जा सके। निवेश के बाद, प्रॉस्पेरेट वित्तीय प्रदर्शन, प्राप्त प्रभाव और ईएसजी पर कॉर्पोरेट प्रशासन और चल रही निर्धारित रिपोर्टिंग के माध्यम से बारीकी से निगरानी करेगा।
	1.2 त्वरक और अनुसंधान संस्थान	चूंकि वे सीधे निवेश कोष में शामिल नहीं हैं, इसलिए उनका प्रभाव कम है। प्रॉस्पेरेटे आने वाले नवाचार को समझने और बाजार की समझ हासिल करने के लिए ऐसे संस्थानों के साथ जुड़ेगा।	जब हितों में तालमेल होगा तो प्रॉस्पेरेट इन हितधारकों को शामिल करेगा। इन प्रतिनिधियों को ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रमों और गोलमेजों में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया जाएगा।
	1.3 अंतिम चरण के निवेशक	इन निवेशकों की उच्च रुचि और प्रभाव है क्योंकि वे विकास-चरण से परे पूंजी प्रदान करते हैं और जलवायु समाधानों की निरंतर सफलता सुनिश्चित करते हैं	प्रॉस्पेरेटे अंतिम चरण के निवेशकों के साथ पोर्टफोलियो और पाइपलाइन कंपनियों पर चर्चा करेगी तथा रणनीति और पूंजी की उपलब्धता के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए निकास चर्चाओं में शामिल होगी।
2. पार्टनर फंड	2.1 उभरते बाजारों में संभावित साझेदार फंड	संभावित सह-निवेशक और क्षेत्रीय विशेषज्ञता प्रदाता के रूप में, इन फंडों की रुचि मध्यम और प्रभाव कम है।	प्रॉस्पेरेट में पाइपलाइन और पोर्टफोलियो कंपनियों पर चर्चा करने के लिए नियमित ताल होगी। प्रॉस्पेरेट ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान भी करेगा। कंपनी-विशिष्ट निवेश और योजनाओं के लिए विशिष्ट बातचीत हो सकती है।
3. निवेशकों	3.1 प्रोस्पेरेट एलपी या अन्य निवेशक	ये हितधारक क्षेत्रों और बाजारों को पूंजी के आवंटन के माध्यम से जलवायु समाधानों को गति प्रदान करते हैं। उनका प्रभाव और रुचि उच्च स्तर की है क्योंकि उन्होंने या तो प्रोस्पेरेट में योगदान दिया है या पोर्टफोलियो / पाइपलाइन कंपनियों में निवेशक हैं।	प्रॉस्पेरेट लगातार बातचीत के माध्यम से एलपी के साथ जुड़ाव का प्रबंधन करेगा। प्रॉस्पेरेट अपने निवेशकों को समय-समय पर रिपोर्टिंग भी प्रदान करेगा। फंड कंपनी-विशिष्ट कार्यों पर चर्चा करने के लिए सह-निवेशकों के साथ बैठकें भी आयोजित करेगा।
4. सरकारी संस्थाएं	4.1 राष्ट्रीय स्तर पर नामित प्राधिकरण	जीसीएफ फंडिंग के माध्यम से, राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (एनडीए) प्रोस्पेरेट की गतिविधियों में उच्च स्तर का प्रभाव बनाए रखते हैं।	जिन देशों में प्रॉस्पेरेटे काम करता है, उनके लिए जीसीएफ एनडीए को सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। व्यक्तियों को फंड की विशेषताओं और प्रदर्शन पर प्रकाश डालने वाली आवधिक रिपोर्टिंग भी प्राप्त होगी।

	4.2 नीति निर्माता	जलवायु समाधानों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण के विकास में नीति निर्माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनका प्रभाव बहुत अधिक होता है और उनमें मध्यम स्तर की रुचि होती है।	प्रोस्पेरेट नियमित रूप से नीति निर्माताओं से मिलकर संभावित हस्तक्षेपों का सुझाव देगा, जिससे जलवायु समाधानों में तेजी आ सके और उद्योगों को सरकार के सुझावों को शामिल करने के लिए इंटरफेस मिल सके।
5. थिंक टैंक और नागरिक समाज संगठन	5.1 उद्योग संगठन	इन संगठनों की रुचि मध्यम और प्रभाव उच्च है क्योंकि वे क्षेत्र ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास करते हैं।	प्रोस्पेरेटे अपने अनुभवों को साझा करने के लिए सम्मेलन और गोलमेज बैठकों में भाग लेगा।
	5.2 महिला समूह	महिला समूहों का प्रभाव मध्यम है और उनकी रुचि अधिक है, क्योंकि लैंगिक परिणाम प्रोस्पेरेट के परिणामों के लिए महत्वपूर्ण हैं।	प्रोस्पेरेटे निवेश में महिलाओं के लिए परामर्श संबंधी हस्तक्षेप करेगी तथा अपनी लिंग नीति के अनुसार फंड स्तर और पोर्टफोलियो कंपनियों दोनों पर लिंग परिणामों की निगरानी करेगी।
	5.3 नागरिक समाज संगठन	कम प्रतिनिधित्व वाले, कम सेवा प्राप्त और हाशिए पर पड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों के साथ जुड़ने से ईएसएमएस और शिकायत तंत्र के कार्यान्वयन की जानकारी मिलेगी	यदि निधि को विशिष्ट पर्यावरणीय एवं सामाजिक मुद्दों पर सहायता की आवश्यकता हो तो नागरिक संगठनों और अन्य एसोसिएशनों से परामर्श किया जा सकता है।
6. लाभार्थी और अंतिम उपयोगकर्ता	6.1 समाधानों के प्रमुख ग्राहक, जैसे पंप, ऊर्जा दक्षता समाधान, ईवी, अन्य समाधानों के खरीदार	लाभार्थियों के लिए सार्थक प्रभाव पैदा करना प्रॉस्पेरेट ग्रोथ फंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। लाभार्थी और अंतिम उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ हमारे जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में कार्य करेगी	प्रॉस्पेरेटे परिश्रम के चरण में अंतिम उपयोगकर्ताओं से फीडबैक प्राप्त करेगा और साथ ही समय-समय पर अपने निवेशों को पोस्ट भी करेगा। फंड स्तर पर, प्रॉस्पेरेटे के पास अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र है।
7. उद्योग विशेषज्ञ	7.1 प्रोस्पेरेट ग्लोबल एक्सपर्ट नेटवर्क और ग्लोबल काउंसिल	प्रोस्पेरेट के विशेषज्ञ नेटवर्क में कम रुचि और मध्यम प्रभाव होगा क्योंकि वे क्यूरेटेड इंटरैक्शन के लिए उद्योग विशेषज्ञों के रूप में कार्य करते हैं	प्रॉस्पेरेट रणनीतिक दिशा और प्रकॉर्पोरेट प्रशासन के लिए नियमित रूप से अपनी वैश्विक परिषद के साथ बातचीत करेगा। प्रॉस्पेरेट प्रभाव और वाणिज्यिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए निवेश के बाद कंपनी-विशिष्ट परिश्रम या सलाह के लिए विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

अनुलग्नक सी : ईएस अंतर्निहित जोखिम

ई एंड एस अंतर्निहित जोखिम / प्रभाव वर्गीकरण - सांकेतिक मानदंड

सामान्य सिद्धांतों:

1. प्रोस्पेरेट उन परियोजनाओं में निवेश नहीं करेगा जिनमें पुनर्वास और/या आर्थिक विस्थापन के मुद्दे शामिल हों, जब तक कि ये न्यूनतम और मामूली न हों;
2. आईपी, जैव विविधता आदि से संबंधित जोखिमों के लिए विशेष विश्लेषण की आवश्यकता होगी और आमतौर पर ऐसे जोखिम प्रोस्पेरेट के लिए "अस्वीकृति" का कारण बनेंगे
3. प्रॉस्पेरेट परियोजना क्षेत्र में किसी भी विवाद पर विशेष ध्यान देगा, क्योंकि इससे संबंधित जटिलताएं हो सकती हैं, जिनमें आईपी के लिए जोखिम, आजीविका का नुकसान और कंपनी के संचालन में एसईएएच की चिंताएं शामिल हैं।

जोखिम श्रेणी	संकेत और सुझाव	उदाहरण
कम न्यूनतम प्रतिकूल E&S जोखिम या प्रभाव वाली व्यावसायिक गतिविधियाँ । E&S जोखिम और प्रभाव आम तौर पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, श्रम मानकों और, कुछ मामलों में, कार्यालय वातावरण में ऊर्जा दक्षता (IFC श्रेणी C) जैसे सामान्य मुद्दों तक सीमित होते हैं।	बुनियादी ई एंड एस डीडी अभी भी किया जाएगा। प्रॉस्पेरेट डीडी, निगरानी और स्वामित्व के दौरान बुनियादी जांच (जैसे श्रम अधिकार, यौन शोषण / दुर्व्यवहार, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा) करेगा ताकि कंपनी के ई एंड एस प्रबंधन प्रथाओं की पर्याप्तता को सत्यापित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ई एंड एस जोखिम और प्रभाव समय के साथ महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदले हैं।	• कार्यालय आधारित व्यवसाय. • व्यावसायिक सेवाएँ (जैसे कानूनी फर्म, प्रबंधन सलाहकार, लेखाकार)। • छोटी शैक्षणिक सुविधाएं. • समग्र जोखिम रेटिंग में अप्रत्यक्ष प्रभावों को ध्यान में रखा जाएगा।
मध्यम सीमित प्रतिकूल पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिम या प्रभाव की संभावना वाली व्यावसायिक गतिविधियां, जो संख्या में कम हों , सामान्यतः स्थान-विशिष्ट हों, बड़े पैमाने पर प्रतिवर्ती हों, तथा सुविदित न्यूनीकरण उपायों के माध्यम से आसानी से	प्रॉस्पेरेट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश नहीं करेगा। संदर्भ केवल सांकेतिक उद्देश्य के लिए दिया गया है। पहचाने गए जोखिमों और प्रभावों के पैमाने और विविधता के आधार पर मध्यम-निम्न और मध्यम-उच्च में विभाजित किया जाएगा । मध्यम-उच्च जोखिम वाले लेनदेन के मामले में, ईएसजी अधिकारी डीडी में सहायता के लिए बाहरी विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकता है।	*आधारभूत संरचना* • छोटे पैमाने के बांध, जलाशय, वानिकी और कृषि। • छोटे बुनियादी ढांचे या औद्योगिक विकास (जैसे हल्के औद्योगिक पार्क)। • मध्यम निर्माण (आमतौर पर मौजूदा व्यवसाय के भीतर नवीनीकरण या विस्तार)। • मौजूदा बुनियादी ढांचे में छोटे से मध्यम स्तर का उन्नयन। • दूरसंचार. *पर्यटन और आतिथ्य* • छोटे से मध्यम स्तर के अस्पताल एवं चिकित्सा सुविधाएं।

संबोधित की जा सकें (आईएफसी श्रेणी बी)।		• छोटे पैमाने की विद्युत सुविधाएं (उच्च जोखिम सीमा देखें)। • गैर-खतरनाक माल के लिए मध्यम स्तर की, सड़क-आधारित लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ। *उत्पादन* • खाद्य एवं पेय प्रसंस्करण। • फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) का विनिर्माण । • इंजेक्शन मोल्डिंग । • वस्त्र. • ऑटोमोबाइल घटक (लघु पैमाने)
जोखिम श्रेणी	**संकेत और सुझाव**	**उदाहरण**
उच्च महत्वपूर्ण प्रतिकूल E&S जोखिम/प्रभाव वाली व्यावसायिक गतिविधियाँ जो विविध, अपरिवर्तनीय या अभूतपूर्व हैं। प्रभावों को कम नहीं किया जा सकता है, या, यदि उन्हें कम किया जा सकता है, लेकिन केवल महत्वपूर्ण लागत पर (IFC श्रेणी A)। वे व्यवसाय जो IFC प्रदर्शन मानकों के व्यापक अनुप्रयोग को ट्रिगर करते हैं	ये निवेश अवसर आमतौर पर 'अनुपयुक्त' सौदे होते हैं।	*आधारभूत संरचना* • रेलवे, बंदरगाह, बन्दरगाह और टर्मिनल, हवाई अड्डे, टोल सड़कें और लंबी दूरी की पाइपलाइनें। • बड़े बांध, नये या मौजूदा ताप विद्युत या नदी-प्रवाह विद्युत संयंत्र (>50 मेगावाट) और पवन पार्क (>100 मेगावाट)। • अपशिष्ट प्रबंधन/अपशिष्ट उपचार सुविधाएं। *तेल और गैस* • अपतटीय/तटीय तेल एवं गैस विकास। • तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) सुविधाएं। • बड़े पैमाने पर प्राथमिक उत्पादन (पौधे/पशु)। • वानिकी एवं वृक्षारोपण। • कृषि एवं जलकृषि। *भारी विनिर्माण/ रसायन* • सीमेंट, चूना और कांच निर्माण। • ढलाई कारखाने, इस्पात मिलें और आधार धातु प्रगलन और शोधन। • लुगदी और कागज मिलें. • कोयला, प्राकृतिक गैस और ओलियो रसायन प्रसंस्करण। • कीटनाशक तथा नाइट्रोजन और फॉस्फेट आधारित उर्वरक उत्पादन।

		• पेट्रोलियम शोधन और बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम आधारित पॉलिमर और/या कार्बनिक रसायन विनिर्माण। • बड़े पैमाने पर अकार्बनिक यौगिकों का विनिर्माण। • वस्त्र (बड़े पैमाने पर). *खनन* • खनन, खुले गड्ढे और भूमिगत दोनों। ब्राउनफील्ड विस्तार को कुछ परिस्थितियों में मध्यम जोखिम माना जा सकता है।

अनुलग्नक सी-1 : क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रॉस्पेरेट फोकस के क्षेत्रों में ई एंड एस जोखिम और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	क्षेत्र का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
ऊर्जा संक्रमण			
वितरित नवीकरणीय (+ भंडारण)	घरों और वाणिज्यिक एवं औद्योगिक सौर ऊर्जा के लिए सौर गृह प्रणालियाँ, जिनमें मिनी ग्रिड भी शामिल हैं	➢ एल्युमीनियम और तांबे के संसाधन सामग्री निष्कर्षण और उपकरणों के विनिर्माण के दौरान पर्यावरण प्रदूषण (जीएचजी उत्सर्जन सहित) । ➢ आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन. ➢ सौर पैनलों का निपटान. ➢ खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन से पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम। ➢ सौर समाधानों के निर्माण और रखरखाव में अत्यधिक जल खपत। ➢ मॉड्यूलों के निर्माण, स्थापना और सफाई के दौरान परियोजना टीम के श्रमिकों के लिए सुरक्षा जोखिम। ➢ सौर पैनलों में खतरनाक अपशिष्ट को संभालने वाले श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम।	➢ प्रत्यक्ष परिचालन और निकटवर्ती समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करना। ➢ ई-कचरे और खतरनाक कचरे की रीसाइक्लिंग और पुनः उपयोग को लागू करें। कचरा रीसाइकिल करने वालों के साथ एक ए.एम.सी. बनाएं। ➢ टिकाऊ आपूर्तिकर्ता आचार संहिता (आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन में कमी पर ध्यान देने के साथ) के माध्यम से आपूर्तिकर्ता स्तर पर वृत्ताकार अर्थव्यवस्था सिद्धांतों का समर्थन और प्रचार करना। ➢ जिम्मेदारीपूर्वक सोर्सिंग में संलग्न हों। ➢ व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समुचित तत्परता (ESDD [2]और ESMS [3]कार्यान्वयन के भाग के रूप में)।
ऊर्जा भंडारण (मुख्यतः बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ)	ग्रिड से जुड़े भंडारण उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए ऊर्जा भंडारण समाधान, विशेष रूप से वे जो नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों की	➢ लिथियम, कोबाल्ट और निकल के संसाधन सामग्री निष्कर्षण के दौरान पर्यावरण प्रदूषण (जीएचजी उत्सर्जन सहित)। ➢ विनिर्माण स्तर पर रासायनिक प्रसंस्करण के दौरान खतरनाक अपशिष्ट का सृजन एवं निपटान। ➢ प्रयुक्त बैटरियों के निपटान से पर्यावरण प्रदूषण। ➢ विनिर्माण एवं रखरखाव में अत्यधिक जल खपत।	➢ प्रत्यक्ष परिचालन और निकटवर्ती समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करना। ➢ ई-कचरे और खतरनाक कचरे की रीसाइक्लिंग और पुनः उपयोग को लागू करें। कचरा रीसाइकिल करने वालों के साथ एक ए.एम.सी. बनाएं।

[2]पर्यावरण और सामाजिक परिश्रम
[3]पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणालियाँ

अनुलग्नक सी-1 : क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रॉस्पेरेट फोकस के क्षेत्रों में ई एंड एस जोखिम और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	क्षेत्र का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
	उपयोगिता को बढ़ाते हैं (जैसे घरेलू ऊर्जा भंडारण)	➢ निर्माण, स्थापना और रखरखाव के दौरान परियोजना टीम के श्रमिकों के लिए सुरक्षा जोखिम। ➢ नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन के कारण कार्यबल का नौकरी से विस्थापन। ➢ प्रयुक्त बैटरी अपशिष्ट को संभालने वाले श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिम।	➢ टिकाऊ आपूर्तिकर्ता आचार संहिता (आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन में कमी पर ध्यान देने के साथ) के माध्यम से आपूर्तिकर्ता स्तर पर वृत्ताकार अर्थव्यवस्था सिद्धांतों का समर्थन और प्रचार करना। ➢ जिम्मेदारीपूर्वक सोर्सिंग में संलग्न हों। ➢ व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समुचित तत्परता (ESDD और ESMS कार्यान्वयन के भाग के रूप में)। ➢ न्यायोचित परिवर्तन के लिए पुनः कौशलीकरण और उन्नतीकरण कार्यक्रमों में निवेश करें।
बैटरी रीसाइकिलिंग / 2nd लाइफ़ मॉडल	प्रयुक्त ली-आयन और अन्य बैटरियों का पुनर्चक्रण/पुनःचक्रण, घटक सामग्रियों के पुनः उपयोग के लिए या द्वितीय जीवन बैटरियों के लिए पुनःप्रयोजन हेतु	➢ बैटरी पुनर्चक्रण के दौरान उच्च ऊर्जा खपत, जिसके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है। ➢ बैटरी रीसाइकिलिंग प्रक्रिया से वायु प्रदूषण की संभावना । ➢ के प्रसंस्करण से कैडमियम, सीसा और पारा जैसे विषैले पदार्थ पर्यावरण में उत्सर्जित हो सकते हैं। ➢ पदार्थों को घोलने और घटकों को अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अम्लीय और क्षारीय घोलों के निकलने के कारण जल और मृदा संदूषण। ➢ धुलाई और निक्षालन प्रक्रियाओं के लिए पानी का अत्यधिक उपयोग ➢ पुनर्चक्रण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम। ➢ बैटरी रीसाइक्लिंग प्रक्रिया में शामिल परियोजना टीम के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा जोखिम।	➢ अपशिष्ट धाराओं से सामग्री की पुनर्प्राप्ति। ➢ प्रत्यक्ष परिचालन में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। ➢ अत्याधुनिक वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी की स्थापना। ➢ प्रत्यक्ष परिचालन और निकटवर्ती समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करना। ➢ व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समुचित तत्परता (ESDD और ESMS कार्यान्वयन के भाग के रूप में)।
स्मार्ट मीटरिंग	नवीकरणीय ऊर्जा के साथ कुशलतापूर्वक और विश्वसनीय रूप से संचालित करने में अधिक सक्षम बनाया जा सके	➢ स्मार्ट मीटर और सहायक बुनियादी ढांचे ऊर्जा की खपत करते हैं, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बढ़ता है। ➢ ई-कचरे का जीवनकाल समाप्त हो जाएगा। ➢ डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दे , क्योंकि स्मार्ट मीटर विस्तृत ऊर्जा खपत पैटर्न एकत्र करते हैं।	➢ स्मार्ट मीटरों की ऊर्जा दक्षता को अनुकूलित करें, कम-शक्ति संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करें, तथा जहां भी संभव हो, नवीकरणीय संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त करें।

अनुलग्नक सी-1 : क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रॉस्पेरेट फोकस के क्षेत्रों में ई एंड एस जोखिम और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	क्षेत्र का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
		➢ स्मार्ट मीटर द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण के संभावित स्वास्थ्य प्रभाव। ➢ स्मार्ट मीटर के माध्यम से मीटर रीडिंग के स्वचालन से पारंपरिक मीटर रीडरों की नौकरियां खत्म हो सकती हैं। ➢ स्मार्ट मीटरिंग प्रौद्योगिकी तक पहुंच में असमानताएं।	➢ संसाधन पुनर्प्राप्ति और उत्पाद जीवन विस्तार को बढ़ाने के लिए मॉड्यूलर समाधान (विघटन और पुनर्चक्रण में आसानी) के लिए डिज़ाइन। पुराने मीटरों के लिए पुनर्चक्रण कार्यक्रम विकसित करें। ➢ मजबूत डेटा एन्क्रिप्शन लागू करें, मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय अपनाएं, और डेटा सुरक्षा विनियमों (जैसे, GDPR) का अनुपालन सुनिश्चित करें। ➢ सर्वोत्तम स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें। ➢ विस्थापित श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण और पुनः कौशल विकास के अवसर प्रदान करें। ESMS के भाग के रूप में न्यायोचित परिवर्तन सुनिश्चित करें। ➢ समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिकाओं, डिस्कॉम्स और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी।
नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण	अक्षय ऊर्जा कंपनियों और परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण प्लेटफॉर्म और फिनटेक समाधान, इष्टतम ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए एआई और क्रेडिट एल्गोरिदम का लाभ उठाना	➢ ज़मीनी स्तर पर ऊर्जा की अकुशलता वाले समाधानों के वित्तपोषण से जुड़े जोखिम। ➢ केंद्रों और सर्वरों को चलाने के लिए उच्च ऊर्जा उपयोग के परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है। ➢ शीतलन के लिए उच्च जल की आवश्यकता। ➢ उपयोगकर्ता की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के लिए जोखिम।	➢ डीएलआई के लिए ढांचा विकसित करना [4]जो न्यायसंगत और टिकाऊ संचालन में वित्तपोषण सुनिश्चित करता है। प्रॉस्पेरेट की ईएसजी नीतियों और आंतरिक ईएसएमएस के साथ संरेखण। ➢ तृतीय पक्ष सत्यापन और आश्वासन के साथ उच्च ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा समाधान का प्रदर्शन। ➢ सुनिश्चित करें कि कंपनी ऊर्जा कुशल हार्डवेयर की खरीद को अपनाए और सॉफ्टवेयर दक्षता को अनुकूलित करे (वैश्विक मानकों के अनुसार)। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को और अधिक अधिकतम करें। ➢ प्रत्यक्ष परिचालन और निकटवर्ती समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करना। ➢ ई-वेस्ट रीसाइकिलिंग और हार्डवेयर उपयोग को लागू करें। ई-वेस्ट रीसाइकिलर्स के साथ एक ए.एम.सी. बनाएं।

[4]संवितरण से जुड़े संकेतक

अनुलग्नक सी-1 : क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रॉस्पेरेट फोकस के क्षेत्रों में ई एंड एस जोखिम और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	क्षेत्र का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
			➢ मजबूत डेटा एन्क्रिप्शन लागू करें, मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय अपनाएं, और डेटा सुरक्षा विनियमों (जैसे, GDPR) का अनुपालन सुनिश्चित करें।
ग्रिड और सॉफ्टवेयर का आधुनिकीकरण	ऊर्जा क्षेत्र पर केन्द्रित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, जिसमें कार्यबल प्रबंधन प्लेटफॉर्म, खरीद समाधान, बाजार, एआई और डेटा उपकरण शामिल हैं - सभी बेहतर प्रदर्शन करने वाली ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के लिए; ऊर्जा उत्पादन परिसंपत्तियों की दूरस्थ निगरानी और नियंत्रण तथा ऊर्जा खपत में कमी के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर और स्मार्ट डिवाइस सिस्टम	➢ केंद्रों और सर्वरों को चलाने के लिए उच्च ऊर्जा उपयोग के परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है। ➢ शीतलन के लिए उच्च जल की आवश्यकता। ➢ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान। ➢ हार्डवेयर उत्पादन के लिए कच्चे माल का निष्कर्षण (आपूर्ति पक्ष - कंपनी स्तर पर कम योगदान)। ➢ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता मुद्दे। ➢ स्वचालन और एआई के कारण नौकरियां खत्म हो सकती हैं। ➢ प्रौद्योगिकी तक असमान पहुंच।	➢ सुनिश्चित करें कि कंपनी ऊर्जा कुशल हार्डवेयर की खरीद को अपनाए और सॉफ्टवेयर दक्षता को अनुकूलित करे (वैश्विक मानकों के अनुसार)। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को और अधिक अधिकतम करें। ➢ प्रत्यक्ष परिचालन और निकटवर्ती समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करना। ➢ ई-वेस्ट रीसाइकिलिंग और हार्डवेयर उपयोग को लागू करें। ई-वेस्ट रीसाइकिलर्स के साथ एक ए.एम.सी. बनाएं। ➢ विस्थापित श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण और पुनः कौशल विकास के अवसर प्रदान करें। ESMS के भाग के रूप में न्यायोचित परिवर्तन सुनिश्चित करें। ➢ स्थायी आपूर्तिकर्ता आचार संहिता के माध्यम से आपूर्तिकर्ता स्तर पर वृत्ताकार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का समर्थन और प्रचार करें। जिम्मेदार सोर्सिंग में संलग्न हों। ➢ मजबूत डेटा एन्क्रिप्शन लागू करें, मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय अपनाएं, और डेटा सुरक्षा विनियमों (जैसे, GDPR) का अनुपालन सुनिश्चित करें। ➢ न्यायोचित परिवर्तन के लिए पुनः कौशलीकरण और उन्नतीकरण कार्यक्रमों में निवेश करें। ➢ डिजिटल साक्षरता में सुधार लाने तथा प्रौद्योगिकी तक किफायती पहुंच उपलब्ध कराने के लिए पहलों को लागू करना। ➢ एआई परियोजनाओं की देखरेख के लिए एक नैतिक समिति की स्थापना करें, तथा यह सुनिश्चित करें कि वे नैतिक मानकों और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप हों।

अनुलग्नक सी-1 : क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रॉस्पेरेट फोकस के क्षेत्रों में ई एंड एस जोखिम और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	क्षेत्र का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला	स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन उपकरण जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर और सौर पैनल	➢ संसाधन सामग्री निष्कर्षण और उपकरणों के विनिर्माण के दौरान होने वाले जीएचजी उत्सर्जन, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। ➢ आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन. ➢ स्थापना एवं विनिर्माण स्थलों पर भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण में परिवर्तन । ➢ जीवन-अंत अपशिष्ट के प्रबंधन और निपटान से पर्यावरण प्रदूषण। ➢ मॉड्यूलों के निर्माण और रखरखाव में, विशेष रूप से सौर पैनलों और हाइड्रोजन उत्पादन विधियों में, अत्यधिक जल खपत होती है। ➢ मॉड्यूलों के निर्माण, स्थापना और सफाई के दौरान परियोजना टीम के श्रमिकों के लिए सुरक्षा जोखिम। ➢ स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के कारण कार्यबल का नौकरी से विस्थापन। ➢ प्रयुक्त मॉड्यूलों से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट को संभालने वाले श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिम।	➢ प्रत्यक्ष परिचालन और निकटवर्ती समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करना। ➢ ई-कचरे और खतरनाक कचरे की रीसाइक्लिंग और पुनः उपयोग को लागू करें। कचरा रीसाइकिल करने वालों के साथ एक ए.एम.सी. बनाएं। ➢ टिकाऊ आपूर्तिकर्ता आचार संहिता (आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन में कमी पर ध्यान देने के साथ) के माध्यम से आपूर्तिकर्ता स्तर पर वृत्ताकार अर्थव्यवस्था सिद्धांतों का समर्थन और प्रचार करना। ➢ जिम्मेदारीपूर्वक सोर्सिंग में संलग्न हों। ➢ व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समुचित तत्परता (ESDD और ESMS कार्यान्वयन के भाग के रूप में)। ➢ न्यायोचित परिवर्तन के लिए पुनः कौशलीकरण और उन्नतीकरण कार्यक्रमों में निवेश करें।
स्वच्छ ऊर्जा के नए रूप	स्वच्छ ऊर्जा के नए रूप जैसे हरित हाइड्रोजन, नई सौर प्रौद्योगिकियां आदि।		
ऊर्जा दक्षता	कम ऊर्जा खपत के लिए बेहतर प्रक्रियाओं की निगरानी और विकास या बचत के लिए कुशल उपकरणों का उपयोग और एचवीएसी आदि सेवाओं की खपत में कमी; औद्योगिक दक्षता: एचवीएसी, मोटर, पंप आदि में ऊर्जा कुशल	➢ के विनिर्माण में ऊर्जा और जल गहन परिचालन , जैसे कि एचवीएसी प्रणालियां, मोटर और पंप। ➢ आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन. ➢ विनिर्माण और स्थापना के दौरान परियोजना टीम के श्रमिकों के लिए सुरक्षा जोखिम। ➢ प्रयुक्त मॉड्यूलों से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट को संभालने वाले श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिम। ➢ केंद्रों और सर्वरों को चलाने के लिए उच्च ऊर्जा उपयोग के परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है। ➢ शीतलन के लिए उच्च जल की आवश्यकता।	➢ प्रत्यक्ष परिचालन और निकटवर्ती समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करना। ➢ ई-कचरे और खतरनाक कचरे की रीसाइक्लिंग और पुनः उपयोग को लागू करें। कचरा रीसाइकिल करने वालों के साथ एक ए.एम.सी. बनाएं। ➢ टिकाऊ आपूर्तिकर्ता आचार संहिता (आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन में कमी पर ध्यान देने के साथ) के माध्यम से आपूर्तिकर्ता स्तर पर वृत्ताकार अर्थव्यवस्था सिद्धांतों का समर्थन और प्रचार करना। ➢ विनिर्माण के लिए जिम्मेदारीपूर्वक सोर्सिंग में संलग्न हों।

अनुलग्नक सी-1 : क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रॉस्पेरेट फोकस के क्षेत्रों में ई एंड एस जोखिम और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	क्षेत्र का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
	उपकरण। ऊर्जा दक्षता में लक्ष्य सुधार रूढ़िवादी आधार रेखा के मुकाबले कम से कम 20% होना चाहिए।	➢ डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दे , क्योंकि स्मार्ट मीटर विस्तृत ऊर्जा खपत पैटर्न एकत्र करते हैं।	➢ व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समुचित तत्परता (ESDD और ESMS कार्यान्वयन के भाग के रूप में)।
शहरी पर्यावरण और डेटा प्रणालियाँ			
उत्सर्जन निगरानी	किसी विशेष कंपनी द्वारा उत्सर्जन के स्रोत को एकत्रित करने में सहायता करता है ताकि उचित हस्तक्षेप डिजाइन किया जा सके	➢ डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दे , क्योंकि स्मार्ट मीटर विस्तृत ऊर्जा खपत पैटर्न एकत्र करते हैं। ➢ केंद्रों और सर्वरों को चलाने के लिए उच्च ऊर्जा उपयोग के परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है। ➢ शीतलन के लिए उच्च जल की आवश्यकता। ➢ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान। ➢ परिचालन के लिए आवश्यक आईटी उपकरणों के हार्डवेयर उत्पादन हेतु कच्चे माल का निष्कर्षण। ➢ इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का प्रबंधन एवं निपटान। ➢ कार्यबल की सीमित योग्यता.	➢ मजबूत डेटा एन्क्रिप्शन लागू करें, मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय अपनाएं, और डेटा सुरक्षा विनियमों (जैसे, GDPR) का अनुपालन सुनिश्चित करें। ➢ सुनिश्चित करें कि कंपनी ऊर्जा कुशल हार्डवेयर की खरीद को अपनाए और सॉफ्टवेयर दक्षता को अनुकूलित करे (वैश्विक मानकों के अनुसार)। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को और अधिक अधिकतम करें। ➢ प्रत्यक्ष परिचालन और निकटवर्ती समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करना। ➢ जिम्मेदारीपूर्वक सोर्सिंग में संलग्न हों। ➢ ई-कचरे और खतरनाक कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग से संबंधित कार्यक्रमों में निवेश करें। ➢ न्यायोचित परिवर्तन के अनुरूप पुनः कौशलीकरण और उच्च कौशलीकरण कार्यक्रमों में निवेश करें।
इन्फ्रा मॉनिटरिंग	डिजिटलीकरण के माध्यम से बुनियादी ढांचे की निगरानी और पूर्वानुमानित रखरखाव समाधान	➢ केंद्रों और सर्वरों को चलाने के लिए उच्च ऊर्जा उपयोग के परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है। ➢ शीतलन के लिए उच्च जल की आवश्यकता। ➢ परिचालन के लिए आवश्यक आईटी उपकरणों के हार्डवेयर उत्पादन हेतु कच्चे माल का निष्कर्षण। ➢ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता मुद्दे। ➢ इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का प्रबंधन एवं निपटान।	➢ तृतीय पक्ष सत्यापन और आश्वासन के साथ उच्च ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा समाधान का प्रदर्शन। ➢ सुनिश्चित करें कि कंपनी ऊर्जा कुशल हार्डवेयर की खरीद को अपनाए और सॉफ्टवेयर दक्षता को अनुकूलित करे (वैश्विक मानकों के अनुसार)। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को और अधिक अधिकतम करें।

अनुलग्नक सी-1 : क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रॉस्पेरेट फोकस के क्षेत्रों में ई एंड एस जोखिम और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	क्षेत्र का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
		➢ कार्यबल की सीमित योग्यता.	➢ प्रत्यक्ष परिचालन और निकटवर्ती समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करना। ➢ ई-कचरे और खतरनाक कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग से संबंधित कार्यक्रमों में निवेश करें। ➢ पुनः कौशलीकरण और उच्च कौशलीकरण कार्यक्रमों में निवेश करें। ➢ मजबूत डेटा एन्क्रिप्शन लागू करें, मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय अपनाएं, और डेटा सुरक्षा विनियमों (जैसे, GDPR) का अनुपालन सुनिश्चित करें।
"हरित" विनिर्माण	विनिर्माण प्रक्रियाएं और उपकरण जो कम कच्चे माल का उपयोग करते हैं, कम अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं और कम ऊर्जा खपत करते हैं।	➢ बाजार की नवीनता के कारण कार्यबल की सीमित योग्यता ➢ आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन. ➢ हरित विनिर्माण की ओर संक्रमण के कारण कार्यबल का नौकरी से विस्थापन।	➢ पुनः कौशलीकरण और उच्च कौशलीकरण कार्यक्रमों में निवेश करें। ➢ तृतीय पक्ष सत्यापन और आश्वासन के साथ उच्च ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा समाधान का प्रदर्शन। ➢ आपूर्ति श्रृंखला रसद के लिए ईवी परिवहन पर स्विच करें।
टिकाऊ पैकेजिंग और अन्य सामग्रियां	पारंपरिक पैकेजिंग और अन्य सामग्रियों के विकल्प जो कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं (उत्पादन, परिवहन, उपयोग या निपटान के दौरान) - जैसे बायोप्लास्टिक, बहुउपयोगी प्लास्टिक, पुनर्चक्रित कागज और कार्डबोर्ड आदि।	➢ ऊर्जा एवं जल गहन विनिर्माण प्रक्रियाएं। ➢ टिकाऊ पैकेजिंग के निर्माण में प्रयुक्त अवशिष्ट रसायनों का प्रबंधन और प्रबंधन। ➢ आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन. ➢ नये उत्पादन तरीकों को अपनाने के कारण कार्यबल का नौकरी से विस्थापन। ➢ विनिर्माण प्रक्रिया में श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी जोखिम। ➢ नए अपशिष्ट प्रवाह का कुशल संग्रह संभव नहीं है ।	➢ जिम्मेदारीपूर्वक सोर्सिंग में संलग्न हों। ➢ पुनः कौशलीकरण और उच्च कौशलीकरण कार्यक्रमों में निवेश करें, विशेष रूप से अंतिम उपयोगकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए। ➢ प्रत्यक्ष परिचालन और निकटवर्ती समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करना। ➢ तृतीय पक्ष सत्यापन और आश्वासन के साथ प्रत्यक्ष संचालन के लिए उच्च ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा समाधान। ➢ आपूर्ति श्रृंखला रसद के लिए ईवी परिवहन पर स्विच करें। ➢ व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समुचित तत्परता (ESDD और ESMS कार्यान्वयन के भाग के रूप में)।

अनुलग्नक सी-1 : क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रॉस्पेरेट फोकस के क्षेत्रों में ई एंड एस जोखिम और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	क्षेत्र का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
कम कार्बन निर्माण सामग्री	सामग्री - जैसे कंक्रीट, पुनर्नवीनीकृत पैनल जिनके जीवनकाल में आधारभूत विकल्पों की तुलना में कार्बन फुटप्रिंट (उत्पादन, परिवहन, उपयोग या निपटान के दौरान) कम होते हैं	➢ संसाधन सामग्री निष्कर्षण के दौरान पर्यावरण प्रदूषण। ➢ निम्न कार्बन निर्माण सामग्री के निर्माण में प्रयुक्त अवशिष्ट रसायनों का प्रबंधन एवं प्रबंधन। ➢ आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन. ➢ नये उत्पादन तरीकों को अपनाने के कारण कार्यबल का नौकरी से विस्थापन। ➢ उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी जोखिम।	➢ कम उत्सर्जन वाले कच्चे माल की जिम्मेदारीपूर्वक आपूर्ति में संलग्न हों। ➢ पुनः कौशलीकरण और उच्च कौशलीकरण कार्यक्रमों में निवेश करें। ➢ तृतीय पक्ष सत्यापन और आश्वासन के साथ उच्च ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा समाधान का प्रदर्शन। ➢ आपूर्ति श्रृंखला रसद के लिए ईवी परिवहन पर स्विच करें। ➢ व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समुचित तत्परता (ESDD और ESMS कार्यान्वयन के भाग के रूप में)।
अपशिष्ट प्रबंधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था	समाधान जो अपशिष्ट उत्पादन से बचते हैं (जैसे खाद बनाना, पुनर्चक्रण) या संग्रहीत अपशिष्ट से जीएचजी उत्सर्जन को कम करते हैं (जैसे लैंडफिल प्रबंधन), जिसमें प्लास्टिक पुनर्चक्रण भी शामिल है	➢ अपशिष्ट प्रसंस्करण से पर्यावरण प्रदूषण। ➢ पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं में प्रयुक्त अवशिष्ट रसायनों का प्रबंधन एवं संचालन। ➢ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम परिवहन से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वायु प्रदूषण। ➢ अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिम।	➢ जिम्मेदारीपूर्वक सोर्सिंग में संलग्न हों। ➢ उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण जैसे फिल्टर और स्क्रबर की स्थापना। ➢ पुनः कौशलीकरण और उच्च कौशलीकरण कार्यक्रमों में निवेश करें। ➢ तृतीय पक्ष सत्यापन और आश्वासन के साथ उच्च ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा समाधान का प्रदर्शन। ➢ आपूर्ति श्रृंखला रसद के लिए ईवी परिवहन की ओर धीरे-धीरे बदलाव। ➢ व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समुचित तत्परता (ESDD और ESMS कार्यान्वयन के भाग के रूप में)।
स्वच्छता	प्रौद्योगिकियां और प्रक्रियाएं जो सीवेज प्रबंधन से जुड़े जीएचजी उत्सर्जन को कम करती हैं - जैसे परिवर्तनीय गति पंप, ऊर्जा कुशल मिश्रण, मीथेन से बचाव या उसे पकड़ना, आदि	➢ संसाधन सामग्री निष्कर्षण और उपकरणों के विनिर्माण के दौरान पर्यावरण प्रदूषण (जीएचजी उत्सर्जन सहित)। ➢ आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन. ➢ उत्पादन, स्थापना और रखरखाव के दौरान परियोजना टीम के श्रमिकों के लिए सुरक्षा जोखिम। ➢ परिचालन के दौरान श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिम।	➢ जिम्मेदारीपूर्वक सोर्सिंग में संलग्न हों। ➢ व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समुचित तत्परता (ESDD और ESMS कार्यान्वयन के भाग के रूप में)।

अनुलग्नक सी-1 : क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रॉस्पेरेट फोकस के क्षेत्रों में ई एंड एस जोखिम और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	क्षेत्र का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
अपशिष्ट से ऊर्जा	पायरोलिसिस और अन्य ऊर्जा पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाएं जो गैर-पुनः प्रयोज्य और गैर- पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट पदार्थों से गर्मी और बिजली उत्पन्न करने के लिए अपशिष्ट रूपांतरण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती हैं	➢ तापीय अपघटन प्रक्रिया से वायु प्रदूषक निकलते हैं जो वायु की गुणवत्ता को खराब करते हैं ➢ अप्रिय गंध और ध्वनि प्रदूषण आस-पास के निवासियों और वन्यजीवों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है ➢ इन सुविधाओं के पास रहने वाले समुदायों में श्वसन संबंधी समस्याओं, हृदय रोग और कैंसर का खतरा रहता है ➢ समुदायों का विस्थापन, या तो सुविधा निर्माण के लिए प्रत्यक्ष निष्कासन के माध्यम से या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति के मूल्य में कमी और पर्यावरण क्षरण के माध्यम से	➢ अत्याधुनिक उत्सर्जन नियंत्रण तकनीकों का उपयोग करके वातावरण में छोड़े जाने वाले प्रदूषकों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें फ़िल्टर, स्क्रबर और कैटेलिटिक कन्वर्टर्स शामिल हैं ➢ व्यापक जीवन चक्र आकलन (एलसीए) आयोजित करने से डब्ल्यूटीई प्रक्रियाओं के समग्र पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करने और सुधार के क्षेत्रों को उजागर करने में मदद मिल सकती है। रणनीतियों को प्राथमिकता देने पर कटौती के उपाय और वित्तीय निर्णय जीवन चक्र लागत पर आधारित होने चाहिए। ➢ सतत निगरानी प्रणाली और पारदर्शी रिपोर्टिंग तंत्र को लागू करने से उत्सर्जन और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों पर नज़र रखने में मदद मिल सकती है ➢ श्रमिकों के लिए सख्त स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को लागू करना
नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ESCOs	मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें सौर ऊर्जा चालित मोबाइल टावरों के लिए ESCO मॉडल शामिल हैं	➢ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि क्षेत्र की आवश्यकता ➢ कच्चे माल के खनन के कारण पर्यावरण क्षरण, जिसमें जल प्रदूषण, आवास विनाश और मृदा क्षरण शामिल है ➢ स्थानीय समुदायों का विस्थापन और भूमि उपयोग संघर्ष ➢ सौर पैनलों और बैटरियों के उत्पादन के दौरान श्रमिक खतरनाक सामग्रियों के संपर्क में आ सकते हैं	➢ परियोजना कार्यान्वयन से पहले गहन पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) का संचालन करें ➢ पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्थलों का सावधानीपूर्वक चयन करें
खाद्य एवं सुरक्षा			
कृषि उपकरण	उत्सर्जन कम करने के लिए ऊर्जा-कुशल उपकरण	➢ कृषि उपकरणों में प्रयुक्त कच्चे माल का कार्बन एवं संसाधन गहन विनिर्माण। ➢ भारी कृषि उपकरणों के कारण मिट्टी संकुचित हो जाती है, जिससे मिट्टी की छिद्रता और जड़ों की वृद्धि कम हो जाती है।	➢ पुनर्नवीनीकृत/गैर-वर्जिन कच्चे माल के उपयोग को प्रोत्साहित करें। ➢ ऊर्जा कुशल कृषि उपकरणों को अपनाने को प्रोत्साहित करें। ➢ कृषि कार्यों और कृषि मशीनरी के विद्युतीकरण के लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करें।

अनुलग्नक सी-1 : क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रॉस्पेरेट फोकस के क्षेत्रों में ई एंड एस जोखिम और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	क्षेत्र का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
		➢ उचित प्रदूषण नियंत्रण उपायों के बिना जलाने या नष्ट करने से वातावरण में हानिकारक उत्सर्जन हो सकता है। ➢ अनुचित उपयोग, प्रशिक्षण का अभाव, उपकरण की खराबी के कारण कार्यस्थल पर खतरा और शारीरिक चोटें आती हैं। ➢ मशीनीकरण तक असमान पहुंच।	➢ किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करें। ➢ किसानों और कृषि श्रमिकों को सुरक्षित उपकरण संचालन, रखरखाव प्रथाओं, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करें। ➢ कृषि श्रमिकों के लिए उचित श्रम मानकों, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विनियमों तथा सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना।
स्मार्ट खेती	टिकाऊ खाद्य उत्पादन विधियाँ और कम कार्बन वाले खाद्य पदार्थ; फसल निगरानी से जलवायु संबंधी जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है सलाहकार	➢ उर्वरकों के प्रयोग के लिए उपकरणों के अनुचित उपयोग से जल प्रदूषण, रासायनिक अपवाह और मृदा संदूषण होता है। ➢ उच्च ऊर्जा खपत से कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है और पर्यावरण क्षरण हो सकता है। ➢ ई-कचरे के अनुचित निपटान या पुनर्चक्रण के कारण कैडमियम, सीसा, पारा जैसे विषैले पदार्थ निकलते हैं। ➢ तकनीकी अवसंरचना में खराबी, सॉफ्टवेयर में त्रुटि या व्यवधान कृषि गतिविधियों को बाधित कर सकते हैं।	➢ स्मार्ट कृषि प्रणालियों को सशक्त बनाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए सौर, पवन और बायोगैस जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने को प्रोत्साहित करें। ➢ जैविक उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों और एकीकृत प्रबंधन रणनीतियों के उपयोग को बढ़ावा देना। ➢ स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। ➢ संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए डेटा गोपनीयता विनियमों, साइबर सुरक्षा उपायों और नैतिक दिशानिर्देशों को मजबूत करना।
कोल्ड चेन	भोजन को लंबे समय तक रखने में सक्षम बनाता है और भोजन की बर्बादी को कम करता है	➢ ऊर्जा गहन परिचालन, जिसके परिणामस्वरूप बिजली और ईंधन के उपयोग से उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है। ➢ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स के लिए ट्रकों, जहाजों और विमानों पर बढ़ती निर्भरता वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में योगदान देती है। ➢ कई प्रशीतन प्रणालियाँ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) का उपयोग करती हैं, जो शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं। ➢ के विनिर्माण में बड़ी मात्रा में धातुओं और अन्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिससे संसाधनों का ह्रास होता है। ➢ यदि शीत श्रृंखला टूट जाए तो शीघ्र खराब होने वाला सामान खराब हो सकता है , जिससे खाद्यान्न बर्बाद हो सकता है।	➢ ऊर्जा कुशल प्रशीतन प्रणालियों, शीत भंडारण सुविधाओं और परिवहन वाहनों में निवेश करें ➢ सौर, पवन और जलविद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण ➢ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी) जैसे सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट को अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट से बदलें ➢ शीत श्रृंखला में खाद्य अपशिष्ट, पैकेजिंग अपशिष्ट और उत्पाद हानि को न्यूनतम करना

अनुलग्नक सी-1 : क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रॉस्पेरेट फोकस के क्षेत्रों में ई एंड एस जोखिम और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	क्षेत्र का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
		➢ ठंडे वातावरण में काम करने से श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जोखिम।	➢ खाद्य सुरक्षा विनियमों, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरों और स्वच्छता प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करें ➢ कोल्ड चेन में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य स्थितियां और उचित वेतन सुनिश्चित करें तथा कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करें।
जल प्रणालियाँ	ऊर्जा कुशल / स्वच्छ ऊर्जा संचालित जल प्रणालियाँ जो उत्सर्जन को कम करती हैं, सिंचाई विधियों में सुधार करती हैं	➢ इन प्रणालियों को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है, इसलिए प्रौद्योगिकी को अपनाने में जोखिम कम है। ➢ कुल मिलाकर, ये प्रणालियाँ कम जोखिम वाली साबित हुई हैं। ➢ ऐसी प्रणालियों से जुड़े विनिर्माण जोखिम भी अपेक्षाकृत कम हैं। ➢ निवेशित कम्पनियों में उचित मुआवजे जैसे कुछ आंतरिक और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी सामाजिक जोखिम हो सकते हैं। ➢ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी छोटी-मोटी चिंताएं।	➢ परियोजना कार्यान्वयन से पहले गहन पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) का संचालन करें। ➢ व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समुचित तत्परता (ESDD और ESMS कार्यान्वयन के भाग के रूप में)। ➢ अंतिम उपयोगकर्ताओं का कौशल एवं प्रशिक्षण। ➢ प्रस्तावित समाधानों के उत्पाद जीवन विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर नियमित रखरखाव प्रदान करें।
व्यर्थ पानी का उपचार	कुशल उपचार के माध्यम से स्वास्थ्य और जल सुरक्षा में सुधार	➢ ऊर्जा गहन प्रक्रियाएं जीएचजी उत्सर्जन में योगदान दे रही हैं ➢ क्लोरीन, कोएगुलेंट्स और फ्लोकुलेंट्स के कारण उपचारित अपशिष्ट जल और कीचड़ में रासायनिक अवशेष ➢ अपर्याप्त रूप से उपचारित अपशिष्ट के कारण जल की गुणवत्ता में गिरावट और सुपोषण ➢ श्रमिकों का हानिकारक रोगाणुओं के संपर्क में आना ➢ नई उपचार सुविधाओं के निर्माण से समुदाय विस्थापित हो सकते हैं और भूमि उपयोग में बदलाव आ सकता है	➢ टिकाऊ कीचड़ प्रबंधन पद्धति अपनाएँ ➢ गंध नियंत्रण उपायों को लागू करें ➢ पर्यावरण अनुकूल रसायनों का उपयोग और रासायनिक खुराक का अनुकूलन ➢ श्रमिकों के लिए सख्त स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करें
कम उत्सर्जन परिवहन			
ईवी निर्माता या उपकरण आपूर्तिकर्ता	इलेक्ट्रिक वाहन और संबंधित आपूर्ति श्रृंखला जीवाश्म ईंधन के स्थान पर इलेक्ट्रिक विकल्पों का उपयोग करने के लिए	➢ विनिर्माण संयंत्रों में उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट। ➢ विनिर्माण में उच्च जल एवं ऊर्जा खपत। ➢ ई.वी. और संबंधित उपकरणों के विनिर्माण के लिए उपभोक्ताओं द्वारा कुशल श्रम की कमी या स्वीकृति न होना। ➢ शुद्ध कच्चे माल की आपूर्ति से आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन।	➢ जिम्मेदार सोर्सिंग में संलग्न हों। टिकाऊ और जिम्मेदार व्यवसाय प्रथाओं वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद बढ़ाएँ। तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापित टिकाऊ आपूर्तिकर्ता आचार संहिता सुनिश्चित करें। ➢ प्रत्यक्ष एवं आपूर्ति श्रृंखला परिचालन में ऊर्जा दक्षता पर जोर देना।

अनुलग्नक सी-1 : क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रॉस्पेरेट फोकस के क्षेत्रों में ई एंड एस जोखिम और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	क्षेत्र का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
	उपयोगकर्ता के व्यवहार में बदलाव लाएगी		➢ पुनः कौशल विकास और उच्च कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करें। सुनिश्चित करें कि न्यायोचित परिवर्तन के उद्देश्य मूल्य श्रृंखला में शामिल किए जाएं। ➢ प्रत्यक्ष परिचालन में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें। ➢ शुद्ध कच्चे माल के स्थान पर पुनःप्रयुक्त/पुनःचक्रित कच्चे माल के उपयोग को प्रोत्साहित करें।
ईवी चार्जिंग	ईवी चार्जिंग नेटवर्क के रोल-आउट और प्रबंधन के लिए मॉडल, जिसमें फास्ट-चार्ज तकनीक, बैटरी स्वैप मॉडल और बैटरी नेटवर्क अनुकूलन के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म शामिल हैं	➢ ई.वी. चार्जिंग स्टेशनों को बिजली की आवश्यकता होती है, जो यदि गैर-नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त की जाती है, तो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान कर सकती है। ➢ ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए भूमि साफ़ करना । ➢ कुशल ऑन-ग्राउंड कर्मचारियों की कमी। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव से पारंपरिक ईंधन स्टेशनों और संबंधित उद्योगों में नौकरियों पर असर पड़ सकता है। ➢ ई.वी. चार्जिंग स्टेशनों की अधिक संख्या स्थानीय विद्युत ग्रिड पर दबाव डाल सकती है, जिससे अस्थिरता या व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।	➢ नवीकरणीय स्रोतों से प्रत्यक्ष ऊर्जा आवश्यकताओं को अधिकतम करना। ➢ साझेदारी करें , चार्जिंग स्टेशनों में सौर पैनल और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को एकीकृत करें। ➢ ईआईए के माध्यम से न्यूनतम पारिस्थितिक व्यवधान वाले स्थलों की पहचान और चयन करना, तथा हरित अवसंरचना (जैसे, पारगम्य सतह, देशी पौधों के साथ भूनिर्माण) के साथ स्टेशनों का डिजाइन तैयार करना। ➢ ग्रिड लोड का प्रबंधन करने के लिए उपयोगिताओं के साथ काम करना, ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने के लिए स्मार्ट चार्जिंग प्रौद्योगिकियों को लागू करना, और वाहन-से-ग्रिड (V2G) समाधानों की खोज करना। ➢ प्रभावित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए न्यायोचित परिवर्तन की अवधारणा के अनुरूप पुनः कौशल और उन्नतीकरण कार्यक्रम विकसित करना, ईवी चार्जिंग उद्योग में नए रोजगार के अवसर सृजित करना।
ईवी वित्तपोषण	इलेक्ट्रिक वाहनों और ईवी में बेड़े के परिवर्तन के लिए वित्तपोषण समाधान, जैसे कि परिसंपत्ति वित्त,	➢ निवेशित कंपनी के ई एंड एस जोखिम : ईवी, विशेष रूप से बैटरियों के उत्पादन से पर्यावरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें महत्वपूर्ण कार्बन उत्सर्जन और संसाधन निष्कर्षण शामिल है। इसके अलावा, ईवी बैटरियों के लिए दुर्लभ पृथ्वी धातुओं और अन्य सामग्रियों की मांग से संसाधनों	➢ टिकाऊ प्रथाओं के साथ ईवी निर्माताओं को वित्तपोषित करना, ईवी बैटरियों के लिए पुनर्चक्रण और परिपत्र अर्थव्यवस्था पहल को बढ़ावा देना, तथा पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाली बैटरी प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान का समर्थन करना।

अनुलग्नक सी-1 : क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रॉस्पेरेट फोकस के क्षेत्रों में ई एंड एस जोखिम और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	क्षेत्र का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
	ड्राइव के अनुसार भुगतान, आदि।	की कमी और अनैतिक खनन प्रथाओं को बढ़ावा मिल सकता है। ➢ई.वी. के लिए वित्तपोषण विकल्प निम्न आय वाले व्यक्तियों या छोटे व्यवसायों के लिए सुलभ नहीं हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ई.वी. प्रौद्योगिकी तक असमान पहुंच हो सकती है। ➢ई.वी. में परिवर्तन से मौजूदा उद्योग, जैसे जीवाश्म ईंधन वाहनों और पारंपरिक ऑटो विनिर्माण से संबंधित उद्योग, बाधित हो सकते हैं, जिससे नौकरियों में कमी आ सकती है और आर्थिक बदलाव हो सकते हैं।	➢आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता और स्थिरता में निवेश करने वाली कंपनियों का समर्थन करें, तथा खनन प्रथाओं पर सख्त विनियमन की वकालत करें । ➢समावेशी वित्तपोषण उत्पाद विकसित करना, वंचित समूहों के लिए सब्सिडी या कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, तथा व्यापक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी करना। ➢परिवर्तन से प्रभावित श्रमिकों के लिए पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करें, ई.वी. क्षेत्र में नए उद्योगों और रोजगार के अवसरों के विकास का समर्थन करें, तथा आर्थिक प्रभावों के प्रबंधन के लिए नीति वकालत में संलग्न हों। ➢निवेशित कंपनी को डीएलआई के लिए ढांचा विकसित करना चाहिए जो न्यायसंगत और टिकाऊ संचालन में वित्तपोषण सुनिश्चित करे। प्रॉस्पेरेट की ईएसजी नीतियों और आंतरिक ईएसएमएस के साथ संरेखण।
ईवी बेड़े	वाणिज्यिक बेड़े के वाहनों के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से उत्सर्जन में कमी	➢ई.वी. बेड़े का ऊर्जा गहन विनिर्माण, जिसके परिणामस्वरूप विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान जी.एच.जी. उत्सर्जन होता है। ➢बिजली ग्रिड पर महत्वपूर्ण मांग . ➢श्रमिकों को खतरनाक स्वास्थ्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ➢खतरनाक सामग्रियों के अनुचित निपटान से पर्यावरण को भारी क्षति पहुँचती है। ➢ई.वी. में परिवर्तन से मौजूदा उद्योग, जैसे जीवाश्म ईंधन वाहनों और पारंपरिक ऑटो विनिर्माण से संबंधित उद्योग, बाधित हो सकते हैं, जिससे नौकरियों में कमी आ सकती है और आर्थिक बदलाव हो सकते हैं।	➢उन्नत रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों में निवेश करें। ➢नवीकरणीय स्रोतों से प्रत्यक्ष ऊर्जा आवश्यकताओं को अधिकतम करना। ➢श्रमिकों के जोखिम को कम करने के लिए बैटरी के वियोजन और पुनर्चक्रण के लिए स्वचालित प्रणालियां विकसित करना। ➢ईवी बैटरियों के सुरक्षित निपटान, हैंडलिंग और पुनर्चक्रण के लिए सख्त नियम विकसित करना और लागू करना। ➢निवेशित कंपनी को डीएलआई के लिए ढांचा विकसित करना चाहिए जो न्यायसंगत और टिकाऊ संचालन में वित्तपोषण सुनिश्चित करे। प्रॉस्पेरेट की ईएसजी नीतियों और आंतरिक ईएसएमएस के साथ संरेखण।

अनुलग्नक सी-1 : क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रॉस्पेरेट फोकस के क्षेत्रों में ई एंड एस जोखिम और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	क्षेत्र का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
साझा गतिशीलता	साझा गतिशीलता समाधान (यात्री बसें, अंतिम-मील समाधान, आदि) से संबंधित व्यावसायिक मामले।	➢ बिना यात्रियों के काफी समय तक वाहन चलाने से यातायात भीड़ और उत्सर्जन में वृद्धि होती है।	➢ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संचालित इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दें। ➢ टिकाऊ और मरम्मत योग्य साझा गतिशीलता उपकरणों में निवेश करें ➢ सभी समुदायों के लिए समान पहुंच ➢ नियमित रखरखाव और सफाई
स्मार्ट गतिशीलता	मार्ग नियोजन; परिवहन प्रणालियों और सार्वजनिक/निजी बेड़े प्रबंधन में ईंधन/ऊर्जा खपत को न्यूनतम करने के लिए ऐप्स	➢ केंद्रों और सर्वरों को चलाने के लिए उच्च ऊर्जा उपयोग के परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है। ➢ हार्डवेयर उत्पादन के लिए कच्चे माल का निष्कर्षण (आपूर्ति पक्ष - कंपनी स्तर पर कम योगदान) उपकरणों की निगरानी और अनुप्रयोगों के संचालन के लिए उपयोग किया जाता है। ➢ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान। ➢ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता मुद्दे। ➢ प्रौद्योगिकी तक असमान पहुंच।	➢ सुनिश्चित करें कि कंपनी ऊर्जा कुशल हार्डवेयर की खरीद को अपनाए और सॉफ्टवेयर दक्षता को अनुकूलित करे (वैश्विक मानकों के अनुसार)। ➢ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को अधिकतम करना। ➢ ई-वेस्ट रीसाइकिलिंग और हार्डवेयर उपयोग को लागू करें। ई-वेस्ट रीसाइकिलर्स के साथ एक ए.एम.सी. बनाएं। ➢ मजबूत डेटा एन्क्रिप्शन लागू करें, मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय अपनाएं, और डेटा सुरक्षा विनियमों (जैसे, GDPR) का अनुपालन सुनिश्चित करें। ➢ न्यायोचित परिवर्तन के लिए पुनः कौशलीकरण और उन्नतीकरण कार्यक्रमों में निवेश करें। ➢ डिजिटल साक्षरता में सुधार लाने तथा प्रौद्योगिकी तक किफायती पहुंच उपलब्ध कराने के लिए पहलों को लागू करना।
लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म	आपूर्ति श्रृंखला में उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित समाधान, जिसमें रसद प्रणालियों का अनुकूलन, आपूर्ति श्रृंखलाओं में खाद्य हानि में कमी शामिल है	➢ केंद्रों और सर्वरों को चलाने के लिए उच्च ऊर्जा उपयोग के परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है। ➢ हार्डवेयर उत्पादन के लिए कच्चे माल का निष्कर्षण (आपूर्ति पक्ष - कंपनी स्तर पर कम योगदान) जिसका उपयोग लॉजिस्टिक्स प्लेटफार्मों पर परिचालन करने के लिए किया जाता है। ➢ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान।	➢ सुनिश्चित करें कि कंपनी ऊर्जा कुशल हार्डवेयर की खरीद को अपनाए और सॉफ्टवेयर दक्षता को अनुकूलित करे (वैश्विक मानकों के अनुसार)। ➢ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को अधिकतम करना। ➢ ई-वेस्ट रीसाइकिलिंग और हार्डवेयर उपयोग को लागू करें। ई-वेस्ट रीसाइकिलर्स के साथ एक ए.एम.सी. बनाएं।

अनुलग्नक सी-1 : क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रॉस्पेरेट फोकस के क्षेत्रों में ई एंड एस जोखिम और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	क्षेत्र का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
		➢ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता मुद्दे। ➢ स्वचालन और एआई के कारण नौकरियां खत्म हो सकती हैं। ➢ प्रौद्योगिकी तक असमान पहुंच।	➢ विस्थापित श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण और पुनः कौशल विकास के अवसर प्रदान करें। ESMS के भाग के रूप में न्यायोचित परिवर्तन सुनिश्चित करें। ➢ स्थायी आपूर्तिकर्ता आचार संहिता के माध्यम से आपूर्तिकर्ता स्तर पर वृत्ताकार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का समर्थन और प्रचार करें। आईटी उपकरणों की जिम्मेदारीपूर्ण सोर्सिंग में संलग्न हों। ➢ मजबूत डेटा एन्क्रिप्शन लागू करें, मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय अपनाएं, और डेटा सुरक्षा विनियमों (जैसे, GDPR) का अनुपालन सुनिश्चित करें। ➢ न्यायोचित परिवर्तन के लिए पुनः कौशलीकरण और उन्नतीकरण कार्यक्रमों में निवेश करें। ➢ डिजिटल साक्षरता में सुधार लाने और प्रौद्योगिकी तक किफायती पहुंच प्रदान करने के लिए पहलों को लागू करना। ➢ एआई परियोजनाओं की देखरेख के लिए एक नैतिक समिति की स्थापना करें, तथा यह सुनिश्चित करें कि वे नैतिक मानकों और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप हों।

समग्र शमन उपाय

उभरते हरित क्षेत्रों से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों उपायों को शामिल करने वाला एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है। इन उपायों को IFC प्रदर्शन मानकों, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पर्यावरणीय और सामाजिक विनियमों के अनुरूप होना चाहिए। वित्तपोषण, मध्यवर्ती और गैर-वित्तपोषण रणनीतियों में वर्गीकृत प्रमुख शमन उपाय निम्नलिखित हैं:

वित्तपोषण उपाय

1. **संवितरण से जुड़े संकेतकों (डीएलआई) के माध्यम से प्रदर्शन-आधारित वित्तपोषण:** विशिष्ट पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन संकेतकों की उपलब्धि के लिए वित्तीय संवितरण के लिए एक रूपरेखा विकसित करना। इसमें पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वार्षिक लक्ष्य और साथ ही प्रोटोकॉल शामिल होंगे जो

उपलब्धि को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वित्तपोषण स्थिरता मील के पत्थर को पूरा करने पर निर्भर है।

2. **क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता:** आंतरिक और बाहरी हितधारकों (पोर्टफोलियो कंपनियों के) के प्रासंगिक "हरित" कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के साथ क्षमता निर्माण पहल के लिए वित्तीय सहायता और सुविधा प्रदान करना।
3. **हरित प्रौद्योगिकियों के लिए सब्सिडी:** लागू क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचालन में ऊर्जा-कुशल और कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी या वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।

<u>मध्यवर्ती उपाय</u>

1. **पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजनाएँ (ESAP):** पहचाने गए जोखिमों और प्रभावों को संबोधित करने के लिए ESAP विकसित और कार्यान्वित करें। योजनाएँ परियोजना के पर्यावरण, सामाजिक, कॉर्पोरेट प्रशासन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित पहलुओं को बढ़ाने के उद्देश्य से विशिष्ट कार्यों, समयसीमाओं और जिम्मेदारियों का विवरण देंगी। प्राथमिकता लाभ को अधिकतम करना और किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचना, उसे कम करना, कम करना या उसकी भरपाई करना है। वित्तपोषण ESAP कार्यान्वयन के प्रदर्शन से जुड़ा होगा।
2. **पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस):** एक मजबूत ईएसएमएस विकसित करें और बनाए रखें जो संभावित प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के लिए परियोजनाओं की जांच करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करता है। सिस्टम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नकारात्मक प्रभावों से बचा जाए या यथासंभव कम से कम किया जाए, जबकि सकारात्मक प्रभावों को बढ़ावा दिया जाए। इसमें जोखिम मूल्यांकन, शमन योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग शामिल है।
3. **पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी उचित परिश्रम (ईएसजी-डीडी):** परियोजना नियोजन और विकास के दौरान कंपनी-विशिष्ट संभावित जोखिमों और प्रभावों की पहचान करने के लिए गहन ईएसजी उचित परिश्रम का संचालन करें जो आईएफसी और प्रासंगिक विनियमों द्वारा दिए गए दृष्टिकोण के साथ संरेखित हों। इसमें स्कोपिंग, डेटा संग्रह, जोखिम मूल्यांकन, शमन रणनीति, रिपोर्टिंग और उपायों का कार्यान्वयन शामिल होगा।
4. **निगरानी और मूल्यांकन:** प्रगति को मापने और आवश्यक समायोजन करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) स्थापित करके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए चल रहे निगरानी और मूल्यांकन कार्यक्रमों को लागू करना।
5. **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम:**
    - पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना, संचालन और रखरखाव पर परियोजना कर्मियों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना।

- परियोजना टीमों को पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने और बनाए रखने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता, सलाहकार सेवाएं और परामर्श जैसी सहायता सेवाएं प्रदान करें।
- कार्यबल परिवर्तन को समर्थन देने के लिए कार्यक्रम विकसित करना, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में बदलाव से प्रभावित श्रमिकों के लिए पुनः प्रशिक्षण और नौकरी प्रदान करने की सेवाएं शामिल हों।
- उन्नत प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ प्रथाओं को लागू करने और बनाए रखने में परियोजना टीमों की क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के साथ प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना।

6. **हितधारक सहभागिता:** परियोजना के पूरे जीवनचक्र के दौरान स्थानीय समुदायों, सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों सहित हितधारकों के साथ सहभागिता करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी चिंताओं और सुझावों का समाधान किया जाए।

<u>गैर-वित्तपोषण उपाय</u>

1. **विनियामक अनुपालन:** क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पर्यावरण और सामाजिक विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। विकसित कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित रूप से परियोजना प्रथाओं की समीक्षा करें और उन्हें अपडेट करें।
2. **स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यक्रम:** निर्माण, स्थापना और रखरखाव गतिविधियों से जुड़े व्यावसायिक खतरों से श्रमिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यक्रम विकसित करना और उनका क्रियान्वयन करना।
3. **अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएं:** प्रयुक्त मॉड्यूलों और उपकरणों से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट सहित अपशिष्ट पदार्थों के जिम्मेदारीपूर्वक प्रबंधन और निपटान के लिए अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएं बनाएं और उन्हें लागू करें।
4. **सामुदायिक शिक्षा और आउटरीच:** स्थानीय समुदायों को स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के लाभ, जोखिम और उचित उपयोग के बारे में जानकारी देने के लिए शैक्षिक अभियान चलाएं।
5. **शिकायत तंत्र:** हितधारकों के लिए पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों के बारे में चिंता या शिकायत उठाने के लिए सुलभ शिकायत तंत्र स्थापित करें। मुद्दों का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक सी-2: फोकस के प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएस-वार मार्गदर्शिका

पर्यावरण (PS3)

जोखिम	सभावना प्रभाव डालता है	शमन पैमाने
गतिशीलता और रसद, ऊर्जा उत्पादकता: इमारत इंटरनेट कनेक्टिविटी, कारखाने, या अन्य संसाधन गहन परियोजनाओं मई नापाक पर्यावरण	प्रदूषण का वायु, भूमि, और सतह पानी, अग्रणी प्रवेश में खाना श्रृंखला जिसके परिणामस्वरूप बीमारियाँ होती हैं और घातक परिणाम	कोई संसाधन गहन परियोजनाओं को गुज़रना मूल्यांकन के लिए पैमाने को टालना संभावना निर्माण के दौरान प्रदूषण या संचालन परियोजनाओं का मूल्यांकन जो दक्षता प्राप्त करने में मदद कर सकता है
ऊर्जा: उत्पादक उपयोग उत्पाद हानिकारक या बेकार हो सकते हैं जीवन का अंत या अंत या उपयोग जैसा कि कुछ लोग चाहेंगे पास होना बैटरियों या अन्य खतरनाकसामग्री वह मई चोट पर्यावरण। अनुचित पुनर्चक्रण का लेड एसिड बैटरियां व्यापक नुकसान पहुंचा सकती हैं - पैमाना नेतृत्व करना विषाक्तता/प्रदूषण,शामिल वायु, मिट्टी और पानी दूषण।	वायु, भूमि और सतह का प्रदूषण पानी, अग्रणी प्रवेश में खाना श्रृंखला जिसके परिणामस्वरूप बीमारियाँ होती हैं और घातक परिणाम	आकलन का संभावना के लिए कंपनियों को वापस पाना इकाइयां पर जीवन का अंत या अन्यथा समर्थन पारिस्थितिकी तंत्र विकास के लिए पुनर्चक्रण और/या उचित बरबाद करना प्रबंध
सभी निवेश: उचित ई-कचरा प्रबंधन प्रणालियाँ शायद मौजूद न हों जगह. पुनर्चक्रण और के लिए अवसर पुनः उपयोग आसानी से सुलभ नहीं हो सकता है या कंपनियों के लिए परिचित। विकास अवस्था मई होना कमज़ोर याअपरिपक्व साथ ई-कचरा संग्रह, ई- बरबाद करना नीतियां, और ई-कचरा सेवाएं.	प्रदूषण का वायु, भूमि, और सतह पानी, अग्रणी प्रवेश में खाना श्रृंखला जिसके परिणामस्वरूप बीमारियाँ होती हैं और घातक परिणाम	आकलन का संभावना के लिए कंपनियों को वापस पाना इकाइयां पर जीवन का अंत, मरम्मत की पेशकश और रीसाइकिलिंग सेवाएँ, या अन्यथा समर्थन पारिस्थितिकी तंत्र विकास के लिए पुनर्चक्रण और/या उचित अपशिष्ट प्रबंध
बैटरी और सौर ई-कचरा कर सकना चोट स्थानीय जैव विविधता नदियों को प्रदूषित कर रही है ,वन, और अन्य प्राकृतिक संसाधन।	प्रदूषण का वायु, भूमि, और सतह पानी, अग्रणी प्रवेश में खाना श्रृंखला जिसके परिणामस्वरूप बीमारियाँ होती हैं और घातक परिणाम	आकलन का संभावना के लिए कंपनियों को मरम्मत, रीसायकल, या वापस पाना इकाइयां अंत में का ज़िंदगी याअन्यथा सहायता पारिस्थितिकी तंत्र विकास के लिए पुनर्चक्रण और/या उचित अपशिष्ट प्रबंध

अतिरिक्त अपशिष्ट से संबंधित मुद्दे को प्लास्टिक सामग्री, POLYSTYRENE अवशेष, एल्यूमीनियम , ताँबा फिर भी	प्रदूषण का वायु, भूमि और सतह पानी, अग्रणी प्रवेश में खाना श्रृंखला जिसके परिणामस्वरूप बीमारियाँ होती हैं और मौतें.	आकलन का संभावना के लिए कंपनियों को वापस पाना इकाइयां पर जीवन का अंत या अन्यथा समर्थन पारिस्थितिकी तंत्र विकास के लिए पुनर्चक्रण और/या उचित बरबाद करना प्रबंध

जारी करना वायु प्रदूषण (वायु उत्सर्जन)	प्रदूषण का वायु, भूमि और सतह पानी	आकलन का सभावना के लिए वायु प्रदूषण और प्रबंधप्रणाली चाहेंगे घटित होना पूर्व को निवेश
अनुचित या अत्यधिक भूमि उपयोग	मिट्टी निम्नीकरण और जैव विविधता नुकसान	कंपनी की गतिविधियों की अपेक्षा घटित होना पर कंपनी या ग्राहकनिजी भूमि की अपेक्षा से बड़ा आधारभूत संरचना विकास
उच्च या अत्यधिक शोर स्तरों	मानव पर नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य और विघटन का स्थानीयवन्य जीवन	आकलन का शोर स्तरों के लिए उपयुक्त गतिविधियाँ, में विशिष्ट उत्पादन
मुक्त करना का तरल अपशिष्ट या दूषित अपशिष्ट में स्थानीय जल निकाय या अनुचित अपशिष्ट जल इलाज	सतह पानी प्रदूषण	आकलन पर उत्पादन साइटों के लिए दूषित पदार्थों निपटान
पौढ़ों का बड़ा मात्रा का ठोस अपशिष्ट औरअनुचित अपशिष्टप्रबंध	प्रदूषण का भूमि, और मैदान और सतह पानी	आकलन का पुनचक्रण और/या उचित बरबाद करना प्रबंध
अनुचित प्रबंध का खतरनाक पदार्थों	दूषण का नज़दीक भूमि और पानी	आकलन पर उत्पादन साइटों के लिए दूषित पदार्थों निपटान

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (PS2)

जोखिम	संभावना प्रभाव डालता है	शमन पैमाने
खतरनाक सामग्री हो सकती है कर्मचारियों से अपर्याप्त सुरक्षा	मज़दूर बीमारी या नुकसान का ज़िंदगी	आकलन का कंपनी ओएचएस और खतरनाक सामग्री नीतियां, पीपीई, और घटनाएँ. कम्पनियों को यह आवश्यक हो सकता है कि वे कम करना जोखिम मिला में परिश्रम (सुधार ओएचएस नीति, पीपीई)
उत्पादों सकना होना नहीं सुरक्षित या कठिन उपयोग करने के लिए इस कारण हुई में कार्यस्थल या पर घरचोट लगने की घटनाएं	मज़दूर चोट या नुकसान का ज़िंदगी	आकलन का उत्पाद सुरक्षा, उत्पाद सुरक्षा घटनाएँ, ओएचएस नीतियाँ, और पीपीई। कंपनियाँ मई होना आवश्यक को सुधार नीतियों और प्रक्रियाओं डाक-निवेश.
उत्पादों अवश्य होना पहुंचाया या बनाया गया जो कर सकना कारण कार्यस्थल या सड़कदुर्घटनाओं	मज़दूर चोट या नुकसान का ज़िंदगी	कंपनी का मूल्यांकन परिवहन, यात्रा, और आपूर्ति श्रृंखला नीतियां और घटनाएँ.

हरा उत्पादन, विकासशील कृषि उत्पाद, सौर उत्पाद, और अन्य चीजें मई नेतृत्व करना को कार्यस्थलदुर्घटनाओं	मज़दूर चोट या नुकसान का ज़िंदगी	आकलन का ओएचएस नीतियां, बी2बी मानदंड, घटनाएँ/दुर्घटनाएँ औरपीपीई.
खतरों का musculoskeletal विकारों चोटें, कमी का रक्षात्मक उपकरण वगैरह।	मज़दूर चोट या नुकसान का ज़िंदगी	पीपीई का मूल्यांकन किया गया उपलब्ध द्वारा संभावना निवेशिती.
फिसल जाता है, ट्रिप्स और फाल्स	मज़दूर चोट या नुकसान का ज़िंदगी	कंपनी का मूल्यांकन कार्यस्थल दुर्घटनाएं/घटनाएं,ओएचएस नीतियां, और सफाई प्रक्रियाएं.
चलती हुई मशीन से टक्कर (वाहन, फोर्कलिफ्ट, क्रेन)	मज़दूर चोट या नुकसान का ज़िंदगी	आकलन का कार्यस्थल सुरक्षा प्रक्रियाएं, सुरक्षा प्रशिक्षण, औरपीपीई.
विस्फोट या आग देय को इग्नेशन का धूल या ज्वलनशील सामग्री	मज़दूर चोट या नुकसान का ज़िंदगी	कंपनी का मूल्यांकन आपातकालीन तैयारियां , उपकरण रखरखाव.
खुलासा को खतरनाक वायुमंडल में सीमाबद्ध खाली स्थान	मज़दूर चोट या नुकसान का ज़िंदगी	खतरनाक का आकलन सामग्री नीतियां और प्रक्रियाएं.
पकड़ा गया में द्वारा अनुचित संलग्न करना, बेपनाह या चलती मशीनरी	मज़दूर चोट या नुकसान का ज़िंदगी	आकलन का कार्यस्थल सुरक्षा प्रक्रियाएं, ओएचएस नीतियां,प्रशिक्षण पर भारी मशीनरी.
कर्मी का उपयुक्त कल्याण सुविधाएं (उदाहरण, पोर्टेबल पानी, शौचालय, कपड़े धोनेसुविधाएँ)	मज़दूर बीमार स्वास्थ्य	आकलन का उपयुक्त कल्याण सुविधाएँ शामिल कल्याण सुविधाएँ वह हैं लिंगविशिष्ट।
दोहराव गतियों	मज़दूर चोट	कामकाज का मूल्यांकन विनिर्माण की शर्तें सुविधाएँ।
अनुचित TECHNIQUES के लिए उठाने भारी सामान	मज़दूर चोट	आकलन का कार्यकर्ता प्रशिक्षण कब कार्यरत साथ भारी वस्तुएं. आकलन का संचालन नियमावली को सुनिश्चित करना कर्मचारी हैं उपार्जन उपयुक्त टूट जाता है.
खड़े होकर के लिए लंबा अवधि का समय	मज़दूर चोट	परिचालन का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए मैनुअल कि कर्मचारी हैं उपार्जन उपयुक्त टूट जाता है.

फॉल्स कब कार्यरत पर ऊंचाइयों	मज़दूर चोट या नुकसान का ज़िंदगी	आकलन का ओएचएस नीतियों और सुरक्षा उपकरण।
खुलासा को उच्च या अत्यधिक शोर स्तरों	नुकसान का सुनवाई	आकलन का पीपीई (इयरमफ्स या अन्य उत्पाद) की पेशकश की को कर्मचारी।
संपर्क करें exposedorfaulty विद्युतीय तारों	मज़दूर चोट या नुकसान का ज़िंदगी	कंपनी का मूल्यांकन संपत्ति।

श्रम (PS2)

जोखिम	संभावना प्रभाव डालता है	शमन पैमाने
निवेशक ऐसा नहीं कर सकते राष्ट्रीयता को बनाए रखना और अंतरराष्ट्रीय मानकों के लिए रोज़गारऔर काम सहित श्रम की स्थिति, स्वास्थ्य और सुरक्षा, गैर-भेदभावऔर बराबर अवसर, सीआएच और बच्चा श्रम कानून	मजबूर श्रम, बच्चा श्रम, कर्मी बीमार स्वास्थ्य, नकारात्मक काम पर्यावरण और असमान पहुंचको अवसर और फ़ायदे	कंपनी नीतियों इच्छा होना जबरन श्रम, बाल श्रम के लिए समीक्षा की गई श्रम, श्रम में आपूर्ति जंजीरें, इंसान अधिकार सुरक्षा, औरअनुपालन साथ स्थानीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मानदंड।
निवेशक मई पास होना अंतराल में उनका काम योजनाएँ, मानव संसाधन संसाधन और नीतियां,कर्मचारी अनुबंध, आचार संहिता, और अन्य कार्यकर्ता सुरक्षा नीतियों	नकारात्मक काम पर्यावरण और असमान पहुँच को अवसरऔर फ़ायदे	कंपनियों इच्छा होना आकलन किया के लिए मानव संसाधन नीतियां, मानव संसाधन क्षमता, कर्मचारी अनुबंध, कोड का आयोजित करता है , और अन्य कार्यकर्ता सुरक्षा नीतियां.
सौर विनिर्माण के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला में जबरन श्रम और बाल श्रम	मजबूर श्रम, बच्चा श्रम	कंपनियों का उपयोग करते हुए आपूर्तिकर्ताओं बलपूर्वक या जबरन इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है उचित परिश्रम के दौरान बाल श्रम इच्छा होना छोड़ा गया से निवेश गतिविधि
उत्पादक उपयोग हे गया ए पुरुष प्रभुत्व उद्योग और मई नहीं पर्याप्त रूप से बढ़ावा देना लिंग समानता या उत्पीड़न से मुक्त वातावरण और शोषण	लैंगिक असमानता, श्रमिक असंतोष और सदमा	आकलन का सीआएच नीतियों और प्रक्रियाएं, न्यायसंगत नियुक्तियाँ और पदोन्नति नीति, लिंग कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और उचित सुविधाएँ के लिए सभी कर्मचारी।

फाइनेंसिंग का तृतीय पक्ष कंपनियों कौन पर्याप्त सुरक्षा नहीं है और प्रक्रियाओं के लिए श्रम और कार्यरत स्थितियाँ में जगह।	मजबूर श्रम	आकलन का तृतीय पक्षकंपनियों के लिए सुरक्षा और प्रक्रियाओं के लिए श्रम और कार्यरत स्थितियाँ में जगह। कम्पनियों का मूल्यांकन किया जाएगा मानव संसाधन नीतियां, अनुबंध, संहिता आचरण, और अन्य उपयुक्त श्रम नीतियां.

सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा (PS4)

जोखिम	संभावना प्रभाव डालता है	शमन पैमाने
उपयोग और निपटान का ग्रिड बंद करें सौर, आईसीटी, और ईवी प्रौद्योगिकियां, और विद्युत चुम्बकीय विकिरण से कक्षटावरों और स्मार्ट मीटरों में हो सकता है हानिकर प्रभाव पर स्वास्थ्य।	नकारात्मक प्रभाव समुदाय का स्वास्थ्य	आकलन का ई-कचरा नीतियां, प्रक्रियाएं, और अनुबंध, और आकलन का कक्ष टावर स्थान और सुरक्षा उपाय। कम्पनियों को यह करना आवश्यक होगा पास होना ई-कचरा नीतियों और प्रक्रियाएं.
अनुचित रूप से नियंत्रित या प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड	स्थानीय लोगों के खिलाफ हिंसा समुदाय सदस्य	कंपनी का मूल्यांकन सुरक्षा और तीसरे पक्ष विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण, घटनाएँ, और सुरक्षा प्रक्रियाएं.
कंपनियों मई पास होना अपर्याप्त विस्तृत अनुबंध, अनैतिक बिक्री प्रोत्साहन, या शोषक अनुबंध कब बिक्री उत्पादक उपयोग सामान को आधार का पिरामिड (बीओपी) ग्राहकों.ग्राहकों मई पास होना नाकाफी उत्पादक खरीदते समय सुरक्षा उपयोग उत्पादों साथ दोनों में से एक नकद या श्रेय।	नकारात्मक प्रभाव समुदाय का वित्तीय स्वास्थ्य	आकलन का कंपनी अनुबंध, बिक्री कार्यक्रम, उपभोक्ता सुरक्षा नीतियों और योजनाएँ. कंपनियों साथ ऋण जोखिम के प्रति उल्लेखनीय जोखिम, हिंसक अभ्यास, या कमज़ोर अनुबंध की आवश्यकता हो सकती है कम करना जोखिम बाद निवेश (या मई नहीं प्राप्त करें निवेश).
इंटरनेट कंपनियाँ, रसद आपूर्ति जंजीर अनुकूलन सॉफ़्टवेयर और सवारी करना-हेलिंग प्लेटफॉर्म गोपनीयता के दायरे में आते हैं और डेटा उल्लंघन, जैसा उपयोगकर्ता डेटा संग्रह उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं सुरक्षा और सुरक्षा।	नकारात्मक प्रभाव डालता है पर समुदाय का गोपनीयता औरउपभोक्ता स्वास्थ्य	आकलन का कंपनी गोपनीयता नीति और डेटा संग्रहणनीति और प्रक्रियाएं. कमज़ोर को नियंत्रित करता है इच्छा होना कम द्वारा बाद निवेश आवश्यकताएं।

खतरनाक सामग्री हो सकती है अपर्याप्त रूप से संरक्षित समुदाय	नकारात्मक प्रभाव समुदाय का भौतिक स्वास्थ्य	आकलन का कंपनी का खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान। कंपनियों इच्छा होना आवश्यक को खोजो उपयुक्ततृतीय पक्ष विक्रेताओं को सँभालना खतरनाक सामग्री.
उत्पादों सकना होना नहीं सुरक्षित या कठिन को उपयोग इस कारण हुई में कार्यस्थल या पर घरचोट लगने की घटनाएं	नकारात्मक प्रभाव समुदाय की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य	आकलन का उत्पाद सुरक्षा नीतियां, प्रक्रियाएं, और उपभोक्ता जागरूकता।
उत्पादों अवश्य होना पहुंचाया या बनाना कौन कर सकना कारण कार्यस्थल या सड़क दुर्घटनाएं; इसके अतिरिक्त, ई गतिशीलता उत्पादों सकना बनाएं अधिक दुर्घटनाओं	नकारात्मक प्रभाव समुदाय का स्वास्थ्य	आकलन का कंपनी व्यावसायिक यात्रा पर नीतियां और ओएचएस नीतियां. आकलन का बिक्री आवश्यकताएं के लिए इ - गतिशीलता उत्पाद.
कंपनी कर्मचारी मई शोषण करना या परेशान उपभोक्ता	नकारात्मक प्रभाव डालता है पर समुदाय का भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य, समुदाय सदमा	आकलन का कंपनी उत्पीड़न, सीआह, और ग्राहक सुरक्षा नीतियां. कोड का अतिरिक्त मूल्यांकन का आचरण और मानव संसाधन नीति आवश्यकताएं का कर्मचारी।

भूमि पुनर्वास (PS5)

जोखिम	संभावना प्रभाव डालता है	शमन पैमाने
कंपनी मई प्रचालन पर विवादित इलाका		आकलन का भूमि उपयोग, भूमि खरीदा, शीर्षक, कर्म, किराये के समझौते, औरअनुपालन साथ स्थानीय कानून.
भूमि खरीदा द्वारा कंपनी के लिए संचालन सकना नेतृत्व करना कोअनैच्छिक रिसैटलमेंट	भूमि को हानि समुदाय	आकलन का भूमि उपयोग, भूमि खरीदा, शीर्षक, काम, किराये समझौते, और अनुपालन साथ स्थानीय कानून. कंपनियों साथ भूमि रिसैटलमेंट समस्याएँ इच्छा पास होना को विकास करनाए लार्प जैसा साझा में अनुलग्नक.
भूमि प्रयोग सकना नेतृत्व करना को नुकसान का आजीविका	नुकसान का आजीविका के लिए प्रभावित समुदाय	आकलन का भूमि उपयोग, भूमि खरीदा, शीर्षक, काम, किराये समझौते, और अनुपालन साथ स्थानीय कानून. अगर कंपनियों हैंमिला को पास होना भूमि रिसैटलमेंट समस्याएँ, वेइच्छा होना आवश्यक को पास होना एलएआरपी.

जैव विविधता (PS6)

जोखिम	संभावना प्रभाव डालता है	शमन पैमाने
आवास को क्षति निकासी या विस्थापन	प्राकृतिक वास नुकसान, निम्नीकरण और विखंडन, अग्रणी को ए कमी में प्रजातियाँ प्रचुरताऔर घनत्व।	आकलन जगह का संचालन और आपरेशनल गतिविधियाँ। अगर कंपनी संचालन संभावित रूप से निवास स्थान में परिवर्तन या हानि उत्पन्न हो सकती है, कंपनी इच्छा होना पूछा को उपलब्ध करवाना परिश्रम में शमन। यदि पर्याप्त शमन करना नहीं अस्तित्व, शमन करने वाले इच्छा होना संहिताबद्ध में अवधि चादर।
पक्षियों का सौर ऊर्जा से टकराव पैनलों और/या संचरणपंक्तियां	टक्कर जोखिम को पक्षियों और बल्ला प्रजातियाँ, विशेष रूप से अगर सतहें ऊर्ध्वाधर उन्मुख हैं और/या दर्शाती रोशनी	आकलन का कंपनियों को मई खड़ा करना एक प्रभाव को पक्षियों या वन्य जीवन इच्छा होना पूछा के बारे मेंपरिश्रम में पक्षी को टक्कर का खतरा। अगर टक्कर जोखिम पाए जाने पर, कंपनियों से कहा जाएगा कि वे शेयर करना शमन करने वाले शामिल सूरज पकड़ने वाले. अपर्याप्त क्षमता वाली बड़े पैमाने पर प्रभावशाली कंपनियाँ शमन करने वाले इच्छा पास होना शमन करने वाले संहिताबद्ध में अवधि चादर।
वन्यजीव मृत्यु दर देय राशि को आकर्षण को वाष्पीकरणतालाबों	तालाब जंगली जानवरों को आकर्षित कर सकते हैंऔर खड़ा करना जोखिम में शर्तें का रासायनिक जहर (में मामलाका एकाग्रता का रसायन पहले निपटान) और डूबना	आकलन का कंपनियों साथ रसायन मेंउचित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संचालन। यदि कम्पनियाँ अपर्याप्त हैं, शमन उपाय होंगे संहिताबद्ध में अवधि चादर।

रुकावट प्रभाव	बड़ा क्षेत्रों साथ पीवी पैनलों और उनका संबंधित सुविधाएँ कर सकना वन्यजीव/मानव को बाधित करना आंदोलन (उदाहरण, पेस्टोरालिस्ट समुदाय) और/या प्रवास द्वारा अभिनय जैसा ए रुकावट	आकलन का मिनीग्रेड और सी एंड आई सौर निवेश के लिए आपरेशनल जगह और परियोजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए विस्तार योजना वन्यजीवों या मानव पर अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं यदि जोखिम की पहचान की जाती है, तो कंपनी या तो पर्याप्त सबूत की आवश्यकता होगीशमन उपायों को स्वीकार करें या अनिवार्य शमन उपायों को स्वीकार करें अवधि चादर।
प्राकृतिक वास निम्नीकरण दय को परिवर्तन में जल विज्ञान औरपानी उपलब्धता या गुणवत्ता	अत्यधिक पानी प्रयोग पर साइटों सकना ऑल्टर उपलब्धता कासतही एवं भूमिगत जल स्रोत को बनाए रखना निवास स्थान, जैसे कि नदी तटीय वनस्पति,विशेष रूप से में शुष्क क्षेत्र.	आकलन का कंपनियों साथ महत्वपूर्ण पानी के उपयोग में उनका संचालन. कंपनियों साथ महत्वपूर्ण जोखिम इच्छा होना पूछा को शमन कारकों की पहचान करना या इच्छा होना आवश्यक को कम करना जोखिम निवेश के बाद.
आवास परिवर्तन सूक्ष्मजलवायु में परिवर्तन प्रभाव का सौर पैनलों	छाया प्रभाव कारण द्वारा सौर पैनलों कर सकना ऑल्टर प्रजातियाँ संघटन और विविधता का परिणामस्वरूप अंतर्निहित आवासवायु और मिट्टी सूक्ष्मजलवायु विविधताएं.	आकलन का प्राकृतिक वास परिवर्तन से सौर पैनल, पर्यावरण नीतियां, यदि जोखिम हैं पहचान की गई या कमियां पाई गईं, कंपनी इच्छा होना आवश्यक को बनाना सुधार.
परिचय का इनवेसिव विदेशी प्रजातियाँ	आंदोलन का उपकरण, लोग या अवयव मई आसान करना परिचय का आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ (आईएएस) विभिन्न मार्ग। इसके अतिरिक्त, निर्माण का नया निवास स्थान, मई भी आसान करना फैलाना काआईएएस पहले से उपस्थित पर साइट।	आकलन का आपूर्ति जंजीर प्रक्रियाओं शामिल शिपिंग, युक्त, और भंडारण।

संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र सेवा प्रभाव डालता है	सौर ऊर्जा के लिए ली गई भूमि विकास और उनकेसंबंधित सुविधाएँ सकना नेतृत्व करनाको कम किया हुआ पहुँच को, और नुकसान का महत्वपूर्ण प्रोविजनिंगसेवाएँ जैसे क्षेत्र कृषि के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का प्रावधान. स्थानीय समुदाय मई भीअनुभव करना ए नुकसान का सांस्कृतिक मूल्य, शामिल ए समझ का जगह और संबंधित.	आकलन का कंपनी स्थान, गतिविधि, और पर्यावरण नीतियां.

स्वदेशी लोग (PS7)

जोखिम	संभावना प्रभाव डालता है	शमन पैमाने
मानते हुए ग्रामीण और ग्रिड बंद करें व्यापार गतिविधियाँ, समुदाय स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम (ऊपर विस्तृत) प्रभावित कर सकते हैं दूर, स्वदेशी लोगों.	नकारात्मक प्रभाव समुदाय का भौतिक, वित्तीय,या मानसिक स्वास्थ्य	कंपनियों को पहचान करना कवरेज क्षेत्रों वह शामिल करना स्वदेशी पीपुल्स और सुनिश्चित करना वहसंचार और आउटरीच प्रयास हैं संवेदनशील कोस्वदेशी लोगों की प्रथाएँ और जानकारी साझा करना.
जबकि हम करना नहीं अंदाज़ा लगाना निवेश यदि इसके लिए महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता हो, किसी भी संभावित निवेश के लिए आवश्यक भूमि के लिए परियोजना इंस्टालेशन या सुविधाओं के विस्तार के लिए अतिरिक्त जोखिमों का आकलन किया जाएगा।	नकारात्मक प्रभाव डालता है पर स्वदेशी लोग	कोई महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहण इच्छा होना विषय को अप-फ्रंट स्क्रीनिंग के लिए संभावना नकारात्मकप्रभाव और पालन करने की आवश्यकता अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ आचरण समान आकार के कार्यों के लिए स्वतंत्र एवं पूर्व सूचित सहमति।

पी.एस. - 8 सांस्कृतिक विरासत

हालांकि हमें नहीं लगता कि निवेश के लिए महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी, लेकिन यदि किसी संभावित निवेश के लिए परियोजना स्थापना या सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता होगी, तो अतिरिक्त जोखिमों का आकलन किया जाएगा।	सांस्कृतिक विरासत पर नकारात्मक प्रभाव.	कोई भी महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहण इच्छा होना विषय को अप-फ्रंट स्क्रीनिंग के लिए संभावना नकारात्मक प्रभाव और पालन करने की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए इसी तरह आकार काम करता है के लिए मौका ढूंढता है और संरक्षण का सांस्कृतिक विरासत

अनुलग्नक डी: सांकेतिक समीक्षा चेकलिस्ट

ईएसजी समीक्षा सांकेतिक चेकलिस्ट

उद्देश्य

- जोखिमों के प्रारंभिक आकलन के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना ;
- वर्तमान ईएसजी प्रबंधन पर उपलब्ध दस्तावेज़ और जानकारी एकत्र करें;
- जहां तक संभव हो, प्रारंभिक स्तर पर ही किसी भी सौदे को तोड़ने वाले मुद्दों की पहचान करना;
- साइट पर उचित परिश्रम प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन और जानकारी प्रदान करें।

यह सूची संपूर्ण नहीं है, और आगे के मुद्दों पर केस-दर-केस आधार पर पहचान के आधार पर विचार किया जाता है ईएसजी चेकलिस्ट -

व्यवसाय अवलोकन

विषय	जानकारी
कंपनी नाम	
संचालन का भूगोल	
उद्योग/व्यापार क्षेत्र	
प्रकार का संचालन संबंधित साथ व्यापार	
बहिष्करण सूची जांच करना	
स्थिरता/गैर-वित्तीय प्रकटीकरण रिपोर्ट - क्या कंपनी स्थिरता रिपोर्ट तैयार करती है? (या गैर-वित्तीय जानकारी) प्रतिवेदन? कृपया टिप्पणी वह में ऐसा ए प्रतिवेदन यह हैसंभव को खोजो कुछ जानकारी वह मई होना इस्तेमाल किया गया में संकलन का टैब "पर्यावरण", "सामाजिक" और "कॉर्पोरेट प्रशासन"	
ईएसजी नीति, पर्यावरण नीति, स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति, सामाजिक नीति क्या कंपनी के पास ऐसी नीतियां हैं जो कवर करती हैं ईएसजी पहलू (ईएसजी नीति, पर्यावरण नीति, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक नीति)?	
वहनीयता अनुभाग पर वेबसाइट करता है कंपनी प्रकाशित वहनीयताजानकारी पर इसका वेबसाइट?	
व्यवसाय की प्रकृति/कार्य के भूगोल के आधार पर कोई विशिष्ट संकेत।	

ईएसजी चेकलिस्ट – पर्यावरण

पहचान	विषय	आईएफसी प्रदर्शन मानक	पाइपलाइन से संबंधित?	मार्गदर्शन हेतु विवरण/प्रश्न	पाइपलाइन कंपनी की परिपक्वता का स्तर	नोट्स
ई.1	विनियामक अनुपालन	पी.एस. 3, 6		• पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित गंभीर घटनाएँ/विनियामक उल्लंघन। घटना की प्रकृति, किए गए सुधार/सीखे गए सबक और विनियामक कार्रवाई (प्रवर्तन/अभियोजन/जुर्माना)।		
ई.2	प्राकृतिक खतरे	पीएस 3		• क्या कंपनी बाढ़, भूकंप या अन्य प्राकृतिक खतरों के अधीन है?		
ई.3	कार्बन उत्सर्जन/जलवायु परिवर्तन	पीएस 3		कार्बन उत्सर्जन • क्या कंपनी ऊर्जा गहन क्षेत्र में काम करती है? क्या कंपनी जीएचजी उत्सर्जन (गैर-प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न, जैसे आउटसोर्स्ड लॉजिस्टिक्स, अंतिम उत्पाद का उपयोग आदि) की निगरानी करती है? क्या उत्पादन (विशेष रूप से कार्बन गहन गतिविधियाँ) मुख्य रूप से आउटसोर्स की जाती हैं? क्या कंपनी कैप-एंड-ट्रेड स्कीम (ईयू ईटीएस) के अधीन है? • उत्सर्जन को नियंत्रित करने और/या कम करने के लिए योजनाएं या कार्यवाहियां। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव • क्या परिचालन को वर्तमान/विकसित हो रहे जलवायु परिवर्तन विनियमन और/या जलवायु परिवर्तन से जुड़े भौतिक परिवर्तनों (जिसमें बाढ़, सूखा या अन्य गंभीर मौसम की घटनाएं शामिल हैं) से खतरा हो सकता है, उदाहरण के लिए: व्यवसाय में व्यवधान या परिसंपत्तियों और उत्पादन को नुकसान?		

ई.4	वायु उत्सर्जन	पीएस 3		• क्या कंपनी के परिचालन से वायु में महत्वपूर्ण उत्सर्जन हो सकता है (जैसे, तेल और गैस, ऊर्जा, परिवहन, रसायन)		
ई.5	ऊर्जा और जल प्रबंध	पीएस 3		• क्या कंपनी का परिचालन ऊर्जा या जल पर आधारित है? • क्या ऊर्जा खपत को कम करने, कंपनी के ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई योजना है? • क्या प्रस्तुत उत्पादों पर ऊर्जा लेबलिंग/प्रमाणन है?		
ई.6	रसायन/खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन एवं आपूर्ति श्रृंखला	पीएस 3		• क्या उत्पादन प्रक्रिया में रसायनों/खतरनाक पदार्थों का उपयोग किया जाता है? • क्या प्रबंधन को विनियामक चरण-आउट (जैसे, REACH विनियमन) के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक/खतरनाक पदार्थों की आपूर्ति में किसी भी संभावित व्यवधान की जानकारी है? • क्या कंपनी उत्पादन प्रक्रिया में अधिक पर्यावरण अनुकूल एवं सुरक्षित कच्चे माल/रसायनों के उपयोग पर विचार कर रही है?		
ई.7	अपशिष्ट प्रबंधन/उत्पाद का जीवन-काल समाप्त होना	पी.एस. 3, 6		• क्या उत्पादन प्रक्रिया से प्रासंगिक मात्रा में अपशिष्ट या खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न होता है? • अपशिष्ट को न्यूनतम करने या पुनः उपयोग/पुनर्चक्रण के लिए अपशिष्ट प्रबंधन पहल। • क्या प्रस्तुत उत्पाद इस प्रकार डिजाइन किये गये हैं कि उनका जीवनकाल कम हो?		
ई.8	मृदा एवं भूजल	पीएस 6		• क्या लक्ष्य कंपनी की गतिविधियों के परिणामस्वरूप मृदा संदूषण का खतरा है? • सुधारात्मक गतिविधियां संचालित करने की आवश्यकता है ? • क्या कंपनी ने पर्यावरण संबंधी किसी दायित्व, जैसे कि दूषित भूमि/पर्यावरणीय पुनर्स्थापन, को संबोधित करने के लिए		

				खातों में कोई वित्तीय प्रावधान किया है?		
ई.9	जैव विविधता पर प्रभाव	पीएस 6		• क्या उत्पादन प्रक्रिया का जैव विविधता (वनों की कटाई और भूमि क्षरण सहित) पर कोई प्रभाव पड़ा है?		
ई.10	हरित उत्पाद	पीएस 6		• क्या कंपनी "हरित" या "कम प्रभाव" उत्पाद श्रृंखला पेश करती है?		
ई.11	पैकेजिंग	पीएस 6		• क्या कंपनी द्वारा प्रस्तुत उत्पादों को उचित मात्रा में पैकेजिंग की आवश्यकता होती है (जैसे, नाजुक सामान)? • क्या पैकेजिंग के डिजाइन में स्थिरता के मानदंडों पर विचार किया जाता है?		

ईएसजी चेकलिस्ट – सोशल

पहचान	विषय	आईएफसी प्रदर्शन मानक	पाइपलाइन से संबंधित?	मार्गदर्शन हेतु विवरण/प्रश्न	पाइपलाइन कंपनी की परिपक्वता का स्तर	नोट्स
एस.1	इंसान संसाधन	पी.एस. 2		• कार्यबल संरचना (कर्मचारी, स्व-नियोजित, प्रशिक्षु, मौसमी श्रमिक) • क्या सभी कर्मचारियों के पास रोजगार का औपचारिक अनुबंध है? • टर्नओवर दरें और प्रतिभा प्रतिधारण • विविधता संबंधी मुद्दे (जैसे, बोर्ड में विविधता, वेतन अंतर) • गंभीर श्रम संबंधी शिकायतें/दावे/प्रवर्तन कार्रवाइयां • संघ बनाने और सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता • कर्मचारियों को प्रशिक्षण लाभ प्रदान किया गया		
एस.2	स्वास्थ्य और सुरक्षा	पी.एस. 2		• क्या कंपनी ऐसे उद्योग में काम कर रही है जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उच्च जोखिम प्रस्तुत करता है? • क्या श्रमिकों को अपने व्यवसाय से संबंधित बीमारियों का उच्च जोखिम या अधिक प्रकोप झेलना पड़ता है? • क्या कंपनी प्रासंगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन के लिए नियामकों द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई के अधीन रही है? • क्या कंपनी को प्रमुख जोखिम सुविधा के रूप में वर्गीकृत किया गया है?		

एस.3	समुदाय भागीदारी	पीएस 4		• सामुदायिक निवेश, प्रायोजन, उत्पाद दान • समुदाय के साथ कंपनी की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए औपचारिक कार्यक्रम (स्वयंसेवा, हितधारक सहभागिता, आदि)। • पिछले एनजीओ/मीडिया नकारात्मक अभियान, समुदाय/कार्यबल अशांति		
एस.4	उपभोक्ता सुरक्षा/उत्पाद विनियम	पीएस 4		• उत्पाद या क्षेत्र विशेष विनियम (जैसे, खाद्य सुरक्षा, फार्मा जीएमपी, अन्य) • उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम		
एस.5	ग्राहक गोपनीयता	पीएस 4		• कंपनी की डेटा सुरक्षा नीति और आईटी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली • कंपनी के पास मौजूद जानकारी की संवेदनशीलता • पिछले वर्षों में साइबर सुरक्षा में उल्लंघन • ग्राहक की गोपनीयता के उल्लंघन और ग्राहक डेटा की हानि के संबंध में पुष्ट शिकायतें		
एस.6	निष्पक्ष प्रकटीकरण और लेबलिंग / निष्पक्ष विपणन	पीएस 4		• उत्पाद और सेवा की जानकारी और लेबलिंग के लिए आवश्यकताएँ • उत्पाद और सेवा संबंधी जानकारी और लेबलिंग के संबंध में गैर -अनुपालन की घटनाएं • विपणन संचार से संबंधित गैर -अनुपालन की घटनाएं		
एस.7	नवाचार	पीएस 4		• अनुसंधान एवं विकास निवेश योजनाएं, पेटेंट, नवीन उत्पाद और/या सेवाएं		

ईएसजी चेकलिस्ट – कॉर्पोरेट प्रशासन

पहचान	विषय	आईएफसी प्रदर्शन मानक	पाइपलाइन से संबंधित?	मार्गदर्शन हेतु विवरण/प्रश्न	पाइपलाइन कंपनी की परिपक्वता का स्तर	नोट्स
जी.1	ईएसजी प्रणालियाँ और प्रक्रियाओं	पी.एस. 1		नियम और जिम्मेदारियाँ • क्या कोई ईएसजी समिति/संचालन समिति स्थापित की गई है? • स्थिरता पर वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर प्रतिबद्धता और जिम्मेदारियाँ। • क्या दिन-प्रतिदिन के ईएसजी मामलों के लिए कोई निर्दिष्ट संदर्भ व्यक्ति नियुक्त किया गया है? नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ • क्या ईएसजी मूल्य और सिद्धांत स्पष्ट रूप से संप्रेषित किए गए हैं (उदाहरण के लिए, वेबसाइट पर)? • क्या कंपनी के पास स्थिरता या व्यवसाय आचरण नीतियां हैं? • क्या नीतियों में भेदभाव, बाल श्रम, जबरन या अनिवार्य श्रम, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दे शामिल हैं? • क्या पर्यावरण/स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रक्रियाएं या प्रबंधन प्रणालियां मौजूद हैं ? • प्रक्रियाओं की स्थापना एवं अंतःस्थापना का स्तर क्या है? निगरानी और रिपोर्टिंग • और प्रदर्शन की निगरानी और वरिष्ठ प्रबंधन/बोर्ड को रिपोर्टिंग के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं ? • क्या कंपनी वार्षिक खातों में ईएसजी/सीएसआर/स्थायित्व रिपोर्ट या कोई निर्दिष्ट अनुभाग प्रकाशित करती है? • क्या वेबसाइट पर कोई स्थिरता अनुभाग है?		

जी.2	भ्रष्टाचार और व्यापार को नैतिकता	पी.एस. 1		• वर्तमान में संगठन अवैध गतिविधियों से बचाव के लिए क्या करता है? • क्या आपके पास रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी, अनुचित श्रम प्रथाओं के मामले, मानवाधिकारों के हनन और अन्य अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं से संबंधित कोई कॉर्पोरेट प्रकॉर्पोरेट प्रशासन और/या नैतिकता से संबंधित कर्मचारी दावे/उल्लंघन/प्रवर्तन/ मुकदमेबाजी कार्रवाई है ? • क्या कंपनी वित्तीय या वस्तुगत राजनीतिक योगदान देती है? • क्या कंपनी सार्वजनिक नीति विकास या लॉबिंग गतिविधियों में भाग लेती है? • क्या कोई अविश्वास-विरोधी मुद्दे हैं?		
जी.3	आपूर्ति श्रृंखला	पी.एस. 2, 4, 6		• क्या प्रमुख आपूर्तिकर्ता उभरते हुए देशों में स्थित हैं? • उच्च सामाजिक, मानव श्रम, पर्यावरणीय जोखिम वाले बाजार? • क्या आपूर्ति श्रृंखला उच्च सामाजिक, मानव श्रम, पर्यावरणीय जोखिम वाले उद्योग का हिस्सा है? • क्या कंपनी के पास आपूर्तिकर्ताओं के लिए कोई जिम्मेदार क्रय नीति/आचार संहिता है? • क्या प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के चयन और निगरानी में ईएसजी मानदंड शामिल हैं?		

इसके अतिरिक्त, आईएफसी प्रदर्शन मानकों हैं अपेक्षित को आवेदन करना

आईएफसी प्रदर्शन मानकों (पीएस)	उपयुक्त को लक्ष्य कंपनी	प्रत्यक्ष एक्सपोजर को जोखिम	जोखिम में आपूर्ति जंजीर
PS1. पर्यावरण और सामाजिक जोखिमप्रबंध			
PS.2 लेबरेड कार्यरत स्थितियाँ			
PS3. संसाधन दक्षता और प्रदूषण रोकथाम			
PS4. समुदाय स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा			
PS5. भूमि अधिग्रहण/ अनैच्छिकय रिसैटलमेंट			
पीएस6. जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन			
PS7. स्वदेशी पीपुल्स			
पीएस8. सांस्कृतिक विरासत			
PS9: हितधारक सगाई			
पी एस 10 : जलवायु परिवर्तन			

अनुलग्नक डी -1: विशेषज्ञ ईएसजी डीडी का सांकेतिक दायरा

निम्नलिखित विशेषज्ञ ईएसजी डीडी का सांकेतिक दायरा है। उक्त उचित परिश्रम अभ्यास का दायरा प्रत्येक लेनदेन के लिए जोखिम वर्गीकरण , उद्योग/क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र और लक्षित कंपनी के व्यवसाय मॉडल के आधार पर तैयार किया जाएगा, और इसमें आईएफसी प्रदर्शन मानकों में शामिल उचित परिश्रम के उन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। ऊपर तैयार की गई चेकलिस्ट को भी विशेषज्ञ ईएसजी डीडी के दायरे में जोड़ा जाएगा।

वातावरणीय कारक	सामाजिक कारक
• प्रदूषण नियंत्रण विनियामक अनुमोदन	• श्रम और कार्य स्थितियां, जिनमें असुरक्षित श्रमिक भी शामिल हैं
• उत्सर्जन सहित जल और वायु प्रदूषण से संबंधित मामले	• न्यूनतम मजदूरी और सेवानिवृत्ति लाभों का अनुपालन
• ऊर्जा उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग	• भेदभाव, प्रतिनिधित्व और यूनियनें
• सीवेज उपचार संयंत्र और अपशिष्ट निर्वहन मानदंडों और लागू विनियमों का अनुपालन	• स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिमों के प्रकार एवं स्तर; सुरक्षात्मक उपाय, प्रक्रियाएं एवं उपकरण, सुरक्षा रिकॉर्ड, प्रशिक्षण आदि।
• जल एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग	• कॉर्पोरेट द्वारा सुरक्षा बल का उपयोग
• अन्य पर्यावरणीय क्षेत्र - भूमि की सफाई, वन या आवास, जैव विविधता की हानि, जलवायु परिवर्तन, आदि।	• अन्य सामाजिक कारक - संघर्ष, पुनर्वास और पुन:स्थापना, छंटनी, संवेदनशील सांस्कृतिक विरासत के मुद्दे, सामुदायिक परामर्श, स्थानीय समुदायों पर प्रभाव, यौन शोषण सहित किसी भी रूप में श्रम/हितधारकों का दुरुपयोग, स्वदेशी लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव का जोखिम, आदि।

कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी मामले इस दायरे में शामिल नहीं हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी अधिकांश परिश्रम क्षेत्र अनिवार्य हैं और उन्हें पृष्ठभूमि जांच, लेखांकन एवं वित्तीय, तथा कानूनी परिश्रम के भाग के रूप में कवर किया जाएगा।

बाहरी ईएसजी सलाहकार के लिए ToR

ToR को लेनदेन के जोखिम वर्गीकरण और भूगोल, क्षेत्र आदि जैसे अन्य कारकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। बाह्य ईएसजी सलाहकारों के लिए ToR को अंतिम रूप देते समय , प्रोस्पेरेट निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करेगा।

प्रसंग:

- पृष्ठभूमि की जानकारी और उचित परिश्रम अभ्यास के लिए संदर्भ निर्धारित करना जिसे प्रोस्पेरेटे कमीशन करने का इरादा रखता है;
- प्रोस्पेरेट, इसकी ईएसजी नीति और रणनीतिक केन्द्रित क्षेत्रों के बारे में एक परिचयात्मक अनुच्छेद; तथा

- जांच की जाने वाली पोर्टफोलियो कंपनी या सुविधाओं का परिचय।
- परियोजना का स्थान और कोई विशिष्ट जानकारी जैसे संघर्ष आदि।

अध्ययन की प्रकृति और उद्देश्य:

- अपेक्षित अध्ययन की प्रकृति और उद्देश्य निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें अध्ययन का उद्देश्य और प्रदान की गई जानकारी का उपयोग किस लिए किया जाएगा (उदाहरण के लिए अनुपालन निर्धारित करना, मूल्य जोड़ने के अवसरों की जांच करना, अधिग्रहण से पहले संभावित देनदारियों का आकलन करना, या पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणालियों (" **ईएसएमएस** ") में ताकत और कमजोरियों की पहचान करना) बताया गया है;
- वह दर्शक वर्ग जिसके लिए जानकारी/अध्ययन तैयार किया गया है;
- प्रस्तावित ईएसजी सलाहकार को यात्रा और अन्य इनपुट के लिए प्रासंगिक विशेषज्ञता और लागत के साथ उपयुक्त टीम के सदस्यों के कार्य-घंटे की योजना बनाने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करें। मौजूदा या संभावित ईएसजी जोखिमों और प्रभावों का अवलोकन महत्वपूर्ण है;
- उन लागू आवश्यकताओं का परिचय दें जिनके विरुद्ध अध्ययन किया जाना चाहिए। निर्दिष्ट करें कि IFC प्रदर्शन मानक और अन्य लागू वैश्विक सम्मेलन उचित परिश्रम अभ्यास के लिए मानक हैं; और
- समीक्षा किये जाने वाले दस्तावेजों की न्यूनतम सूची शामिल करें ।

समय और दायरा:

- जांच के समय और अन्य परियोजना मील के पत्थरों पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करें। इंगित करें कि अध्ययन कब शुरू होने की संभावना है और अंतिम रिपोर्ट और प्रस्तुति कब दी जानी चाहिए;
- कम से कम कितनी साइटों पर जाना है, इस बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश दें, साथ ही यह भी स्पष्ट निर्देश दें कि कौन सी साइटें ज़रूरी हैं। कंपनी को आसन्न साइट विज़िट के बारे में सूचित करें।
- सुनिश्चित करें कि परामर्शदाता को कंपनी के लिए अपेक्षित भविष्य की विकास योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, विशेष रूप से जहां इसमें नई साइटें शामिल हैं, क्योंकि इसका प्रबंधन प्रणालियों पर प्रभाव पड़ेगा जिन्हें लागू करने की आवश्यकता होगी।

अपेक्षित आउटपुट:

- अंतिम रिपोर्ट के लिए शीर्षकों या मसौदा सामग्री पृष्ठ की सूची शामिल करें ;
- कंपनी को क्या करना चाहिए इसके लिए अलग-अलग सिफारिशें मांगें और कंपनी की सहायता के लिए प्रोस्पेरेट क्या कर सकता है इसके लिए सिफारिशें मांगें;
- अंतिम रिपोर्ट की अधिकतम लंबाई बताएं; और
- बता दें कि निष्कर्षों की अंतिम प्रस्तुति और चर्चा भी आवश्यक होगी।
- रिपोर्ट की सुझाई गई रूपरेखा अनुलग्नक ई में दी गई है।

अनुलग्नक डी-2 - स्वदेशी लोगों के प्रबंधन के लिए व्यापक दिशानिर्देश

प्रोस्पेरेट मुख्य रूप से लक्ष्य देशों में ऊर्जा दक्षता, उत्पादक उपयोग, तथा गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स पहुंच लाने वाली कंपनियों में इक्विटी और अर्ध-इक्विटी निवेश प्रदान करेगा।

स्वदेशी लोगों पर संभावित प्रभाव

सकारात्मक

- स्वच्छ ऊर्जा तक बेहतर पहुंच और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता में कमी, जिससे स्वास्थ्य और वित्तीय बचत में वृद्धि होगी।
- जलवायु लचीलापन बढ़ाने, कृषि परिणामों में सुधार लाने, तथा छोटे किसानों की आय में सुधार लाने के लिए उत्पादक उपयोग उत्पादों और सेवाओं तक बेहतर पहुंच।

हानिकर

- यदि निवेशकर्ता अपने परिचालन (कारखाने, गोदाम) का विस्तार करते हैं तथा पारंपरिक रूप से स्वदेशी समूहों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण करते हैं तो विस्थापन की संभावना है।
- यदि कारखाने नजदीक स्थित हों तो विनिर्माण अपशिष्ट स्थानीय भूमि को प्रदूषित कर सकता है।

मूल्यांकन योजना

प्रोस्पेरेट द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक निवेश के लिए, निवेश टीम स्वदेशी लोगों के लिए प्रस्तुत जोखिम के स्तर का आकलन करने के लिए परिश्रम चरण के दौरान कुछ प्रश्न पूछेगी, और आवश्यकतानुसार कोई भी कार्रवाई करेगी। इन प्रश्नों में शामिल हो सकते हैं:

क्या कंपनी उन क्षेत्रों में काम करती है जहाँ स्वदेशी आबादी ज्ञात है? यदि नहीं, तो कोई और कार्रवाई नहीं। यदि हाँ, तो व्यवसाय मॉडल और समुदाय के बारे में प्रश्न पूछें ताकि आप समझ सकें:

कोई भी संभावित प्रतिकूल प्रभाव, तथा यदि कोई हो तो उसे कम करने के तरीके।

यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि स्वदेशी समूहों को कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं तक समान पहुंच मिले।

निवेश के बाद की अवधि के दौरान, प्रॉस्पेरेटे, प्रासंगिक रूप से, स्वदेशी समूहों के लिए सुरक्षा विकसित करने के लिए कंपनी के साथ काम कर सकता है।

प्रोस्पेरेट अपने निवेशकों को भी आईपीपी के समान या तुलनीय मानकों से बाध्य करेगा, जैसा भी उपयुक्त हो।

सार्थक परामर्श और स्वतंत्र, पूर्व एवं सूचित सहमति सुनिश्चित करना

यदि कंपनियां स्वदेशी समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव की पहचान करती हैं, तो निवेशक अपने ईएसआईए में सार्थक परामर्श में शामिल होने के लिए एक योजना तैयार करेंगे।

जहां किसी निवेशिती की गतिविधियों के परिणामस्वरूप विस्थापन हो सकता है, वहां निवेशिती को स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति प्राप्त करनी होगी, तथा ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसे ईएसएमएस में दस्तावेजित करना होगा।

निगरानी और रिपोर्टिंग

कंपनी द्वारा प्रोस्पेरेट को प्रदान की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में अद्यतन किया जाएगा ।

उपरोक्त एक व्यापक दिशानिर्देश है। सभी परियोजनाओं में जहां आईपी जोखिम की पहचान की गई है, उनका मूल्यांकन "प्रोस्पेरेट आईपी प्रबंधन फ्रेमवर्क" दस्तावेज़ में दिए गए दिशानिर्देशों का उपयोग करके किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक डी-3: भूमि और पुनर्वास के लिए मार्गदर्शन

एलएआरपी का औचित्य

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास योजना (एलएआरपी) पोर्टफोलियो कंपनी के परिचालन से उत्पन्न जोखिमों और प्रभावों की जांच, आकलन, क्षतिपूर्ति और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करती है।

एलएआरपी, प्रोस्पेरेट के ईएसजी मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि पोर्टफोलियो कंपनियों को राष्ट्रीय भूमि पुनर्वास कानूनों और विनियमों तथा फंड ईएसजी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

LARP का उपयोग तब किया जाएगा जब किसी कंपनी से प्रॉस्पेरेट से प्राप्त आय का उपयोग करके पुनर्वास प्रभाव उत्पन्न करने की अपेक्षा की जाती है। LARP यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना से प्रभावित लोगों की परियोजना में महत्वपूर्ण आवाज़ होगी और निष्पक्ष उपचार सुनिश्चित करने के लिए शिकायत और शिकायत उपकरणों तक उनकी पहुँच होगी।

फंड उन परियोजनाओं से बचने की कोशिश करेगा जिनमें पुनर्वास का महत्वपूर्ण जोखिम हो। विशेष रूप से, फंड उन परियोजनाओं में निवेश नहीं करेगा जो बड़ी संख्या में लोगों को पुनर्वासित करेंगी या जो कमजोर आबादी पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालेंगी।

एलएआरपी के उद्देश्य

एलएआरपी का उद्देश्य फंड, पोर्टफोलियो कंपनी और प्रभावित हितधारकों को पुनर्वास प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करना है।

एलएआरपी के विशिष्ट उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. यह निर्धारित करना कि क्या पोर्टफोलियो कंपनी भूमि खरीदेगी या उसका उपयोग बढ़ाएगी, और यदि ऐसा है, तो यह कि भूमि कानूनी रूप से प्राप्त की गई है और निवासियों को अनैच्छिक रूप से विस्थापित नहीं किया जा रहा है;
2. प्रॉस्पेरेट आय का उपयोग करके पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करना, जिसके परिणामस्वरूप अनैच्छिक पुनर्वास या अन्य प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव पड़ता है ;
3. यह सुनिश्चित करना कि जब अनैच्छिक पुनर्वास के साथ भूमि अधिग्रहण अत्यंत आवश्यक हो तो हितधारकों को स्थायी सामाजिक लाभ प्राप्त हो;
4. गतिविधियों की परियोजना नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को रेखांकित करना ;
5. यह सुनिश्चित करना कि शिकायत निवारण तंत्र शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायत की गहन जांच का अधिकार देता है।
6. अनैच्छिक पुनर्वास या विस्थापन राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

भूमि पुनर्वास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत इस प्रकार हैं:

1. विस्थापन से बचना, और जब बचना असंभव हो, तो परामर्श और वैकल्पिक परियोजना डिजाइन के माध्यम से विस्थापन को न्यूनतम करना;
2. जबरन बेदखली से बचने के लिए;

स्क्रीनिंग मानदंड

1. एलएआरपी केवल प्रोस्पेरेटे के उन निवेशकों पर लागू होता है, जहां भूमि खरीदी गई है और भूमि पुनर्वास या आजीविका पुनर्स्थापन से संबंधित विवाद को कंपनी के समक्ष लाया गया है।
2. कंपनियों और निवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पात्रता मानदंड
3. भूमि क्रय के दो वर्ष के भीतर विवाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए;
4. विवाद पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा खरीदी गई भूमि के बारे में होना चाहिए;
5. जांच के लिए दावेदार के पास भूमि पर अधिकार का सबूत होना चाहिए ।

मुआवज़ा

जब प्रोस्पेरेट निवेश का उपयोग भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया हो, जिसके परिणामस्वरूप अनुचित पुनर्वास हुआ हो, तो एलएआरपी मुआवजे के संबंध में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का पालन करेगा।

आजीविका बहाली

अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करेगा , जब प्रोस्पेरेट निवेश का उपयोग भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया हो, जिसके परिणामस्वरूप अनुचित पुनर्वास और आजीविका की हानि हुई हो।

मूल्यांकन

किसी भी पुनर्वास या पुनर्स्थापन के मूल्यांकन में निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाएगा:

1. भूमि का उचित बाजार मूल्य
2. ट्रांज़ेक्शन लागत
3. अर्जित ब्याज
4. संक्रमणकालीन और पुनर्स्थापन लागत
5. अन्य लागू भुगतान

अपेक्षित बजट

प्रॉस्पेरेटे पूरे पोर्टफोलियो में भूमि पुनर्वास मुद्दों की असंभावित प्रकृति को देखते हुए उचित बजट निर्धारित नहीं कर सकता है। हालांकि, पोर्टफोलियो कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि उनके पास किसी भी महत्वपूर्ण भूमि पुनर्वास या आजीविका बहाली की घटना की लागत का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन हो, जिसके लिए जांच में उन्हें पूरी तरह से दोषी पाया जाता है।

शिकायत तंत्र

परियोजना से प्रभावित समुदाय भूमि पुनर्वास या आजीविका बहाली की घटनाओं को शुरू करने के लिए प्रॉस्पेरेट या पोर्टफोलियो कंपनी शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग कर सकते हैं।

निगरानी और रिपोर्टिंग

प्रोस्पेरेट टीम भूमि पुनर्वास और आजीविका बहाली की चल रही जांच और बस्तियों की निगरानी करेगी।

<u>भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कार्य योजना</u>

यदि किसी पोर्टफोलियो कंपनी को LARP की आवश्यकता है, तो उन्हें निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी।

1. परियोजना का विवरण: सामान्य परियोजना विवरण और परियोजना क्षेत्र की पहचान
2. परियोजना प्रभाव:
   - परियोजना गतिविधि जो अनैच्छिक पुनर्वास का निर्माण करती है
   - परियोजना गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र
3. अनैच्छिक पुनर्वास को कम करने या टालने के लिए विचार किए जाने वाले विकल्प
4. परियोजना कार्यान्वयन के दौरान पुनर्वास को न्यूनतम करने के लिए प्रयुक्त रणनीति
5. उद्देश्य: पुनर्वास परियोजना के प्राथमिक उद्देश्य और पुनर्वास परियोजना के लिए हितधारक सहभागिता, अध्ययन और अनुसंधान का सारांश।
6. विनियामक सारांश: पुनर्वास के संबंध में प्रासंगिक मेजबान देश के कानूनों और विनियमों का सारांश।
7. हितधारक सहभागिता: पुनर्वास गतिविधि से प्रभावित समुदायों और लोगों के साथ चर्चा, सहभागिता, सूचना साझा करने का सारांश । सारांश में हितधारक समूहों, बैठकों, परिणामों और महत्वपूर्ण शिकायतों की सूची शामिल होनी चाहिए।
8. सामाजिक-आर्थिक विशेषताएँ: यदि उपलब्ध हो, तो परियोजना से प्रभावित लोगों के सामाजिक-आर्थिक जनसांख्यिकीय डेटा पर प्रासंगिक अध्ययन या शोध साझा करें। प्रासंगिक जानकारी में घरेलू और जनगणना डेटा, कमज़ोर समूहों की जानकारी, आजीविका और जीवन स्तर की जानकारी शामिल हो सकती है।
9. पात्रता: विस्थापित या अनैच्छिक रूप से पुनर्स्थापित जनसंख्या के लिए मानदंड निर्धारित करें जो LARP विचार के लिए पात्र हैं।
10. हानियों के लिए मूल्यांकन और मुआवज़ा: प्रतिस्थापन लागत निर्धारित करने के लिए हानियों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति। प्रस्तावित मुआवज़ा प्रकारों और मूल्यों का विवरण जो स्थानीय विनियामक और कानूनी मानदंडों के अनुकूल हों।
11. विस्थापन की मात्रा: प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों, संरचनाओं, सार्वजनिक भवनों, कृषि भूमि तथा अन्य व्यक्तियों और भौतिक संपत्तियों की संख्या।
12. पात्रता सारांश: प्रभावित लोगों की श्रेणियों और जांच, शिकायत तंत्र और उन्हें दिए गए विकल्पों के बारे में बताता है।
13. पुनर्वास स्थल: यदि उपलब्ध और लागू हो, तो कंपनी विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास योजनाएं साझा करेगी ।
14. शिकायत प्रक्रिया: कंपनी यह बताएगी कि एलएआरपी किस प्रकार शिकायत तंत्र से जुड़ता है और क्या किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता आवश्यक है।
15. संगठनात्मक जिम्मेदारियाँ: सारांश में यह बताया जाएगा कि LARP को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है, परियोजना टीम स्थानीय अधिकार क्षेत्रों और संबंधित हितधारकों के साथ कैसे समन्वय करेगी। सारांश में पुनर्वास योजना को लागू करने में किसी भी बाहरी एजेंसी, पार्टियों, सलाहकारों या फर्मों की जिम्मेदारियों का विवरण होगा।

16. कार्यान्वयन अनुसूची: यह अनुभाग मील के पत्थर और लक्ष्यों के साथ LARP कार्यान्वयन समय-सीमा का सारांश देगा।
17. बजट: यदि लागू हो, तो यह खंड पुनर्वास के लिए मुआवजे के बजट का विवरण देगा। इसमें बजट अनुमान और व्यय, बजट का स्रोत और आकस्मिकताएँ शामिल होंगी।
18. निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग: LARPs को उचित होने पर निवेशकों को रिपोर्ट किया जाएगा। यह खंड निगरानी और मूल्यांकन योजना का विवरण देगा और LARP की निगरानी करने के लिए संगठनात्मक क्षमता सुनिश्चित करेगा। इसमें एक तर्क मॉडल शामिल होगा जिसमें इनपुट, गतिविधियाँ, आउटपुट और परिणाम शामिल होंगे।

अनुलग्नक डी -4: पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए हितधारक सहभागिता योजनाओं हेतु मार्गदर्शन

प्रसंग:
कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने परिचालनों का जिम्मेदारी से प्रबंधन कर रही हैं। इस उद्देश्य के लिए, कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सही आकार की और कुशलतापूर्वक कार्यान्वित की जाने वाली हितधारक सहभागिता योजना बनाएं या विकसित करें। इस अनुलग्नक का उद्देश्य प्रॉस्पेरेट पोर्टफोलियो कंपनियों को इस बारे में मार्गदर्शन प्रदान करना है कि वे इस ESMS का अनुपालन करने वाली हितधारक सहभागिता योजना को कैसे विकसित और कार्यान्वित करें। हम मूल्यांकन, सीखने की गतिविधियों, सहभागिता और रिपोर्टिंग सहित हितधारक सहभागिता योजना के आवश्यक घटकों का वर्णन करेंगे।

आकलन:
कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे फंड की गतिविधियों और संचालन के आधार पर संबंधित अभिनेताओं और लाभार्थियों का एक हितधारक मानचित्र बनाएं। पोर्टफोलियो कंपनियों को अपने हितधारकों का मानचित्र बनाते समय निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना चाहिए:

- सरकारी नियामक
- ग्राहक एवं लाभार्थी
- महिला समूह
- स्वदेशी लोग (आईपी), जनजातियाँ और संगठन
- नागरिक समाज संगठन
- उद्योग संघ

सीखने की गतिविधियाँ:
पोर्टफोलियो कंपनी को यह प्रदर्शित करना होगा कि उन्होंने हितधारक सूची में प्रत्येक समूह द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं, जोखिमों और अवसरों के बारे में सीखा है। कंपनी को हितधारक समूहों के साथ बातचीत के माध्यम से यह भी साझा करना होगा कि उन्होंने इन आवश्यकताओं के बारे में कैसे और क्या सीखा।

सगाई
कंपनी को हितधारकों के साथ जुड़ने के सभी तरीकों को सूचीबद्ध करना होगा। तरीकों में शामिल हैं:

- बैठक
- रिपोर्टिंग
- शिकायत तंत्र
- सर्वेक्षण

रिपोर्टिंग:

कम्पनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समुदायों, हितधारकों और अन्य प्रासंगिक समूहों के साथ अपनी रिपोर्टिंग के बारे में साझा करें।

अपडेट:

कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह समय-समय पर अपने हितधारक सहभागिता योजना को अद्यतन करेगी।

अनुलग्नक डी -5: पोर्टफोलियो कंपनी के लिए शिकायत निवारण योजना हेतु मार्गदर्शन

पोर्टफोलियो कंपनियों को एक शिकायत निवारण तंत्र लागू करना चाहिए जो निम्नलिखित मानकों को पूरा करता हो:

दायरा

- जीआरएम सभी हितधारकों के लिए खुला होना चाहिए, जिसमें प्रभावित पक्षों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति या संगठन शामिल है, जो खुद को कंपनी की गतिविधियों से प्रभावित मानते हैं। शिकायतें नाम या गुमनाम आधार पर प्रस्तुत की जा सकती हैं।
- यह जीआरएम उन पक्षों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिनकी जीसीएफ द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों से संबंधित शिकायतें हैं। ये शिकायतें संबंधित हो सकती हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:
  I. पर्यावरण, सामाजिक, सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा;
  II. लिंग पूर्वाग्रह और उत्पीड़न;
  III. श्रम, मुआवजा, तथा श्रमिक कार्यबल और मेजबान समुदायों के बीच बातचीत के कारण उत्पन्न होने वाले कोई भी मुद्दे;
  IV. पुनर्वास संबंधी शिकायतें, जैसे कि परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि, परामर्श का स्तर, अनुबंधों की पूर्ति न होना, तथा क्षतिपूर्ति का समय आदि का भी इस प्रक्रिया द्वारा निपटान किया जाएगा।

शिकायतें अयोग्य मानी जाएंगी यदि:

- जीसीएफ द्वारा वित्त पोषित परियोजना या कार्यक्रम बंद होने के 2 वर्ष बाद शिकायत प्रस्तुत की जाती है ;
- GCF द्वारा वित्तपोषित परियोजना या कार्यक्रम के नकारात्मक प्रभावों के बारे में पता चला ।

शिकायत प्रक्रिया

- कंपनी को शिकायतकर्ता के साथ एक स्पष्ट समयसीमा और संचार बिंदु स्थापित करना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:
- कंपनी को शिकायतकर्ता से किसी भी संचार रूप में शिकायत प्राप्त होती है (आमने-सामने, फोन, फैक्स, पत्र, डिलीवरी या ईमेल सहित)
- शिकायत दर्ज की गई
- शिकायत लॉग में शिकायत दर्ज करें
- शिकायत अधिकारी द्वारा शिकायत की पात्रता और महत्व का आकलन
- शिकायत अधिकारी द्वारा शिकायत को उपयुक्त शिकायत स्वामी को सौंपना

- शिकायतकर्ता को उचित संचार माध्यम से औपचारिक रूप से शिकायत की प्राप्ति की सूचना (लिखित रूप में दर्ज)
- चिंता/शिकायत उठाने वाले लोगों की सुरक्षा।
- शिकायत निपटान प्रक्रिया लिंग के आधार पर संवेदनशील होनी चाहिए , विशेष रूप से SEAH से संबंधित शिकायतों के मामले में
- संबंधित पक्षों से परामर्श करें
- आगे आवश्यक कार्रवाई की पहचान करें
- साइट का दौरा और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा की आवश्यकता हो सकती है
- शिकायतकर्ता को प्रगति अद्यतन प्रदान किया जाएगा - जिसमें, यदि आवश्यक हो, तो शिकायत को हल करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय और संसाधनों का संकेत भी शामिल होगा
- शिकायतकर्ता से पुष्टि करें कि शिकायत बंद की जा सकती है, या निर्धारित करें कि क्या अनुवर्ती कार्रवाई आवश्यक है।
- यदि कंपनी और शिकायतकर्ता किसी समाधान पर सहमत नहीं हो पाते हैं, तो शिकायत को समीक्षा और अंतिम निर्णय के लिए अपील समिति के पास भेजा जा सकता है।
- उचित परिणाम के अनुसार शिकायत का अंतिम हस्ताक्षर रिकॉर्ड करें

भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

कंपनी को प्रक्रिया के प्रकॉर्पोरेट प्रशासन के लिए भूमिकाएं निर्धारित करनी चाहिए जिसमें निरीक्षण, कार्यान्वयन और जांच शामिल हो।

जहां मामले स्वदेशी लोगों से संबंधित होंगे, वहां जीसीएफ का स्वतंत्र निवारण तंत्र और सचिवालय का स्वदेशी लोगों से संबंधित केन्द्र किसी भी स्तर पर सहायता के लिए उपलब्ध रहेगा।

संचार और पहुंच

कंपनियों को समुदायों को सभी स्तरों पर उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्रों के बारे में सूचित करना चाहिए: जीसीएफ का स्वतंत्र निवारण तंत्र (https://irm.greenclimate.fund/), Grievance@prosperete.com पर प्रोस्पेरेट जीआरएम, और कंपनी जीआरएम, उन्हें कब और कैसे एक्सेस किया जा सकता है, और प्रत्येक जीआरएम के साथ चिंताओं को दर्ज करने के लिए विशिष्ट कदम और संपर्क जानकारी।

शिकायत दर्ज करने के लिए संचार के कई तरीके उपलब्ध होने चाहिए, जिनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- कंपनी वेबसाइट
- कंपनी के जीआरएम अन्वेषक को सीधे शिकायत भेजें
- कंपनी स्टाफ को सीधे शिकायत भेजें
- कंपनी की फ़ोन लाइन पर कॉल करना
- मेलिंग कंपनी का पता
- कंपनी का ईमेल पता ईमेल करना

अनुलग्नक डी-6: आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना की तैयारी पर मार्गदर्शन

दायरा:

EPRP में उन सभी आपात स्थितियों को शामिल किया जाना चाहिए, जिनसे व्यवसाय संचालन प्रभावित हो सकता है। संचालन की प्रकृति/स्थान को ध्यान में रखते हुए आग, बाढ़ और अन्य गतिविधियों जैसे प्रमुख खतरों के लिए एक अलग EPRP तैयार किया जाना चाहिए। आमतौर पर, आग किसी भी व्यावसायिक गतिविधि का हिस्सा होगी और अधिकांश व्यावसायिक संचालन में भूकंप पर विचार किया जा सकता है।

ईपीआरपी में विस्तृत प्रक्रियाएँ बनाई जानी चाहिए जो यह बताए कि आप आपातकालीन स्थिति के लिए तैयारी करने और उसका सामना करने के लिए क्या कदम उठाएँगे। ईपीआरपी में प्रशिक्षण, अभ्यास आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि संगठन किसी भी संभावित आपात स्थिति के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सके।

प्रत्येक ईपीआरपी को निम्नलिखित प्रावधान करना चाहिए:

- संबंधित जोखिम के संबंध में प्रमुख कार्मिकों की जिम्मेदारियां और प्राधिकार
- आपातकालीन स्थिति में एसओपी का पालन किया जाएगा
- स्पष्ट रूप से निर्धारित नीतियां जो संपत्ति और उपकरणों की तुलना में मानव जीवन और सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं
- आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम का डिज़ाइन और उनके संपर्क नंबर
- संपूर्ण स्टाफ और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम की नियमित बैठकें और प्रशिक्षण
- अनुसरण किये जाने वाले वृद्धि मीट्रिक
- आवधिक तैयारी ऑडिट और अभ्यास
- पर्याप्त अंतर्निहित सुरक्षा विधियों का प्रावधान (जैसे अग्निशामक यंत्र आदि)
- प्राथमिक चिकित्सा और अन्य प्रशिक्षण प्रक्रियाएँ
- प्रशिक्षण, निकट चूक और घटनाओं का रिकार्ड रखना

अनुलग्नक डी-7: पोर्टफोलियो कंपनी के लिए मौका खोज प्रक्रिया

यह दस्तावेज़ <परियोजना शीर्षक> (जिसे आगे "परियोजना" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के लिए संभावना खोज प्रक्रिया का वर्णन करता है, जिसमें उन प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी गई है जिनका पालन <> परियोजना से जुड़े छोटे पैमाने के निर्माण और/या नवीकरण गतिविधियों के दौरान संभावित सांस्कृतिक विरासत खोजों के होने पर किया जाएगा।

चांस फाइंड प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय अच्छे अभ्यास के साथ संरेखित करके विकसित किया गया है, जिसमें प्रोस्पेरेट पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) की आवश्यकताएं और आईएफसी प्रदर्शन मानक शामिल हैं, और यह <मेजबान देश> की आवश्यकताओं के साथ-साथ आंतरिक <कंपनियों> की नीतियों और प्रक्रियाओं का भी अनुपालन करता है। परियोजना विवरण, सामाजिक संदर्भ और विधायी ढांचे के बारे में विवरण पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना (ईएसएमपी) के पहले दो खंडों में पाया जा सकता है।

प्रॉस्पेरेट फंड के लिए आवश्यक है कि परियोजना शुरू होने से पहले परियोजनाओं ने एक अनंतिम चांस फाइंड प्रक्रिया स्थापित कर ली हो। चांस फाइंड प्रक्रिया का दायरा और पैमाना, परियोजनाओं के छोटे पैमाने के निर्माण और/या नवीनीकरण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले सांस्कृतिक विरासत पर संभावित जोखिमों और प्रभावों की प्रकृति, पैमाने और प्रकार के अनुपात में होगा। इसके अलावा, चांस फाइंड प्रक्रिया नियोजित निर्माण/ नवीनीकरण गतिविधियों के प्रकार और पैमाने के अनुरूप होगी। इस प्रकार, स्क्रीनिंग में सांस्कृतिक विरासत पर नगण्य संभावित नकारात्मक प्रभाव (जैसे रेंजर शेल्टर आदि का नवीनीकरण) या छोटे/नगण्य पदचिह्न वाले निर्माण/ नवीनीकरण गतिविधियों के लिए चांस फाइंड प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। इसे ESMP में उचित ठहराने की आवश्यकता होगी। यह चांस फाइंड प्रक्रिया अनंतिम (पूर्ण प्रस्ताव चरण)/अंतिम (परियोजना आरंभ चरण का अंत) है। यदि अनंतिम है, तो इसे परियोजना कार्यान्वयन के पहले तीन महीनों के भीतर अद्यतन और स्थापित किया जाएगा।

सांस्कृतिक विरासत को ऐसे संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनके साथ लोग अपने निरंतर विकसित होते मूल्यों, विश्वासों, ज्ञान और परंपराओं के प्रतिबिंब और अभिव्यक्ति के रूप में पहचान करते हैं। सांस्कृतिक विरासत में मूर्त और अमूर्त विरासत शामिल है, जिसे स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर पहचाना और महत्व दिया जा सकता है, जैसा कि निम्नलिखित है:

- <u>मूर्त सांस्कृतिक विरासत</u> , जिसमें चल या अचल वस्तुएँ, स्थल, संरचनाएँ, संरचनाओं के समूह, और प्राकृतिक विशेषताएँ और परिदृश्य शामिल हैं जिनका पुरातात्विक, पुरापाषाण, ऐतिहासिक, स्थापत्य, धार्मिक, सौंदर्य या अन्य सांस्कृतिक महत्व है। मूर्त सांस्कृतिक विरासत शहरी या ग्रामीण परिवेश में स्थित हो सकती है , और भूमि के ऊपर या नीचे या पानी के नीचे हो सकती है; और

- <u>अमूर्त सांस्कृतिक विरासत</u> , जिसमें प्रथाएं, प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्तियां, ज्ञान, कौशल - साथ ही साथ उपकरण, वस्तुएं, कलाकृतियां और उनसे जुड़े सांस्कृतिक स्थान शामिल हैं - जिन्हें समुदाय और समूह अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में पहचानते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं और उनके पर्यावरण, प्रकृति के साथ उनकी बातचीत और उनके इतिहास के जवाब में उनके द्वारा लगातार पुनर्निर्मित की जाती हैं।

मूर्त सांस्कृतिक विरासत इस आकस्मिक खोज प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु है, तथा विशेष रूप से, आकस्मिक खोज तब होती है जब परियोजना निर्माण या संचालन के दौरान पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और/या अवशेष सामग्री अप्रत्याशित रूप से सामने आती है।

इस परियोजना के लिए, लघु-स्तरीय निर्माण और/या नवीकरण गतिविधियों में <संक्षेप में उन सभी लघु-स्तरीय निर्माण/नवीकरण गतिविधियों और सिविल कार्यों की सूची बनाएं जो परियोजना की गतिविधियों का हिस्सा होंगे> शामिल हैं।

इस प्रकार, मूर्त सांस्कृतिक विरासत और विशेष रूप से पुरातात्विक सामग्री के लिए जोखिम और प्रभाव, जो परियोजना गतिविधियों से उत्पन्न हो सकते हैं, उनमें <संभावित जोखिमों और प्रभावों के उदाहरण प्रदान करना शामिल हो सकता है, जहां छोटे पैमाने पर निर्माण और/या नवीकरण गतिविधियां मूर्त सांस्कृतिक विरासत को प्रभावित कर सकती हैं, इसे यथासंभव व्यापक बनाते हुए सभी संभावित जोखिम मुद्दों को कवर किया जा सकता है; उदाहरण के लिए मिट्टी के काम, बाढ़ वाले क्षेत्रों आदि के कारण पुरातात्विक सामग्री को नुकसान।>

मौका खोज प्रक्रिया का उद्देश्य

चांस फाइंड प्रक्रिया एक परियोजना-विशिष्ट प्रक्रिया है जिसका पालन तब किया जाना चाहिए जब परियोजना गतिविधियों के दौरान पहले से अज्ञात सांस्कृतिक विरासत का पता चले। चांस फाइंड प्रक्रिया यह निर्धारित करती है कि परियोजना से जुड़ी चांस फाइंड का प्रबंधन कैसे किया जाएगा। इस प्रक्रिया में सांस्कृतिक विरासत विशेषज्ञों द्वारा पाई गई वस्तुओं या स्थलों के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित करना; आगे की गड़बड़ी से बचने के लिए खोज या स्थलों के क्षेत्र को बाड़ लगाना; सांस्कृतिक विरासत विशेषज्ञों द्वारा पाई गई वस्तुओं या स्थलों का मूल्यांकन करना ; IFC PS और राष्ट्रीय कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों की पहचान करना और उन्हें लागू करना; और चांस फाइंड प्रक्रियाओं पर परियोजना कर्मियों और परियोजना कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना शामिल है।

चांस फाइंड प्रक्रिया का उद्देश्य है:

- भौतिक निवेश गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभावों से भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों की रक्षा करना और उनके संरक्षण का समर्थन करना;
- भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के न्यायसंगत बंटवारे को बढ़ावा देना; तथा
- सांस्कृतिक विरासत संसाधनों की आकस्मिक खोज की संभावना के बारे में निर्माण स्थल पर सभी श्रमिकों और प्रबंधन की जागरूकता बढ़ाएं।

इसलिए इस चांस फाइंड प्रक्रिया का उद्देश्य <प्रोजेक्ट> और उनके ठेकेदारों को प्रासंगिक राष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय अच्छे अभ्यास के अनुसार उचित प्रतिक्रिया प्रदान करना है। इस प्रकार, सिविल कार्यों के लिए सभी अनुबंधों में यह चांस फाइंड प्रक्रिया शामिल होगी।

के लिए , साइट मैनेजर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तावित विकास साइट पर सभी कर्मचारी चांस फाइंड प्रक्रिया को समझें और सांस्कृतिक विरासत संसाधनों के सामने आने पर इसका पालन करने के महत्व को समझें। इसके अलावा, <प्रोजेक्ट> द्वारा साइट पर संभावित रूप से पाए जाने वाले सांस्कृतिक विरासत संसाधनों पर प्रशिक्षण या परिचय प्रदान किया जाना चाहिए।

प्रक्रिया

परियोजना कार्यान्वयन से पहले, <परियोजना> सांस्कृतिक विरासत पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए परियोजना गतिविधियों को स्थान निर्धारण और डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार है। स्क्रीनिंग चरण में पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया यह निर्धारित करने में मदद करेगी कि क्या परियोजना का प्रस्तावित स्थान ऐसे क्षेत्रों में है जहाँ निर्माण या संचालन के दौरान सांस्कृतिक विरासत मिलने की उम्मीद है।

ऐसे मामलों में, प्रॉस्पेरेट ईएसएमएस के अनुरूप, <प्रोजेक्ट> आकस्मिक खोजों को एक आकस्मिक खोज प्रक्रिया के माध्यम से प्रबंधित करने के लिए प्रावधान विकसित करेगा, जिसे उस स्थिति में लागू किया जाएगा जब सांस्कृतिक विरासत बाद में खोजी जाती है। <प्रोजेक्ट> और कोई भी ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि सक्षम पेशेवरों द्वारा मूल्यांकन किए जाने तक किसी भी आकस्मिक खोज को आगे न छेड़ा जाए। जहाँ आवश्यक हो, इसमें संबंधित सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज संगठनों के साथ-साथ पारंपरिक ज्ञान धारकों और क्षेत्र के अन्य लोगों सहित योग्य विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनसे इस बारे में परामर्श किया जाना चाहिए कि क्या जानकारी का खुलासा करना वांछनीय है, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें खुलासा सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा या अखंडता से समझौता कर सकता है और/या सूचना के स्रोतों को खतरे में डाल सकता है।

<नोट: यदि मेजबान देश में आकस्मिक खोजों (जैसे, पुरातात्विक वस्तुओं या अवशेषों) के लिए कोई कानूनी रूप से स्थापित प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि ऐसी कोई प्रक्रिया मौजूद नहीं है, तो इस चांस फाइंड प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है>।

सांस्कृतिक संसाधनों की आकस्मिक खोज (संयोगवश खोज) की प्रक्रियाएं

यह संयोगवश मिली खोज प्रक्रिया, किसी विरासत स्थल या वस्तु की खोज से लेकर किसी पेशेवर पुरातत्ववेत्ता या अन्य योग्य व्यक्ति द्वारा उसकी जांच और मूल्यांकन से लेकर उसके बचाव या उद्धार तक की सभी कार्रवाइयों को कवर करती है।

यदि लघु-स्तरीय निर्माण गतिविधियों, सिविल कार्यों और/या नवीकरण गतिविधियों के दौरान सांस्कृतिक संसाधन (जैसे पुरातात्विक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, अवशेष, वस्तुएं, कब्रिस्तान या व्यक्तिगत कब्र) की खोज की जाती है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया निष्पादित की जाएगी <इस पाठ को तदनुसार अपडेट करें>:

1. किसी भी (या आगे की) क्षति से बचने के लिए मौके के आसपास निर्माण गतिविधियों को रोकें ;
2. तुरंत अपने पर्यवेक्षक या पर्यावरण नियंत्रण अधिकारी (या परियोजना समकक्ष) को दें ;
3. खोजे गए स्थल या क्षेत्र को चिह्नित करें और बाड़ लगाएं तथा खोज के चारों ओर 25 मीटर का बफर जोन प्रदान करें;
4. हटाए जाने योग्य वस्तुओं को किसी भी तरह की क्षति या हानि से बचाने के लिए साइट को सुरक्षित करें। हटाए जाने योग्य पुरावशेषों या संवेदनशील अवशेषों के मामले में, जिम्मेदार स्थानीय प्राधिकारी या जिला/प्रांतीय संस्कृति विभाग या स्थानीय पुरातत्व संस्थान, यदि उपलब्ध हो, द्वारा कार्यभार संभाले जाने तक रात्रिकालीन सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी;
5. पक्षों द्वारा वस्तुओं को हटाने पर रोक लगाना ;

6. आपको लगता है कि आपके सामने किस प्रकार की पुरातात्विक सामग्री आई है, उनका स्थान (जीपीएस) और यदि संभव हो तो सतह के नीचे की गहराई जहां खोज हुई है, उसे नोट करें;
7. उजागर सामग्री की तस्वीर लें, अधिमानतः एक पैमाने के साथ (जैसे एक फ़ाइल बाइंडर, सिक्का, नियम आदि);
8. जिम्मेदार स्थानीय प्राधिकारियों और संबंधित पुरातत्व संस्थान को तुरंत सूचित करें (24 घंटे या उससे कम समय के भीतर);
9. जिम्मेदार स्थानीय अधिकारी बाद की उचित प्रक्रियाओं पर निर्णय लेने से पहले साइट की सुरक्षा और संरक्षण की देखरेख करेंगे। इसके लिए स्थानीय पुरातत्व संस्थान द्वारा निष्कर्षों का प्रारंभिक मूल्यांकन करना आवश्यक होगा। निष्कर्षों के महत्व और महत्ता का आकलन सांस्कृतिक विरासत से संबंधित विभिन्न मानदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए; इनमें सौंदर्य, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या शोध, सामाजिक और आर्थिक मूल्य शामिल हैं;
10. खोज को कैसे संभालना है, इस पर निर्णय जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। इसमें भौतिक निवेश लेआउट में परिवर्तन (जैसे कि सांस्कृतिक या पुरातात्विक महत्व के अपूरणीय अवशेष मिलने पर) संरक्षण, परिरक्षण, बहाली और/या बचाव शामिल हो सकते हैं;
11. निष्कर्ष के प्रबंधन से संबंधित प्राधिकरण के निर्णय के कार्यान्वयन की सूचना संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लिखित रूप में दी जाएगी;
12. शमन उपायों में प्रस्तावित परियोजना डिजाइन/लेआउट में परिवर्तन, सुरक्षा, संरक्षण, बहाली और/या साइटों और/या वस्तुओं का संरक्षण शामिल हो सकता है;
13. धरोहर की सुरक्षा के संबंध में जिम्मेदार स्थानीय प्राधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद ही स्थल पर निर्माण कार्य पुनः शुरू किया जा सकेगा; तथा
14. साइट पर परियोजना टीम सभी निर्माण गतिविधियों की निगरानी करने के लिए संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि पर्याप्त संरक्षण कार्रवाई की जाए और इस प्रकार विरासत स्थलों को संरक्षित किया जाए।

जल्द से जल्द संभावित तिथि पर प्रोस्पेरेट फंड को आकस्मिक खोज की घोषणा करने के लिए बाध्य किया जाता है ।

अनुलग्नक डी- 8: संघर्ष संवेदनशीलता मूल्यांकन की तैयारी पर मार्गदर्शन

स्थानीय, उप-राष्ट्रीय, सीमा-पार और क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न संघर्ष और हिंसा होती है। ये कई अभिनेताओं और समूहों के साथ तेजी से विखंडित होते जा रहे हैं, जिसका आबादी, अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट प्रशासन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। इन जटिल वातावरणों में काम करने वाली कंपनियों के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि उनकी गतिविधियाँ संघर्ष के संदर्भ को कैसे प्रभावित कर सकती हैं या प्रभावित होती हैं। इससे परियोजनाओं को आगे के संघर्ष और हिंसा को बढ़ाने से बचने और "कोई नुकसान न पहुँचाएँ" दृष्टिकोण को लागू करने में मदद मिलती है, साथ ही संघर्ष के जोखिमों को कम करने और सकारात्मक प्रभाव डालने के अवसरों की पहचान करने में भी मदद मिलती है।

यह निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:

व्यावसायिक परिचालन के लिए उच्च जोखिम

नाजुक और संघर्ष प्रभावित संदर्भों में व्यवसाय करने के जोखिम अधिक होते हैं, अक्सर परिस्थितियाँ तेज़ी से बढ़ती या बदलती हैं। परियोजना संदर्भ और संघर्ष के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझकर और वे संचालन के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कंपनियाँ इन जोखिमों को प्रबंधित करने और अनपेक्षित परिणामों से बचने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, संघर्ष में शामिल सुरक्षा बलों का लाभ उठाना, कंपनी को व्यापक संघर्ष गतिशीलता में शामिल करना और उन्हें प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों के लिए उजागर करना।

बेहतर रिश्ते

संदर्भ के बारे में अधिक समझ और स्थानीय समुदायों के साथ मजबूत संबंध बनाने के माध्यम से जोखिमों का प्रबंधन या शमन करके, यह परियोजना के लिए संचालन करने के लिए सामाजिक लाइसेंस को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह विभिन्न स्थानीय हितधारकों और गतिशीलता वाले संघर्ष-प्रभावित परियोजना क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। इसके बिना, व्यवसाय नौकरियों, परियोजना लाभों या साझा संसाधनों को लेकर समुदायों के बीच तनाव को बढ़ावा देने का जोखिम उठा सकता है जो संघर्ष का कारण बन सकता है और परियोजना को खतरे में डाल सकता है।

अनिश्चितता और लागत कम करें

जटिल और संघर्ष-प्रभावित बाज़ारों में काम करना अप्रत्याशित चुनौतियों, देरी और उच्च लागतों से भरा हो सकता है। संघर्ष जोखिम परिदृश्य को बेहतर ढंग से समझकर, यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि परियोजना संभावित झटकों के प्रति अधिक लचीली हो और निवेश के मूल्य और दीर्घायु को गहरा करे। यह यह देखने का अवसर भी प्रदान कर सकता है कि व्यवसाय संदर्भ को सकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित कर सकता है, उदाहरण के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करना जो अधिक समावेशन की ओर ले जा सकता है और शांति और स्थिरता को प्रोत्साहित कर सकता है।

संघर्ष संवेदनशीलता मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए कदम

1. योजना

परियोजना विकास और नियोजन के शुरुआती चरणों में संघर्ष जोखिम स्क्रीनिंग और हितधारक मानचित्रण शामिल होना चाहिए। यह डिजाइन के दौरान सकारात्मक प्रभाव को अधिकतम करने के तरीकों की तलाश करने का अवसर भी प्रदान करता है।

परियोजना नियोजन के शुरुआती चरणों से ही देश के भीतर सुरक्षा और संघर्ष के जोखिमों पर विचार करें और यह स्थानीय परियोजना क्षेत्र में कैसे असर डाल सकता है। उदाहरण के लिए, किसी देश में असुरक्षा के क्षेत्र हो सकते हैं जो परियोजना के स्थान के नज़दीक नहीं हैं - लेकिन क्या कोई ऐसा प्रभाव है जिसके बारे में परियोजना को ध्यान में रखना चाहिए? यह जनसंख्या विस्थापन, व्यापक समूह-आधारित विभाजन (जैसे जातीय या राजनीतिक आधार पर) को बढ़ावा देना, या परियोजना क्षेत्र में सुरक्षा बलों का रोटेशन हो सकता है।

सामुदायिक गतिशीलता, किसी भी समूह-आधारित संबद्धता और शिकायतों का दायरा। प्रारंभिक परियोजना जुड़ाव और स्क्रीनिंग के हिस्से के रूप में, स्थानीय संदर्भ और समुदायों में परियोजना को आधार बनाना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, भले ही कोई परियोजना ऐसे क्षेत्र में स्थित हो जो देश के भीतर अन्य संघर्षों से प्रभावित न हो, ये स्थानीय समुदाय के भीतर विभाजन या शिकायतों में प्रकट हो सकते हैं। जहां कोई परियोजना संघर्ष या संघर्ष के बाद के मुद्दों वाले क्षेत्र में स्थित है , वहां सामुदायिक संरचनाओं (जैसे कि वे शिकायतों से कैसे निपटते हैं), प्रतिनिधित्व (जैसे कि युवाओं और महिलाओं की भूमिका), सांप्रदायिक गतिशीलता (जैसे कि वे सामाजिक रूप से कितने एकजुट हैं) और भूमि और संसाधनों (जैसे साझा जल संसाधन) का हिस्सा समझना और भी महत्वपूर्ण है। इससे यह बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है कि कंपनी इन स्थानीय गतिशीलता के साथ कैसे जुड़ सकती है और क्या तनाव या संघर्ष को बढ़ा सकता है या ट्रिगर कर सकता है।

2. कार्यान्वयन

जैसे-जैसे परियोजना कार्यान्वयन और साइट गतिविधियों की ओर बढ़ती है, पहचाने गए संघर्ष जोखिमों के आधार पर शमन उपायों को लागू किया जाना चाहिए। ये स्टैंडअलोन प्रोग्रामिंग के रूप में हो सकते हैं या मौजूदा प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में एकीकृत हो सकते हैं, जैसे कि पर्यावरणीय और सामाजिक क्रियाएँ

संघर्ष जोखिम संबंधी विचारों को अपनी मौजूदा कंपनी प्रणालियों और परियोजना योजनाओं में एकीकृत करें। संघर्ष संवेदनशीलता उपायों का मतलब 'पहिया का पुनः आविष्कार' करना नहीं है। कंपनियों के पास कई मौजूदा प्रक्रियाएँ और कार्यप्रणालियाँ हैं, जैसे पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली, जिनका उपयोग संघर्ष संवेदनशीलता उपायों को एकीकृत करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी समुदायों और श्रमिकों के साथ जुड़ाव और सूचना साझा करने की योजना कैसे बनाती है, वे शिकायतें कैसे एकत्र करती हैं, वे सुरक्षा जोखिमों का प्रबंधन कैसे करती हैं, और वे सरकार जैसे अन्य हितधारकों के साथ कैसे जुड़ती हैं। जहाँ कोई कंपनी अपनी प्रारंभिक जाँच से संभावित संघर्ष जोखिमों की पहचान करती है, जैसे संसाधनों और लाभ साझा करने पर सामुदायिक समूहों के बीच तनाव, वह इन समूहों को रचनात्मक रूप से जोड़ने, लाभों के बारे में निर्णय लेने पर अधिक पारदर्शिता प्रदान करने के लिए जानकारी साझा करने और मध्यस्थता करने और समाधान खोजने में मदद करने के लिए सम्मानित समुदाय के नेताओं जैसे अन्य अभिनेताओं को शामिल करने की दिशा में अपने हितधारक जुड़ाव गतिविधियों को लक्षित कर सकती है। इस प्रकार का सक्रिय दृष्टिकोण परियोजना समुदायों के भीतर बढ़ते संघर्षों से बचने और उस क्षेत्र में व्यापक संघर्ष गतिशीलता को बढ़ावा देने में बड़ा अंतर ला सकता है।

अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी बनाएं जो आपकी कंपनी को जोखिमों को समझने और समाधान का हिस्सा बनने में मदद कर सकती हैं। चाहे यह सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज समूहों या अन्य प्रमुख स्थानीय अभिनेताओं के साथ हो, हितधारकों के साथ सक्रिय आउटरीच और जुड़ाव कंपनियों को 1) मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है; और 2) उन मुद्दों को संबोधित करने का हिस्सा बन सकता है जो परियोजना को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई परियोजना अत्यधिक जटिल

वातावरण में चल रही हो, तो स्थानीय गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) जैसे अन्य हितधारकों के साथ जानकारी को त्रिकोणीय बनाने में सक्षम होना, उन जोखिमों पर नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है जो परियोजना के साथ जुड़ सकते हैं। इसी तरह, यह एनजीओ विश्वास बनाने और समुदायों और कंपनी के साथ जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए एक संयोजक के रूप में बेहतर स्थिति में हो सकता है जो तनाव को बढ़ने से रोक सकता है

परियोजना के सकारात्मक प्रभाव को अधिकतम करने के अवसरों की तलाश करें। कंपनियों के पास कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) और समुदायों के साथ लाभ साझा करने के अन्य रूपों के लिए अच्छी तरह से स्थापित दृष्टिकोण हैं। इन मौजूदा दृष्टिकोणों का लाभ उठाया जा सकता है जब यह विचार किया जाता है कि किसी परियोजना के सकारात्मक प्रभाव को न केवल उस विशेष सामुदायिक क्षेत्र में, बल्कि क्षेत्र या देश के लिए व्यापक रूप से कैसे अधिकतम किया जाए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी उन प्रमुख चुनौतियों और अंतर्निहित कमज़ोरियों के मुद्दों की समझ विकसित करती है जो क्षेत्र में शिकायतों को बढ़ा सकते हैं, और अपने प्रोजेक्ट फुटप्रिंट के हिस्से के रूप में उन तरीकों पर विचार करती है जिससे यह उन्हें कम करने और सकारात्मक प्रभाव को अधिकतम करने में योगदान दे सके। उदाहरण के लिए, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में जहां युवा बेरोज़गारी अधिक है, यह लोगों को सशस्त्र समूहों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। जहां आर्थिक अवसर मौजूद हैं - जैसे कि स्थानीय युवाओं को परियोजना गतिविधियों में एकीकृत करने और उनके परिवारों के लिए आय सुरक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षु कार्यक्रम - यह क्षेत्र में अधिक शांति और स्थिरता में योगदान दे सकता है जबकि समय के साथ कंपनी के लिए एक स्थायी स्थानीय कार्यबल का निर्माण भी कर सकता है।

3. निगरानी

परियोजना के पूरे जीवनकाल के दौरान, मौजूदा और नए संभावित संघर्ष जोखिमों पर नज़र रखने के लिए सतत निगरानी परियोजना प्रणालियों का हिस्सा होनी चाहिए

व्यापक परियोजना क्षेत्र में सुरक्षा और संघर्ष जोखिमों से संबंधित निगरानी स्थापित करें। संघर्ष की स्थितियाँ तेज़ी से बदल सकती हैं और बढ़ सकती हैं। वे चुनाव, तख्तापलट, प्राकृतिक आपदाएँ या जलवायु संबंधी घटनाएँ, जनसंख्या में वृद्धि, आदि जैसी प्रमुख घटनाओं से भी शुरू हो सकते हैं। जहाँ परियोजनाएँ ऐसे देशों में स्थित हैं जहाँ संघर्ष का इतिहास रहा है या संघर्ष जारी है, वहाँ सुरक्षा जोखिमों के कंपनी के आकलन के हिस्से के रूप में, उन्हें व्यापक रुझानों और परियोजना के साथ इसके कैसे प्रतिच्छेदन हो सकते हैं, की निगरानी करनी चाहिए। इसमें नए मुद्दों/जोखिमों की पहचान करने के लिए परियोजना समुदायों और भागीदारों के साथ नियमित रूप से जाँच करना शामिल होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कंपनी के सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्थानीय सुरक्षा गतिशीलता में परिवर्तनों की निगरानी करना (जैसे कि राजनीतिक घटनाओं के बाद सैन्य उपस्थिति में वृद्धि)। हालाँकि कंपनी के नियंत्रण से बाहर, यह परियोजना और स्थानीय समुदायों को प्रभावित कर सकता है। इससे कंपनी को स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों और उसके हितधारकों के साथ जुड़ने के तरीके में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है।

अनुलग्नक ई : ईएसजी डीडी सारांश रिपोर्ट रूपरेखा

ईएसडीडी परिश्रम रिपोर्ट इसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए

a) अनुभाग 1: परिचय

परियोजना पृष्ठभूमि: परियोजना विवरण, साइट और पर्यावरण सेटिंग, भूमि की आवश्यकताएं, ई एंड एस वर्गीकरण और औचित्य

लागू प्रदर्शन मानक: आईएफसी बहिष्करण सूची, राष्ट्रीय पर्यावरण और सामाजिक कानून और विनियम, आईएफसी प्रदर्शन मानक (जैसा प्रासंगिक हो)

b) अनुभाग 2: समीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

अनुभाग में प्रयुक्त कार्यप्रणाली, समीक्षा किए गए दस्तावेज आदि शामिल होंगे।

c) अनुभाग 3: ई एंड एस वर्गीकरण और औचित्य

मूल्यांकन के अंतर्गत कंपनी के ईएसजी जोखिम प्रोफाइल और उसके परियोजना वर्गीकरण: ए, बी या सी पर एक संक्षिप्त अनुभाग, औचित्य के साथ।

d) अनुभाग 4: पर्यावरण और सामाजिक मुद्दे और शमन

प्रासंगिक प्रदर्शन मानकों के अनुसार; पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों की जांच और संबंधित प्रदर्शन मानकों का अनुपालन, प्रदर्शन अंतराल की पहचान और सुधारात्मक कार्य योजनाएं।

PS1: पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन और प्रबंधन प्रणाली

- पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन
- प्रबंधन कार्यक्रम
- संगठन
- प्रशिक्षण
- सामुदायिक सहभागिता
- निगरानी
- रिपोर्टिंग

PS2: श्रम और कार्य स्थितियां

- मानव संसाधन नीति और प्रबंधन
- श्रमिक संगठन
- गैर-भेदभाव और समान अवसर
- छटनी
- कार्यबल की सुरक्षा
- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

PS3: प्रदूषण की रोकथाम और निवारण

- प्रदूषण निवारण, संसाधन संरक्षण और ऊर्जा दक्षता
- कचरे
- खतरनाक सामग्री

- आपातकालीन तत्परता और प्रतिक्रिया
- परिवेश संबंधी विचार
- ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन
- कीटनाशक का उपयोग और प्रबंधन

PS4: सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा

- सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा
- आपातकालीन तत्परता और प्रतिक्रिया
- सुरक्षा कार्मिक आवश्यकताएँ

PS5: भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास

- परियोजना डिजाइन
- विस्थापित व्यक्तियों के लिए मुआवजा और लाभ
- परामर्श और शिकायत तंत्र
- पुनर्वास योजना और कार्यान्वयन
- भौतिक विस्थापन
- आर्थिक विस्थापन
- सरकार द्वारा प्रबंधित पुनर्वास के अंतर्गत निजी क्षेत्र की जिम्मेदारियाँ

PS6: जैव विविधता संरक्षण और सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

- जैव विविधता का संरक्षण एवं संरक्षण
- नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और उपयोग

PS7: स्वदेशी लोग

- प्रतिकूल प्रभावों से बचाव
- परामर्श और सूचित भागीदारी
- उपयोग में आने वाली पारंपरिक या प्रथागत भूमि पर प्रभाव
- पारंपरिक या प्रथागत भूमि से मूल निवासियों (आईपीएस) का पुनर्वास
- सांस्कृतिक संसाधन

PS8: सांस्कृतिक विरासत

- परियोजना डिजाइन और निष्पादन में सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण
- सांस्कृतिक विरासत का परियोजना उपयोग

e) अनुभाग 5: परियोजना परामर्श और स्थानीय प्रकटीकरण का विवरण। साइट विजिट के बारे में विवरण शामिल करें।

f) अनुभाग 6: सारांश और सिफारिशें

मूल्यांकन के सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक पहलुओं का सारांश दें, मुख्य जोखिमों को इन जोखिमों से निपटने के लिए स्थापित प्रबंधन के मूल्यांकन के साथ संयोजित करें। फिर मुख्य कमियों और उन्हें संबोधित करने के लिए कंपनी की वर्तमान क्षमता और इच्छा का वर्णन करें।

g) अनुभाग 7: पर्यावरण प्रबंधन/सुधारात्मक कार्रवाई योजना

जोखिमों और पहचाने गए अंतरालों को संबोधित करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक कार्यों को परिभाषित करें, उन्हें ई एंड एस कार्य योजना में शामिल करें। जहाँ तक संभव हो, इनमें स्पष्ट समयबद्धता, जिम्मेदारियाँ, पूर्णता संकेतक और, जहाँ तक संभव हो, अनुमानित लागतें शामिल होनी चाहिए।

अनुलग्नक एफ : लक्ष्य कंपनी की ईएसजी प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन

(डील टीम द्वारा पूरा किया जाएगा)

लक्ष्य कंपनी का नाम:		उद्योग:	

मूल्यांकन का क्षेत्र	हाँ	नहीं	टिप्पणी
नीति और प्रक्रियाएँ			
क्या ईएसजी के प्रबंधन के लिए कोई औपचारिक नीतियां और प्रणालियां हैं?			
क्या कंपनी ईएसजी सुधार के अवसरों की सक्रिय रूप से पहचान करती है?			
क्या कंपनी अपने परिचालनों के लिए उचित जोखिम मूल्यांकन उपलब्ध कराती है, जिसका उपयोग सतत निगरानी के आधार के रूप में किया जा सके?			
क्या ईएसजी मुद्दों के समाधान के लिए औपचारिक कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं?			
क्या ईएसजी मामलों के प्रबंधन/निगरानी तथा कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परिभाषित प्रक्रियाएं मौजूद हैं?			
नियम और जिम्मेदारियाँ			
क्या कंपनी के पास स्टाफ के रूप में कोई ESG पेशेवर नियुक्त है?			
क्या कंपनी के बोर्ड तक सभी स्तरों पर ईएसजी उत्तरदायित्व स्थापित किया गया है?			
उच्च जोखिम वाली कंपनियों के लिए) का आकलन और निगरानी करने के लिए विशेषज्ञ सलाहकारों / बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों का उपयोग किया जाता है ? यदि हाँ, तो कब और कौन?			
क्या कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए ईएसजी पर प्रशिक्षण आयोजित करती है?			
ईएसजी प्रदर्शन प्रबंधन			
क्या ईएसजी प्रदर्शन को मापने और ट्रैक करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक मौजूद हैं?			
क्या कंपनी का सुरक्षा रिकॉर्ड अच्छा है? क्या दुर्घटनाएँ हुई हैं? क्या बाद में समस्याओं का समाधान किया गया?			
क्या किसी गंभीर घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई स्थापित प्रक्रिया है?			

रिपोर्टिंग			
क्या कंपनी के प्रबंधन और बोर्ड को ईएसजी मुद्दों की रिपोर्ट करने के लिए संचार की परिभाषित लाइनें मौजूद हैं?			
क्या ईएसजी प्रदर्शन की रिपोर्ट निवेशकों को कम से कम सालाना आधार पर दी जाती है?			
हितधारक प्रबंधन			
क्या कंपनी का स्थानीय समुदाय के साथ अच्छा संबंध है?			
क्या कंपनी में श्रमिक संबंध अच्छे हैं (जैसे क्या हड़तालें हुई हैं)?			
क्या कंपनी के पास कोई शिकायत निवारण तंत्र है, जिसके माध्यम से हितधारक अपनी चिंताओं को उठा सकें और ऐसी चिंताओं का निष्पक्षता से निपटारा किया जा सके।			

अनुलग्नक एफ-1: ईएसएमएस मार्गदर्शन दस्तावेज़

लक्ष्य कंपनी का ईएसएमएस आईएफसी प्रदर्शन मानकों और उसमें निहित टूलकिट पर आधारित होना चाहिए। इसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए:

विषय	विवरण
पर्यावरण और सामाजिक नीति	पोर्टफोलियो कंपनियां एक ईएसजी नीति तैयार करेंगी जो आईएफसी प्रदर्शन मानकों और किसी भी अन्य लागू मानकों और सिद्धांतों को एकीकृत करती है जो फंड की ईएसजी नीति और संबंधित दिशानिर्देशों के अनुकूल हैं। ईएसजी नीति पोर्टफोलियो कंपनी की सतत विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा, निष्पक्ष श्रम और कार्य स्थितियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाएगी और कंपनी स्तर पर पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगी। इसलिए, इसे पोर्टफोलियो कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आधिकारिक रूप से समर्थन दिया जाएगा, और जब क्षमता अनुमति देगी, तो नामित ईएसजी कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा, और नीति को आंतरिक और बाह्य रूप से उचित रूप से संप्रेषित किया जाएगा।
जोखिम और प्रभावों की पहचान	पोर्टफोलियो कंपनियां आईएफसी प्रदर्शन मानकों के अनुसार और राष्ट्रीय कानून के अनुरूप, व्यवसाय संचालन और उप-परियोजनाओं को शुरू करने या विस्तार करने से पहले, मौजूदा परिसंपत्तियों के मामले में पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम और प्रभाव आकलन (ईएसआईए) या पर्यावरणीय और सामाजिक ऑडिट कर सकती हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्वानुमानित व्यावसायिक परिचालनों के प्रकार, पैमाने और स्थान के अनुसार समायोजित होगी। इसमें पहचाने गए जोखिमों और प्रभावों की प्रकृति, संभावना, परिमाण और भौतिकता पर विचार किया जाएगा। पोर्टफोलियो कंपनी मूल्यांकन के दौरान स्थानीय समुदायों, स्थानीय अधिकारियों और अन्य प्रासंगिक हितधारकों से परामर्श करेगी, खासकर जब परियोजना क्षेत्र भूमि उपयोग संघर्षों के अधीन है या रहा है या/और जब कमजोर स्थानीय समुदाय और स्वदेशी लोग परियोजना क्षेत्र या प्रभाव के क्षेत्र में रहते हैं। यदि मेजबान देशों में कानून द्वारा आवश्यक या विनियमित किया जाता है, तो एक औपचारिक ईएसआईए प्रक्रिया शुरू की जाएगी और सार्वजनिक भागीदारी, दस्तावेज़ीकरण और निर्णय लेने के लिए सभी लागू प्रशासनिक नियमों और औपचारिक प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा । सभी मामलों में फंड प्रबंधन टीम यह आकलन करेगी कि पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा किए गए ईएसआईए की विषय-वस्तु और दायरा संतोषजनक है या नहीं। यदि कंपनी द्वारा किया गया ईएसआईए आईएफसी प्रदर्शन मानकों के अनुसार जोखिमों और प्रभावों की पहचान करने के मामले में संतोषजनक नहीं है, तो पोर्टफोलियो कंपनी को एक और मूल्यांकन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा,

	जिसका गुणवत्ता और पूर्णता के लिए ईएसजी अधिकारी और/या सौदा टीम द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, और आगे के जोखिमों और प्रभावों की पहचान करने के लिए कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी।
पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली	पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) को कंपनी की ईएसजी नीति के अनुरूप होना चाहिए और पहचाने गए जोखिमों और प्रभावों को दूर करने के लिए शमन और प्रदर्शन सुधार प्रदान करना चाहिए, जिसमें परिचालन दस्तावेजों और प्रक्रियाओं का एक सेट शामिल हो सकता है। पोर्टफोलियो कंपनियां जोखिम और प्रभाव मूल्यांकन के निष्कर्षों पर विचार करते हुए ठोस प्रबंधन योजनाओं के अनुसार परिचालन की योजना बनाएंगी और श्रमिकों और स्थानीय समुदायों की सुरक्षा के लिए उपकरणों सहित सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की रूपरेखा तैयार करेंगी। प्रबंधन कार्यक्रम पूरे परियोजना चक्र के दौरान निरंतर संशोधन के अधीन होगा।
संगठन क्षमता और योग्यता	पोर्टफोलियो कंपनियों को एक संगठनात्मक संरचना स्थापित करनी होगी और उसे बनाए रखना होगा जो ईएसएमएस को लागू करने के लिए भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और अधिकारों को परिभाषित करती है। मुख्य पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए और संबंधित कर्मियों को सूचित किया जाना चाहिए, और प्रदान किए गए मानव और वित्तीय संसाधन निरंतर आधार पर फंड की ईएसजी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। इसके अलावा, कर्मियों के पास ESMS के तहत आवश्यक विशिष्ट उपायों और कार्यों को लागू करने के लिए ज्ञान, कौशल और अनुभव होना चाहिए। क्षमता को देखते हुए, किसी भी ESG कार्य योजना और जिम्मेदारियों की निगरानी और निष्पादन के लिए एक नामित ESG प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा।
आपातकालीन तत्परता और प्रतिक्रिया	किए गए जोखिम मूल्यांकन के अनुरूप, पोर्टफोलियो कंपनियां अपने संचालन के क्षेत्र में होने वाली सबसे अधिक संभावित आपातकालीन स्थितियों को प्राथमिकता देंगी और जिनका सबसे गंभीर प्रभाव होगा तथा कंपनी और श्रमिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक व्यापक आपातकालीन तैयारी योजना बनाएंगी। कंपनियां आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के सदस्यों की नियुक्ति करेंगी और संबंधित आपातकालीन स्थितियों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया नीतियां और प्रक्रियाएं निर्धारित करेंगी। कार्यान्वयन के चरणों में निकासी मॉक ड्रिल करना, आपातकालीन ब्रिगेड को प्रशिक्षण देना और आपातकालीन प्रतिक्रिया उपकरण स्थापित करना और उनका रखरखाव करना शामिल हो सकता है। प्रॉस्पेरेट और ईएसजी विशेषज्ञ पोर्टफोलियो कंपनियों को ईपीपी पर सलाह देंगे, जिसमें उन क्षेत्रों की पहचान करना शामिल है जहां दुर्घटनाएं और आपातकालीन स्थितियां हो सकती हैं, समुदाय और व्यक्ति जो प्रभावित हो सकते हैं, प्रतिक्रिया प्रक्रियाएं, उपकरण और संसाधनों का प्रावधान, जिम्मेदारियों का निर्धारण, संचार, संभावित रूप से प्रभावित समुदायों के साथ संचार और समुदायों को प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवधिक प्रशिक्षण।
हितधारक सहभागिता	पोर्टफोलियो कंपनियां हितधारकों की पहचान करेंगी और उन्हें प्राथमिकता देंगी, हितधारक सहभागिता योजना विकसित करेंगी और हितधारक सहभागिता

	योजना में परिभाषित अनुसार प्राथमिकता वाले हितधारकों के साथ संचार प्रक्रिया शुरू करेंगी। हितधारक सहभागिता एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हितधारक विश्लेषण और नियोजन, सूचना का प्रकटीकरण और प्रसार, परामर्श और भागीदारी, शिकायत तंत्र और प्रभावित समुदायों को रिपोर्ट करना शामिल हो सकता है। हितधारक सहभागिता की प्रकृति, आवृत्ति और प्रयास का स्तर परियोजना के जोखिमों और प्रतिकूल प्रभावों और परियोजना के विकास के चरण के अनुसार काफी भिन्न हो सकता है। आम तौर पर, इसमें उन समुदायों की पहचान करना शामिल है जो संभावित पोर्टफोलियो कंपनी के संचालन के क्षेत्र में या उसके आस-पास रहते हैं या इस क्षेत्र के संसाधनों पर निर्भर हैं और एक संवाद की शुरुआत और रखरखाव जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है और उनके उपयोगकर्ता अधिकारों और आजीविका की रक्षा करता है।
बाह्य संचार एवं शिकायत तंत्र	पोर्टफोलियो कंपनियों को फीडबैक और शिकायतों को प्राप्त करने, उनका दस्तावेजीकरण करने और उनका जवाब देने के लिए एक सुलभ प्रणाली विकसित करनी चाहिए, तथा संचार चैनलों को लागू करना चाहिए और उनके अस्तित्व को प्रचारित करना चाहिए। दस्तावेजीकरण प्रणाली कंपनी के ध्यान में आने वाली शिकायतों को रिकॉर्ड करेगी, साथ ही समाधान की योजना के बारे में पारदर्शी प्रतिक्रिया प्रदान करेगी। इसके अलावा, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और पारदर्शी प्रक्रियाओं के साथ प्रभावी शिकायत तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। शिकायत तंत्र को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ जोड़ा जाएगा।
प्रभावित समुदायों को निरंतर रिपोर्टिंग	पोर्टफोलियो कंपनियां प्रभावित समुदायों को सूचना देने और प्रकट करने के लिए एक प्रणाली विकसित करेंगी तथा हितधारक सहभागिता योजना के अनुरूप प्रभावित समुदायों के साथ निर्धारित संचार बनाए रखेंगी।
निगरानी और प्रबंधन समीक्षा	पोर्टफोलियो कम्पनियां पर्यावरण और सामाजिक मामलों की निगरानी और नियमित मूल्यांकन के लिए प्रणालियां स्थापित करेंगी। पोर्टफोलियो कंपनियों को स्पष्ट संकेतक स्थापित करने होंगे जो ESAP में तैयार किए गए निर्धारित पर्यावरणीय और सामाजिक लक्ष्यों का गहन विश्लेषण करने की अनुमति देते हैं और इसकी ESG नीति को दर्शाते हैं। निगरानी प्रणाली के परिणामों का पूरी तरह से विश्लेषण किया जाएगा और उन पर रिपोर्ट की जाएगी, और डील टीम द्वारा आवधिक सत्यापन, संशोधन और रिपोर्टिंग के अधीन होंगे। जब प्रमाणन योजनाओं की प्राप्ति के कारण व्यावसायिक संचालन बाहरी, स्वतंत्र समीक्षाओं के अधीन होते हैं, तो यह फंड प्रबंधन टीम द्वारा सीधे किए जाने वाले प्रयासों को काफी कम कर सकता है।

अनुलग्नक एफ-2: ईएसजी ऑडिट रिपोर्ट मार्गदर्शन ढांचा

- लेखा परीक्षक द्वारा सुझाए जाते हैं और लेखापरीक्षित व्यक्ति के साथ सहमत होते हैं।
- लेखापरीक्षा का दायरा: लेखापरीक्षा किस पर केन्द्रित थी (लेखापरीक्षा कहां आयोजित की गई थी), क्या लेखापरीक्षित किया गया था (प्रक्रियाएं, संगठन, संचालन, आदि), निष्पादन की अवधि कब शुरू हुई और कब समाप्त हुई (क्या लेखापरीक्षा में एक माह, एक वर्ष या प्रारंभ से लेकर अब तक के सभी संचालन शामिल थे?)।
- विनियामक सेटिंग: लागू, स्थानीय और किसी भी अन्य लागू पर्यावरणीय और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों और नीतियों का सारणीबद्ध सारांश, क्योंकि वे सीधे ऑडिट के दायरे से संबंधित हो सकते हैं।
- ऑडिट और साइट परिश्रम प्रक्रिया: ऑडिट करने के लिए इस्तेमाल किए गए दृष्टिकोण का संक्षिप्त अवलोकन। रिकॉर्ड समीक्षा, साइट विज़िट और साक्षात्कार गतिविधियों की चर्चा; साइट नमूनाकरण योजना और रासायनिक परीक्षण योजना, क्षेत्र जांच, पर्यावरण नमूनाकरण और रासायनिक विश्लेषण और विधियों का विवरण, यदि लागू हो।
- निष्कर्ष और चिंता के क्षेत्र: पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित सभी चिंता के क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा। चिंता के क्षेत्रों पर मौजूदा सुविधाओं और संचालन तथा पिछली गतिविधियों के कारण होने वाले प्रदूषण या क्षति , प्रभावित मीडिया और उसकी गुणवत्ता और आगे की जांच और उपचार के लिए सिफारिशें, यदि लागू हो, दोनों के संदर्भ में चर्चा की जानी चाहिए। रिपोर्ट में निष्कर्षों को श्रेणियों में प्राथमिकता देने पर विचार किया जा सकता है: तत्काल कार्रवाई; मध्यावधि कार्रवाई; और दीर्घकालिक कार्रवाई।
- कार्य योजना, लागत और अनुसूची (CAP): चिंता के प्रत्येक क्षेत्र के लिए, ऑडिट रिपोर्ट में उन्हें कम करने के लिए उचित सुधारात्मक कार्रवाइयों पर विवरण शामिल हो सकते हैं और वे क्यों आवश्यक हैं। यदि ऐसा है, तो रिपोर्ट में कार्रवाई के लिए प्राथमिकताओं को इंगित करना चाहिए, सुधारात्मक कार्रवाइयों को लागू करने की लागत का अनुमान प्रदान करना चाहिए और उनके कार्यान्वयन के लिए एक अनुसूची प्रदान करनी चाहिए यदि इस पर ऑडिटर और ऑडिटी के बीच सहमति हुई है। अनुसूचियों को सुविधा के लिए किसी भी नियोजित पूंजीगत व्यय के संदर्भ में अनुशंसित किया जाना चाहिए।
- सहायक दस्तावेज : इनमें संदर्भ, साक्षात्कार प्रपत्रों की प्रतियां, ऑडिट प्रोटोकॉल से संबंधित कोई भी विवरण जो पहले से शामिल नहीं है, और ऑडिट के दौरान प्राप्त डेटा जो सीधे ऊपर शामिल नहीं है, शामिल होना चाहिए

अनुलग्नक जी: निवेशक के साथ कार्य योजना और रिपोर्टिंग ढांचा

[संदर्भ मानक]	कार्रवाई *(उदाहरण)*	[प्राथमिकता कम, मध्यम, उच्च]	ज़िम्मेदारी	अंतिम तारीख	पूर्णता सूचक	[लागत]
आईएफसी प्रदर्शन मानक 3	*कंक्रीट बैच प्लांट (वायु और जल) के लिए उत्सर्जन नियंत्रण योजना विकसित करना और उसे लागू करना,*	*मध्यम*	*(पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा) ईएचएस इकाई के प्रमुख*	*संयंत्र प्रचालन से पूर्व। संयंत्र के पूरे प्रचालन के दौरान इसे बनाए रखें।*	*उत्सर्जन नियंत्रण योजना*	*[XXX]*
[मानक]	[कार्रवाई 2]					
[मानक]	[कार्रवाई 3]					
[मानक]	[कार्रवाई 4]					

प्रभाव माप

प्रभाव माप	मुख्य निगरानी योग्य	ज़िम्मेदारी	आधारभूत	लक्ष्य	हासिल
जीएचजी उत्सर्जन से बचाव	*जैसे चार्ज किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या*				
जलवायु अनुकूलन	जैसे सेवा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या				
लिंग परिणाम	जैसे कार्यरत महिलाओं की संख्या				

अनुलग्नक एच - पोर्टफोलियो कंपनी निवेश उपक्रम

(पोर्टफोलियो कंपनी के लेटरहेड पर)

तारीख

समृद्ध इकाई
पता

श्रीमान,

<u>विषय: पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन ("ईएसजी") अनुपालन उपक्रम</u>

_____ [*पक्ष का नाम*] और _____ [*पक्ष का नाम*] के बीच _____ [*तारीख] दिनांक के* _____ समझौते [*समझौते का नाम] का उल्लेख करते है*जिसमें _____ [*प्रॉस्पेरेट इकाई का नाम] ने*_____ *[कंपनी का नाम*] में _____ [*सुरक्षा का नाम]* की सदस्यता लेने के लिए सहमति व्यक्त की है ।

हम स्वीकार करते हैं कि शेयरों की आपकी सदस्यता को पूरा करने और निधि देने के आपके दायित्व की एक पूर्व शर्त यह है कि हम आपको इस पत्र में संलग्न ESG मानकों के सेट के अनुपालन के बारे में एक हस्ताक्षरित वचन देते हैं। इसलिए, इस पत्र द्वारा हम हर समय यह वचन देते हैं कि जब तक प्रोस्पेरेट _____ [*कंपनी का नाम*] का शेयरधारक नहीं रह जाता, _____ [*कंपनी का नाम] संलग्न ESG दिशा-निर्देशों और मानकों (* **<u>अनुलग्नक H-1)</u>** के अनुसार अपना व्यवसाय संचालित करेगा जो प्रोस्पेरेट के 'जिम्मेदार निवेश' दिशा-निर्देशों (**<u>अनुलग्नक H-2</u>**) के अनुरूप हैं ।

हम इस बात पर भी सहमत हैं कि आप इस वचनपत्र की एक प्रति अपने शेयरधारकों को भेज सकते हैं।

सादर,

_____ [पोर्टफोलियो कंपनी का नाम]
द्वारा: _____
नाम: _____
शीर्षक: _____

अनुलग्नक एच-1 : ईएसजी मानक

_____ [*कंपनी का नाम*] (*इसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और*_____ [*कंपनी का नाम*] के सामान्य नियंत्रण के तहत किसी भी कंपनी सहित) इसके द्वारा अपने व्यवसाय के संचालन में ईएसजी मानकों के निम्नलिखित सेट को लागू करने और उनका अनुपालन करने का वचन देता है।

ए. सामान्य

1. जिन देशों में _____ [*कंपनी का नाम*] काम करती है , वहां लागू राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय श्रम कानूनों का अनुपालन करना ;
2. यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ("अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध") सहित प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के अनुपालन में कार्य करना [5];
3. व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप प्रबंधन प्रणालियाँ लागू करना, जो ईएसजी जोखिम मूल्यांकन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित करें, प्रासंगिक जोखिमों को संबोधित करें, प्रगति की निगरानी और रिपोर्टिंग करें और जहाँ तक संभव हो हितधारकों को शामिल करें[6]
4. ईएसजी से संबंधित मामलों के प्रबंधन के संबंध में निरंतर सुधार प्राप्त करना।
5. निम्नलिखित में से किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में पूंजी निवेश या निवेश न करने पर सहमत हों:
   - किसी भी उत्पाद या गतिविधि का उत्पादन या व्यापार जो लागू स्थानीय या राष्ट्रीय कानूनों या नियमों के तहत अवैध माना जाता है या वैश्विक सम्मेलनों और समझौतों में परिभाषित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत चरणबद्ध समाप्ति या प्रतिबंध के अधीन है, जैसे कि:
     - खतरनाक रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, कीटनाशक और अपशिष्ट [7],
     - ओजोन क्षयकारी पदार्थ [8];
     - संकटग्रस्त या संरक्षित वन्यजीव या वन्यजीव उत्पाद [9]; तथा
     - समुद्री वातावरण में 2.5 किलोमीटर से अधिक लंबाई के जाल का उपयोग करके ब्लास्ट फिशिंग और ड्रिफ्ट नेट फिशिंग जैसी गैर-टिकाऊ मछली पकड़ने की विधियां ;
   - हथियारों का उत्पादन या व्यापार, (अर्थात् हथियार, युद्ध सामग्री या परमाणु उत्पाद, जो मुख्य रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए हों या मुख्य रूप से नामित हों);
   - फाइबर का उत्पादन, उपयोग या व्यापार ;
   - रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्पादन या व्यापार [10]; तथा
   - वेश्यावृत्ति.

---

[5] पूरी सूची के लिए http://www.hm-treasury.gov.uk/fin_sanctions_index.htm देखें

[6] मार्गदर्शन के लिए IFC PS1 देखें

[7] जैसा कि 2004 के स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स ("पीओपी") में निर्दिष्ट है, www.pops.int देखें ; 2004 का रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन द प्री इंफॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैज़र्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, देखें www.pic.int ; 1992 का बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैज़र्डस वेस्टेज एंड देयर डिस्पोजल, देखें w ww.basel.int और डब्ल्यूएचओ द्वारा हैज़र्ड क्लास Ia (बेहद खतरनाक); या Ib (अत्यधिक खतरनाक) के अनुसार पेस्टिसाइड्स का अनुशंसित वर्गीकरण http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/ ; जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

[8] जैसा कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर 1999 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में निर्दिष्ट है, www.ozone.unep.org देखें , जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है

[9] जैसा कि 1975 के लुप्तप्राय प्रजातियों या वन्य वनस्पतियों और जीवों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन ("CITES") में निर्दिष्ट है, www.cites.org देखें , जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है

[10] यह चिकित्सा उपकरण, गुणवत्ता नियंत्रण (मापन) उपकरण और किसी भी उपकरण की खरीद पर लागू नहीं होता है जिससे रेडियोधर्मी स्रोत को यथोचित रूप से तुच्छ या पर्याप्त रूप से परिरक्षित माना जा सकता है।

6. पूंजी निवेश या निवेश न करने के लिए सहमत हैं , यदि निम्नलिखित गतिविधियों में से कोई भी उस व्यवसाय का पर्याप्त हिस्सा है [11]:
   - जुआ, गेमिंग कैसीनो या समकक्ष व्यवसाय;
   - अश्लील साहित्य; और
   - तम्बाकू या तम्बाकू से संबंधित उत्पाद [12].
7. प्रोस्पेरेट को उन घटनाओं के बारे में सूचित करें जिनके परिणामस्वरूप जीवन की हानि, पर्यावरण पर भौतिक प्रभाव, या कानून का भौतिक उल्लंघन होता है, और कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

बी. पर्यावरण मायने रखता है

1. न्यूनतम करें तथा व्यावसायिक गतिविधियों से होने वाले सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों की संभावना पर विचार करें।
2. प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग, जहां भी संभव हो पर्यावरण की सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना ।
3. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के माध्यम से संभावित जोखिमों और उचित न्यूनीकरण उपायों की पहचान करना, जहां व्यावसायिक परिचालनों में जैव-विविधता या आवास की हानि, ग्रीनहाउस गैसों की महत्वपूर्ण मात्रा का उत्सर्जन, जल या वायु की गुणवत्ता में गंभीर गिरावट, पर्याप्त ठोस अपशिष्ट या अन्य महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव शामिल हो सकते हैं।

सी. सामाजिक मामले

1. आईएफसी प्रदर्शन मानकों सहित सभी लागू राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
2. किसी भी प्रकार के जबरन श्रम के प्रयोग या नियोजन पर प्रतिबन्ध लगाएँ ।
3. श्रम के रोजगार या उपयोग पर प्रतिबंध लगाएँ ।
4. ऐसा वेतन दें जो उद्योग या कानूनी राष्ट्रीय न्यूनतम के बराबर हो या उससे अधिक हो ।
5. कंपनी के कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थितियां प्रदान करना, काम के घंटे अत्यधिक न हों और रोजगार की शर्तों का स्पष्ट दस्तावेजीकरण हो [13], तथा ऐसी स्थितियों में जहां श्रमिकों को लंबे समय तक दूरदराज के स्थानों पर नियोजित किया जाता है, यह सुनिश्चित करना कि ऐसे श्रमिकों को पर्याप्त आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो।
6. यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभों के बारे में उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाए।
7. रंग , विकलांगता, राजनीतिक राय, यौन अभिविन्यास, आयु, धर्म, सामाजिक या जातीय मूल, या एचआईवी स्थिति पर ध्यान दिए बिना, भर्ती, प्रगति, कार्य और प्रतिनिधित्व की शर्तों और नियमों के संदर्भ में कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करें।
8. मुआवजा और अन्य नीतियों को लागू करना जो मालिकों और प्रबंधन के हितों को संरेखित करें।

---

[11] कंपनियों के लिए, "पर्याप्त" का अर्थ है उनकी समेकित बैलेंस शीट या आय का 10% से अधिक। वित्तीय संस्थानों के लिए, "पर्याप्त" का अर्थ है उनके अंतर्निहित पोर्टफोलियो वॉल्यूम का 10% से अधिक।

[12] केवल तम्बाकू उत्पादन के मामले को छोड़कर, चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक उचित समय-सीमा निर्धारित की गई है।

[13] किसी भी सामूहिक सौदेबाजी समझौते का सम्मान करते हुए, जो मौजूद है या जहां ये मौजूद नहीं हैं या काम करने की स्थितियों को संबोधित नहीं करते हैं, उस क्षेत्र / क्षेत्र में संबंधित व्यापार या उद्योग में काम के लिए सामूहिक समझौते या अन्यथा द्वारा स्थापित शर्तों का संदर्भ लें जहां काम किया जाता है और स्थानीय या राष्ट्रीय कानून। मार्गदर्शन के लिए IFC प्रदर्शन मानक 2 देखें।

9. श्रमिकों से जुड़े मामलों में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के माध्यम से संभावित प्रतिकूल प्रभावों और शमन उपायों सहित व्यावसायिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों का आकलन करना ।
10. कार्यस्थल पर गलत कार्य और कदाचार की रिपोर्टिंग के लिए एक प्रक्रिया लागू करें जिसमें रिपोर्टर के लिए सुरक्षा और रिपोर्टर को परेशान करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल हो।
11. एक उपयुक्त शिकायत तंत्र प्रदान करें जो सभी श्रमिकों और जहां उपयुक्त हो, अन्य हितधारकों के लिए उपलब्ध हो, जिसमें SEAH व्यवहार से संबंधित शिकायतें भी शामिल हों [14]।

_____ [*कंपनी का नाम*] यह भी सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त मद 1 से 5 (सामाजिक मामलों की) का कार्यान्वयन भी _____ [*कंपनी का नाम]* के ठेकेदारों द्वारा किया जाएगा और इसके संबंध में उचित प्रमाणन प्राप्त किया जाएगा।

D. कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी मामले

1. निष्ठा और ईमानदारी के उच्च मानकों को बनाए रखें;
2. सभी व्यापारिक लेन-देन में निष्पक्षता, परिश्रम और सम्मान प्रदर्शित करें।
3. मजबूत कर्मचारी आचार संहिता, नैतिक नीतियां, भ्रष्टाचार विरोधी और -रिश्वत विरोधी नीतियां लागू करें (जिसमें अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1977; यूके रिश्वत अधिनियम, 2010; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; अन्य देशों में इसी तरह के कानून, और ओईसीडी रिश्वत विरोधी कन्वेंशन शामिल हैं), राजनीतिक दलों या राजनीतिक उम्मीदवारों को दान देने पर रोक लगाएं, और कर्मचारियों को व्यवसाय के दौरान महत्वपूर्ण उपहार देने या प्राप्त करने से रोकें।
4. यह निर्धारित करने के लिए एक तंत्र लागू किया जाएगा कि कोई भी पोर्टफोलियो कंपनी अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के विशेष रूप से नामित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों और विदेशी प्रतिबंध चोरी करने वालों की सूची में सूचीबद्ध किसी भी व्यक्ति के साथ लेन-देन नहीं करेगी।
5. सुदृढ़ व्यावसायिक नैतिकता पर आधारित पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
6. अपने साझेदारों से प्राप्त जानकारी का उपयोग केवल व्यावसायिक संबंधों के सर्वोत्तम हित में करें, किसी भी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिए नहीं।
7. कंपनी प्रबंधन संरचनाओं में उचित जांच और संतुलन के साथ जिम्मेदारियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें।
8. वित्तीय और कर संबंधी जानकारी को उचित रूप से रिकॉर्ड, रिपोर्ट और समीक्षा करें।
9. विनियामकों के साथ खुले और सहयोगात्मक तरीके से व्यवहार करें
10. पर्यावरणीय, सामाजिक और नैतिक मुद्दों सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर करने वाली आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन की प्रभावी प्रणालियों का उपयोग करें।

ई. विशिष्ट गतिविधियों के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश

यदि कंपनी की गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं या शामिल होने की उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है:

- महत्वपूर्ण वायु उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों - जीएचजी सहित), पानी का उपयोग या तरल अपशिष्टों का उत्पादन, खतरनाक या अन्य ठोस अपशिष्टों का उत्पादन; या संसाधन उपयोग की अकुशलताएं;

[14] मार्गदर्शन के लिए आईएफसी प्रदर्शन मानक 2 और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत "गैर-न्यायिक शिकायत तंत्रों के लिए प्रभावशीलता मानदंड" देखें (http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf)

- ऐसे लेनदेन जो सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करते हैं;
- भूमि का अधिग्रहण और/या उपयोग जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक या शारीरिक विस्थापन होता है;
- जैव विविधता, आवास या पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव [15];
- स्वदेशी लोगों (या अन्य हाशिए पर और कमजोर समूहों) पर प्रभाव;
- सांस्कृतिक विरासत पर प्रभाव पड़ता है; या
- अन्य महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव;

तो ऐसी कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि वह (i) प्रासंगिक आईएफसी प्रदर्शन मानकों के अनुसार अपने कार्यों का प्रबंधन करती है, (ii) एक उपयुक्त हितधारक जुड़ाव योजना को लागू करती है , और (iii) [16]अपने संचालन और आईएफसी प्रदर्शन मानकों और विश्व बैंक ईएचएस दिशानिर्देशों के बीच किसी भी अंतर को बंद करने के लिए एक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन विकसित करती है और/या विशिष्ट कार्य योजना (जैसे पुनर्वास कार्य योजना) जारी करती है [17]।

यदि किसी कंपनी की गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल होने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है:

- श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा या प्रभावित समुदायों सहित अन्य हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम, उन जोखिमों का आकलन और शमन, उदाहरण के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा लेखा परीक्षा और कार्य योजना के माध्यम से, प्रासंगिक आईएफसी के प्रदर्शन मानकों और विश्व बैंक ईएचएस दिशानिर्देशों के अनुरूप ;
- माइक्रोफाइनेंस, फिर स्मार्ट अभियान ग्राहक संरक्षण सिद्धांतों का समर्थन और आवेदन करें [18];
- कोयला आधारित बिजली, यह सुनिश्चित करना कि कोयले का उपयोग निवेश के विकास प्रभाव के अनुसार उचित है [19]; तथा
- ग्रीनहाउस गैसों के महत्वपूर्ण उत्सर्जन को कम करने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्सर्जन को यथासंभव कम करने और प्रतिकूल जलवायु प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय लागू किए गए हैं और कंपनी अपने उत्सर्जन पर रिपोर्ट करती है।

---

[15] जैसा कि आईएफसी पीएस 6, पैराग्राफ 2 में परिभाषित किया गया है। इनमें शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं (क) भोजन या लकड़ी जैसी प्रावधान सेवाएं; (ख) जल प्रवाह विनियमन जैसी विनियमन सेवाएं; (ग) पवित्र स्थलों जैसी सांस्कृतिक सेवाएं; और (घ) मृदा निर्माण जैसी सहायक सेवाएं।

[16] मार्गदर्शन के लिए आईएफसी प्रदर्शन मानक 1 देखें।

[17] लेखापरीक्षा उपयुक्त आईएफसी पीएस, किसी भी प्रासंगिक विश्व बैंक समूह ईएचएस दिशानिर्देश (http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EHSGuidelines) और इस अनुभाग में आवश्यकताओं के अनुरूप की जानी चाहिए ।

[18] http://www.smartcampaign.org/about-the-campaign/smart-microfinance-and-the-client-protection-principles

[19] कोयला विद्युत पर सी.डी.सी. की नीति देखें।

अनुलग्नक एच-2: प्रोस्पेरेट 'जिम्मेदार निवेश' दिशानिर्देश

1. जिन देशों में प्रोस्पेरेटे परिचालन करती है और/या निवेश करती है, वहां आईएफसी प्रदर्शन मानकों, एडीबी सुरक्षा उपायों, लागू राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय श्रम कानूनों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।
2. पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों के प्रबंधन के संबंध में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध होना।
3. किसी विशेष कंपनी या इकाई में निवेश करने के बारे में निर्णय लेते समय, साथ ही स्वामित्व की अवधि के दौरान, लक्ष्य कंपनियों से जुड़े पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर विचार करें।
4. प्रासंगिक हितधारकों तक सीधे पहुंचने तथा उनके साथ जुड़ने का प्रयास करें, या तो सीधे या पोर्टफोलियो कंपनियों के प्रतिनिधियों के माध्यम से, जैसा भी उपयुक्त हो।
5. उन कंपनियों को विकसित करने और बेहतर बनाने का प्रयास करें जिनमें प्रोस्पेरेट दीर्घकालिक स्थिरता के लिए निवेश करता है और पर्यावरणीय, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी मुद्दों सहित कई हितधारकों को लाभान्वित करता है।
6. ऐसे कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचों का उपयोग करने का प्रयास करें जो लेखापरीक्षा, जोखिम प्रबंधन और संभावित हितों के टकराव के क्षेत्रों में उचित स्तर की निगरानी प्रदान करें तथा मुआवजा और अन्य नीतियों को लागू करें जो मालिकों और प्रबंधन के हितों को संरेखित करें।
7. कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी वेतन और लाभ के भुगतान का समर्थन करना; राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों के अनुरूप सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करना; तथा प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास मानकों को लागू करना।
8. ऐसी नीतियों को बनाए रखना जो सार्वजनिक अधिकारियों को रिश्वतखोरी और अन्य अनुचित भुगतानों पर रोक लगाती हों, जो अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1977; यूके रिश्वतखोरी अधिनियम, 2010; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; अन्य देशों के समान कानूनों और ओईसीडी -रिश्वत विरोधी कन्वेंशन के अनुरूप हों।
9. अपनी निवेश गतिविधियों से प्रभावित लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि उसके निवेश उन कंपनियों तक न पहुंचें जो बाल या बलात् श्रम का उपयोग करती हैं या भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाती हैं।
10. यहां संबोधित मामलों पर प्रोस्पेरेट के सीमित साझेदारों को समय पर जानकारी प्रदान करना, और प्रोस्पेरेट की गतिविधियों के बारे में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए काम करना।
11. प्रोस्पेरेट की पोर्टफोलियो कंपनियों को इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, जो प्रोस्पेरेट के प्रत्ययी कर्तव्यों के अनुरूप हो।

अनुलग्नक I: ईएसजी मामलों पर वार्षिक रिपोर्टिंग

वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित दो खंड शामिल होंगे:

- धारा 1 – फंड पर ईएसजी रिपोर्ट; और
- अनुभाग 2 – पोर्टफोलियो कंपनियों पर ईएसजी रिपोर्टिंग।

अनुभाग 1: फंड ईएसएमएस और गवर्नेंस और बिजनेस इंटीग्रिटी ("जीएंडबीआई") सिस्टम पर ईएसजी रिपोर्ट

फंड ईएसजी नीति/प्रक्रियाएं

क्या पिछली रिपोर्ट के बाद से ई एंड एस तथा गवर्नेंस और बिजनेस इंटिग्रिटी (जी एंड बीआई) के आधार पर किसी निवेश में गिरावट आई है?	
क्या पिछली रिपोर्ट के बाद से फंड की E&S और G&BI नीतियों या प्रक्रिया में कोई अद्यतन हुआ है?	*यदि हां, तो प्रमुख परिवर्तनों को हाइलाइट करें*
क्या प्रोस्पेरेट ने पिछले वर्ष में प्रोस्पेरेट के ईएंडएस और जीएंडबीआई सिस्टम या प्रक्रियाओं को विकसित करने के संबंध में किसी अन्य डीएफआई (जैसे आईएफसी, डीईजी, एफएमओ) के साथ काम किया है?	*यदि इस संबंध में कोई कार्य किया गया तो उसका विवरण*
अगले 12 महीनों में ईएसजी नीति/दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के संबंध में प्रोस्पेरेट द्वारा उठाए जाने वाले कार्य और अगले कदम।	*पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए विकसित (या अद्यतन) कार्य योजनाओं का सारांश शामिल करें*

फंड क्षमता

प्रोस्पेरेट के भीतर ई एंड एस, जी एंड बीआई नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका विवरण।	• *ई एंड एस और जी एंड बीआई के वरिष्ठ स्तर के निरीक्षण वाले व्यक्ति:* • *परिचालन स्तर ई एंड एस और जी एंड बीआई जिम्मेदारी वाले व्यक्ति:* • *ई एंड एस तथा जी एंड बीआई के संबंध में सौदा अधिकारियों की भूमिका।*
पिछली रिपोर्ट के बाद से E&S और G&BI मुद्दों से संबंधित प्रोस्पेरेट स्टाफ को दिए गए विशिष्ट प्रशिक्षण का सारांश	

पिछली रिपोर्ट के बाद से पोर्टफोलियो कम्पनियों को ईएंडएस तथा जीएंडबीआई मुद्दों से संबंधित क्या प्रशिक्षण प्रदान किया गया है या क्या प्रशिक्षण दिया गया है?	

उचित परिश्रम और निगरानी

सामान्य शब्दों में, विवरण कि कैसे प्रोस्पेरेट पोर्टफोलियो कंपनियों में ई एंड एस और जी एंड बीआई प्रदर्शन की निगरानी करता है और किस आवृत्ति के साथ?	

अनुभाग 2: ई एंड एस, जी एंड बीआई और आर्थिक और रोजगार डेटा: [पोर्टफोलियो कंपनी] के लिए वार्षिक रिपोर्ट

धारा 2 प्रत्येक पोर्टफोलियो कंपनी पर नीचे दिए गए प्रारूप में एक ईएसजी रिपोर्ट होगी :

- पोर्टफोलियो कंपनी का नाम:
- व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण:

देश	उद्योग क्षेत्र	ई एंड एस और जी एंड बीआई जोखिमों की रेटिंग	
		ई एंड एस	जी&बीआई
डेटा के लिए रिपोर्टिंग अवधि	प्रभाव (इक्विटी हिस्सेदारी % और सूचीबद्ध / गैर-सूचीबद्ध)	बोर्ड सीट (हां नहीं)	कानूनी या अन्य दस्तावेजों में शामिल कार्य योजना (हां/नहीं)

वित्तीय डेटा की मुद्रा	कुल संपत्ति (चालू वर्ष)	बिक्री राजस्व/टर्नओवर	बेचे गए माल की लागत (सीओजीएस)	EBITDA
प्रत्यक्ष कर्मचारी संख्या (पूर्णकालिक समतुल्य)	महिला कर्मचारियों की संख्या (FTEs)	युवा कर्मचारियों की संख्या (25 वर्ष से कम आयु) (FTEs)	कर्मचारियों की कुल लागत (मजदूरी और अन्य लागतें)	कर का भुगतान
क्या डीडी और/या निगरानी के लिए तीसरे पक्ष ई एंड एस सलाहकार का उपयोग किया गया है?	*फर्म का नाम, यदि लागू हो*			
निवेश के समय पहचाने गए ई एंड एस और जी एंड बीआई मुद्दे और अवसर	*प्रत्येक कार्य आइटम को लक्ष्य तिथियों के साथ परिभाषित किया गया है*			
ई एंड एस और जी एंड बीआई में सुधार हासिल किया गया	*परिणामों में प्रासंगिक मानकों को प्राप्त करने में प्रगति का उल्लेख होना चाहिए; उदाहरण के लिए, विश्व बैंक ईएचएस दिशानिर्देश सीमाएँ*			
स्थिति / समय-सीमा के साथ				

आगे की जाने वाली कार्रवाई	
कंपनी की E&S और G&BI प्रबंधन प्रणालियों में विशिष्ट सुधार	
पिछली रिपोर्ट के बाद से कंपनी में कोई गंभीर E&S और G&BI घटनाएं (पर्यावरण, मृत्यु/भ्रष्टाचार) हुई हैं ?	
इस निवेश में E&S और G&BI पर निगरानी रखने और उन्हें प्रभावित करने के लिए कौन से चैनलों का उपयोग किया जाता है?	.
निदेशक और प्रमुख (20%+) शेयरधारकों के नाम	
हितधारक सहभागिता गतिविधियाँ	
शिकायत की स्थिति	

अनुलग्नक जे : पोर्टफोलियो कंपनी में ईएसजी मुद्दे/घटना पर रिपोर्ट

रिपोर्ट की जाने वाली घटनाओं की प्रकृति:

ईएसजी घटनाएं, ओएचएस घटनाएं, एचआर घटनाएं, एसईएएच घटनाएं और कंपनी से जुड़ी अन्य घटनाएं। इसके अलावा, कंपनियों से ईएसजी, एचआर, ओएचएस और एसईएएच प्रशिक्षण और ईएसजी क्षमता निर्माण पर रिपोर्ट करने की उम्मीद की जा सकती है।
कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे गंभीर ESG घटनाओं या अनुबंध के उल्लंघन की तुरंत रिपोर्ट करें। फंड प्रबंधन टीम तुरंत ESG घटना या अनुबंध के उल्लंघन की जांच करेगी। यदि आवश्यक हो, तो फंड साइट का दौरा करने और प्रबंधन, कर्मचारियों, ठेकेदारों और प्रभावित समुदायों के साक्षात्कार के साथ घटना का आकलन करने की मांग कर सकता है।

गंभीर घटनाओं में शामिल हैं:

1. कार्यस्थल पर मौतें, गंभीर चोटें और दुर्घटनाएँ। इसमें ऐसी कोई भी मौतें, गंभीर चोटें और अन्य घटनाएँ शामिल हैं जो निम्नलिखित को प्रभावित करती हैं: (1) फंड कर्मचारी या ठेकेदार, (2) पोर्टफोलियो कंपनी के कर्मचारी या ठेकेदार, या (3) परियोजना के लिए काम करने वाले या स्वेच्छा से काम करने वाले सामुदायिक कर्मचारी। रिपोर्टिंग में कार्यस्थल दुर्घटनाओं, कार्यस्थल परिवहन या उपकरण से संबंधित दुर्घटनाओं, हत्या, अपहरण या कार्यस्थल हिंसा से होने वाली मृत्यु और चोटें शामिल हैं।
2. स्थानीय समुदायों और अन्य लोगों को प्रभावित करने वाली मौतें, गंभीर चोटें और दुर्घटनाएँ। ऐसी मौतें, गंभीर चोटें या दुर्घटनाएँ जहाँ फंड स्टाफ़, पोर्टफोलियो कंपनी स्टाफ़ या प्रोजेक्ट से संबंधित व्यक्ति दोषी है या हो सकता है, उन्हें गंभीर घटनाएँ माना जाता है।
3. संघर्ष, विवाद और अशांति जिसके कारण जीवन की हानि, हिंसा या हिंसा का जोखिम होता है। इसमें निवेश गतिविधियों के कारण होने वाली या बढ़ने वाली अंतर-समुदाय या अंतर-जातीय हिंसा और फंड/पोर्टफोलियो कंपनी कर्मियों और/या स्थानीय समुदायों के प्रति हिंसा की संभावना वाले संघर्ष शामिल होंगे।
4. मानवाधिकार उल्लंघन। इसमें परियोजना कर्मियों, सामुदायिक कर्मियों के ठेकेदारों या स्वयंसेवकों के कारण मानवाधिकार उल्लंघन या मानवाधिकार उल्लंघन के सार्वजनिक आरोप शामिल होंगे। इसमें कानून प्रवर्तन गतिविधियों के संचालन में गिरफ्तार संदिग्धों की मृत्यु और चोट, यातना या बल के अन्य प्रकार के गैरकानूनी उपयोग, या सामुदायिक या निजी संपत्ति को गैरकानूनी नुकसान या जब्ती शामिल होगी। इसमें परियोजना गतिविधि के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में और परियोजना कर्मियों की भागीदारी के साथ हुए मानवाधिकार उल्लंघन और परियोजना द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों का उपयोग करके किए गए उल्लंघन शामिल होंगे, जिसमें परियोजना की सीमा के बाहर हुई घटनाएं शामिल हैं, जहां परियोजना भागीदार को फंसाया गया था (राज्य सुरक्षा एजेंटों के सदस्यों सहित)। इसमें परियोजना कर्मियों के कारण होने वाली यौन और लिंग आधारित हिंसा भी शामिल होगी, जिसमें बलात्कार, यौन शोषण, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा शामिल है। इसमें परियोजना, ठेकेदारों या सामुदायिक कर्मियों और स्वयंसेवकों द्वारा हानिकारक बाल श्रम के उपयोग और उसके सार्वजनिक आरोपों को भी शामिल किया जाएगा।
5. भूमि के स्वामित्व वाली या उस पर संचालित पोर्टफोलियो कंपनी से लोगों को जबरन बेदखल करना शामिल होगा ।
6. चोरी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या अन्य प्रमुख वित्तीय अपराध। इसमें $100,000 से अधिक मूल्य की कोई भी धोखाधड़ी, चोरी या अन्य प्रमुख वित्तीय अपराध शामिल होंगे और इसमें फंड स्तर और पोर्टफोलियो कंपनी के कर्मचारी दोनों शामिल होंगे।

7. बड़ी, अपरिवर्तनीय और वित्तीय रूप से प्रभावशाली संपत्ति क्षति। इसमें फंड स्तर या पोर्टफोलियो कंपनी स्तर की किसी भी संपत्ति की क्षति शामिल होगी जो प्राकृतिक आपदा, कंपनी प्रबंधन या कंपनी के कर्मचारियों की गलती से हुई हो।
8. पर्यावरणीय प्रभाव या महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभावों का सार्वजनिक आरोप, जो निवेश गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुआ है या हो सकता है, जिससे प्राकृतिक आवासों या उच्च जैव विविधता मूल्य वाले क्षेत्रों में गंभीर संदूषण, विनाश या गिरावट हुई है।
9. कम्पनियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किसी भी वैध शिकायत को दर्ज करें और साझा करें।

प्रॉस्पेरेट या उसकी किसी भी पोर्टफोलियो कंपनी में हुई घटना के बारे में एक रिपोर्ट निवेशकों को प्रदान की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे:

शीट ए: निवेशकों के लिए ईएसजी गंभीर घटना पर रिपोर्ट [कंपनी का नाम]	
रिपोर्ट की तारीख	
निवेश की तिथि	
दुर्घटना की तिथि और समय / निधि को अधिसूचना की तिथि	_____ [दिनांक, समय] _____/ _____ [दिनांक/ विलंब का स्पष्टीकरण]
दुर्घटना का प्रकार	(जैसे मृत्यु, बड़ा तेल रिसाव, विस्फोट)
पीड़ित और क्षति	• मृत्यु (मृतकों की संख्या सहित तथा कर्मचारी/ठेकेदार की मृत्यु और आम जनता की मृत्यु के बीच अंतर सहित)। • घायलों की संख्या (उल्लेख करें) अस्पताल में भर्ती होना / अंग की हानि)। • कंपनी की सुविधाओं या परिचालन वातावरण को हानि/क्षति। • पर्यावरणीय क्षति (जैसे जल प्रदूषण)।
तुरंत प्रतिसाद	
मुद्दे का विवरण	जहां उपलब्ध हो या प्रासंगिक हो, वहां निम्नलिखित मदों को शामिल किया गया है: • शामिल लोगों के नाम (यदि मौतें हुई हों) • गवाह (संबंधित कर्मचारी, यूनियन, पुलिस, अन्य प्राधिकारी और अन्य पक्ष सहित) • नियमित/गैर-नियमित गतिविधि की जा रही है • जो कुछ हुआ उसका तथ्यात्मक विवरण • घटनास्थल निरीक्षण फोटो/नोट्स • दुर्घटना से पहले की घटनाओं का क्रम • तात्कालिक कारण • अनुक्रम में असुरक्षित कार्य • अनुक्रम में असुरक्षित स्थितियां • असुरक्षित कृत्यों/स्थितियों के अंतर्निहित कारण (प्रारंभिक दृश्य) • मूल कारणों) • प्रत्येक महत्वपूर्ण कारण के लिए सुधारात्मक / निवारक कार्रवाई • क्रियान्वित, समयबद्ध योजना (संलग्न की जा सकती है) • अंतरिम निवारक उपाय

	• अन्य अंतरिम कार्रवाइयों के लिए आवश्यक है कि सीखे गए सबक के लिए अन्य गतिविधियों / स्थानों की जांच की जाए • घटना के परिणामस्वरूप कोई भी नकारात्मक प्रचार (मीडिया सहित)
समाप्ति व्याख्यान	• दुर्घटना की रूपरेखा, प्रमुख कारण, सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई, अंतिम स्थिति और सीखे गए सबक
फंड मैनेजर द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई	• प्रारंभिक जांच के आधार पर शीट बी

शीट बी: अनुवर्ती जांच सूची	
वर्तमान जानकारी के आधार पर वे क्षेत्र जहां और अधिक स्पष्टता अपेक्षित है:	
आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है (जहाँ आवश्यक हो, तीसरे पक्ष की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा):	
दुर्घटना और जांच की स्थिति की आलोचनात्मक समीक्षा	
कारणों और सुधारात्मक उपायों की विश्वसनीयता / निवारक कार्रवाई की पहचान की गई	
उपरोक्त के आधार पर परिणाम:	1. रिपोर्ट / निष्कर्ष स्वीकार करें या 2. रिपोर्ट को सशर्त स्वीकार करें / अतिरिक्त / विभिन्न सुधारात्मक कार्रवाइयों की आवश्यकता है या 3. रिपोर्ट अस्वीकार करें
प्रमुख अनुवर्ती बिंदु	सुधारात्मक और निवारक कार्रवाइयों के कार्यान्वयन की जाँच/सत्यापन हेतु अनुसूची। तिथियाँ शामिल करें।
सत्यापन/कार्रवाई समाप्त करने के लिए अतिरिक्त योजनाएँ?	क्या तीसरे पक्ष की विशेषज्ञता आवश्यक है?
क्या आपने कोई ऐसा सबक सीखा है जिसे अन्य पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ साझा किया जा सकता है?	